खण्ड-211, अंक-5
शनिवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(19 मार्च, 1960 ई0)

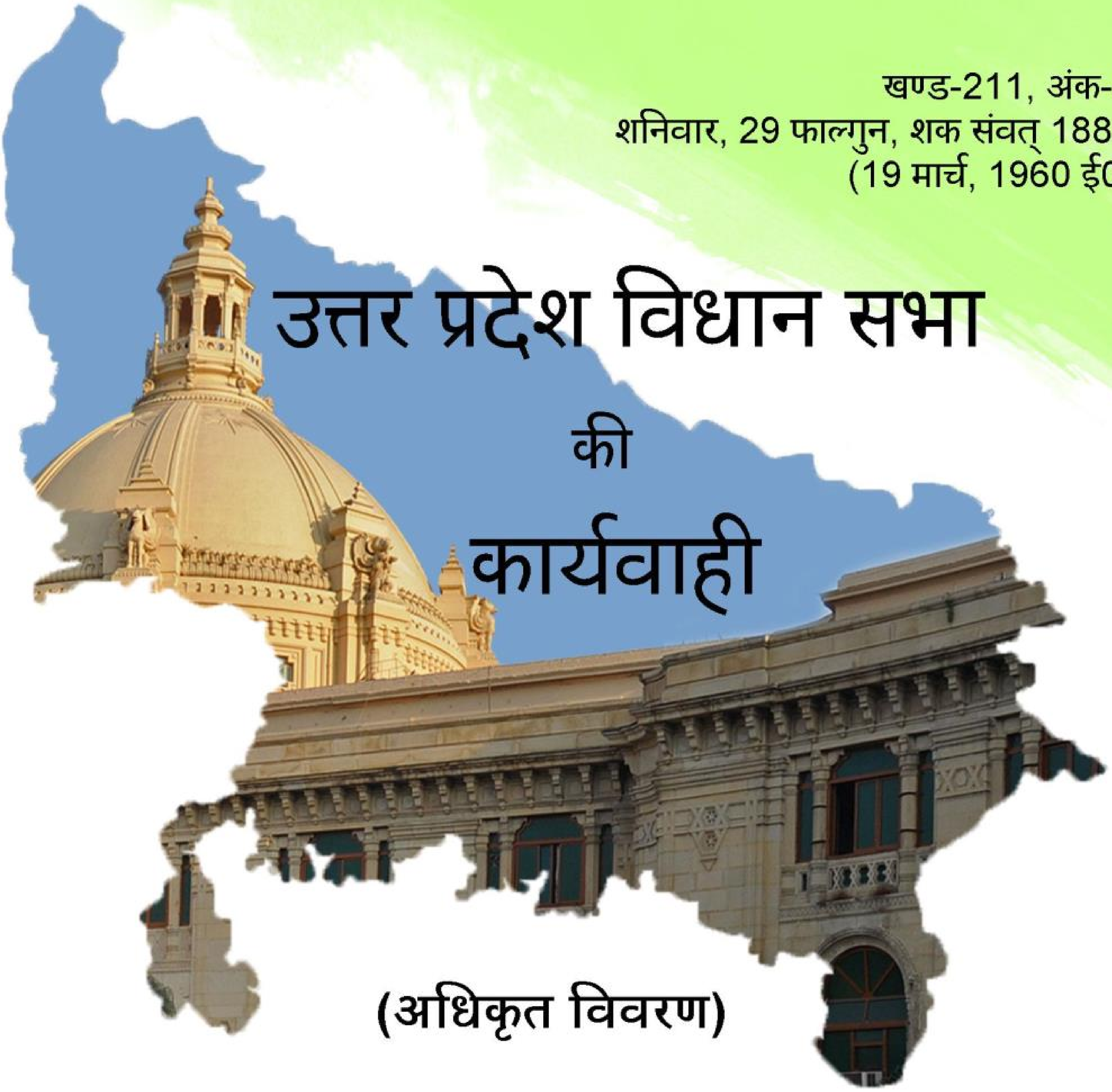

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 211 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १९ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३३८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री,
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य श्री,
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री

बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर प्रसाद, शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमी सिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारी ला रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वजगोपाल सक्सेना, श्री
वजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री]
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे ।]

प्रश्नोत्तर

शनिवार, १९ मार्च, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनसंघ अथवा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सम्बन्धित व्यक्तियों को नौकरी देने में सरकारी नीति

****१—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर), **श्री मन्नालाल** (जिला खीरी), **श्री शिवराम** (जिला बिजनौर), **श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा), **श्री भुवनेश-भूषण शर्मा** (जिला इटावा), **श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर) तथा **श्री मलिखान सिंह** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बतायेगी कि यह उसकी नीति है कि जनसंघ के या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्यों को सरकारी नौकरियों में न लिया जाय? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—सरकारी नौकरी में नियुक्ति के पूर्व उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में जांच की जाती है। इनके बारे में नियुक्ति प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर ही नियुक्ति की जाती है। किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ही के कारण नौकरी में न लिये जाने की नीति नहीं है। किन्तु जिन राजनीतिक दलों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विधि व्यवस्था के विरुद्ध समय-समय पर उग्र आन्दोलन चलाये हैं उनकी सक्रिय सदस्यता के बारे में नियुक्ति के पूर्व उम्मीदवारों की पूरी जांच करना सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है। इस श्रेणी के उम्मीदवारों के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी के संतुष्ट न होने पर इन्हें नियुक्ति के अयोग्य भी ठहराया जा सकता है।

दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९४७ के पश्चात् जिन राष्ट्रीय पार्टियों ने उग्र रूप से कुछ ऐसा कार्य किया है वे कौन-सी पार्टियां हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रश्न का ठीक उत्तर देना मुश्किल है, लेकिन शायद जनसंघ ने किया हो, सोशलिस्ट पार्टी ने किया होगा, शायद प्रजा समाजवादी पार्टी ने किया हो और शायद कम्युनिस्ट पार्टी ने किया होगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—"राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद" से सरकार क्या मतलब समझती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने शब्द "राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद" का प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। उस की बाबत मैं जानता हूं, लेकिन दूसरा शब्द जिसका प्रयोग माननीय सदस्य ने किया उसकी परिभाषा वह स्वयं ही कर सकते होंगे।

श्री राजनारायण—स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई प्रकार के संघर्ष हुये हैं। तो क्या खाद्य नीति को लेकर जो आन्दोलन चला था, आबपाशी का कर घटाने का जो आन्दोलन चला था, सोशलिस्ट पार्टी की ओर से जो अलाभकर जोत पर से लगान माफ करने का आन्दोलन चला था, अंग्रेजी हटाने के लिये जो आन्दोलन चला था, इन सब को भी सरकार उस श्रेणी में लेती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय मंत्री जी ने उग्र आन्दोलन का जिक्र उत्तर में किया, तो इससे उनका क्या मतलब है ? वह किस आन्दोलन को उग्र समझते हैं और किस को अउग्र ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस सदन में जो बात कही-सुनी जाती है वह सब अउग्र आन्दोलन है। बाहर अखबारों में जो आर्टिकल निकाले जाते हैं, सभायें की जाती हैं, वह सब भी अउग्र हैं; लेकिन ऐसे आन्दोलन जिनमें जेल जाने की, लूट-मार करने की बात पैदा हो और ऐसे आन्दोलन जिनका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है वह सब उग्र आन्दोलन हैं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---जिन चार पार्टियों द्वारा संचालित आन्दोलनों का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है उनसे संबंधित क्या सभी व्यक्तियों को नौकरी में न लिये जाने का आदेश दिया गया है या किसी खास पार्टी के व्यक्तियों के लिये आदेश है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न में कहा है कि किसी खास पार्टी के सदस्य होने के कारण नौकरी न दी जाय, क्या ऐसे आदेश हैं ? ऐसे कोई आदेश नहीं हैं, लेकिन जब किसी नौकरी पर नियुक्ति की बात आती है तो देखा जाता है कि किसी ऐसी पार्टी से उसका सक्रिय संबंध अब भी कहां तक है, कितना है। इसके लिये व्यक्ति विशेष को देखा जाता है, पार्टी को नहीं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---जैसा माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि नौकरी देते समय किसी भी व्यक्ति की अराष्ट्रीय या सांप्रदायिक मनोवृत्ति देखी जाती है। तो उसकी ऐसी मनोवृत्ति होने के कारण नौकरी नहीं मिलती अथवा उसके किसी आन्दोलन में किसी तरह का हिस्सा लेने के कारण नौकरी नहीं मिलती इसको व जरा स्पष्ट कर दें। उसकी मनोवृत्ति देखी जाती है अथवा उसका राजनीतिक दलों से संबंध ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---साम्प्रदायिक मनोवृत्ति ही नहीं। वह तो है ही। लेकिन चूंकि प्रश्न पूछा गया था इस विशेष बात की बाबत, इसलिये मैंने इसका जिक्र किया।

श्री मलिखानसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, इसको भी राजनीतिक दल माना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---व्यवहार में तो ऐसा ही समझा जाता है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खाद्य आन्दोलन को जिसमें गोदामों के ताले तोड़ने और गल्ला गोदाम लूटना भी शामिल था, उसको भी उग्र आन्दोलन मानती है, या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उसको न मानकर मैं प्रजा समाजवादी पार्टी का अपमान नहीं करना चाहता। (हंसी)

श्री राजनारायण---सन् १९५४ में जो आबपाशी-कर वृद्धि आन्दोलन चला था और जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सरकार की हार हुई है और सम्मानित उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि इस प्रकार के आन्दोलन चलाने का जनता को अधिकार है, और उस सम्बन्ध में सरकार का कार्य गैर कानूनी था, तो सरकार किस तरह से इस आन्दोलन को उग्र आन्दोलन समझती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आन्दोलन फिर भी वह था। इस तरह के जितने आन्दोलन होंगे, उनको उग्र माना जायेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार इन विरोधी पार्टियों के उन आन्दोलनों को जिनमें यह घोषणा की जाती है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से आन्दोलन करेंगे और इस तरह से उनको जेल जाना पड़ता है, तो क्या इस तरह के आन्दोलन को भी उग्र आन्दोलन समझती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मैं जानता हूं, कभी भी कोई आन्दोलन ऐसा नहीं हुआ है जिसमें यह कहा गया हो कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आन्दोलन नहीं करेंगे। किन्तु बाद में वे भी सभी शांतिपूर्ण आन्दोलन के नाम से ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण उन्हें उग्र मानना पड़ता है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--क्या सन् १९४७ के बाद कांग्रेस ने भी कोई आन्दोलन छेड़ा है ?

(हंसी--उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री टीकाराम पुजारी--उत्तर नहीं मिला ?

श्री उपाध्यक्ष--यह सवाल ही ऐसा है कि लोगों को लाजवाब कर देता है। (हंसी)

श्री झारखंडेराय--क्या सरकार के विचार में सदन के बाहर किसी प्रकार का कोई ऐसा आन्दोलन भी है जो सरकार उचित समझती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, जैसे अनुव्रत आन्दोलन। (हंसी)

श्री मलिखानसिंह--जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि आर०एस०एस० व्यवहार में ऐसा मालूम पड़ता है कि राजनीतिक पार्टी है, तो कोई उदाहरण वह दे सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने कोई राजनीतिक ऐसा काम किया जिससे माननीय मंत्री जी ने व्यावहारिक रूप उसका बताया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस प्रकार के प्रश्नों का विवेचन करना सरकार का काम नहीं है, हाईकोर्ट को फुर्सत रहती है, वह ऐसा काम करता है। ये भिन्न-भिन्न पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो लिखा करती हैं। कुछ पार्टियां कोई काम करती हैं, समाज पर उसका क्या परिणाम होता है, यह देखने की जरूरत है। अगर दो पार्टियां एक-सा काम करती हैं और उसका परिणाम एक-सा होता है, उनमें से एक अपने को राजनीतिक कहे और एक न कहे पर सरकार तो व्यवहार में दोनों को राजनीतिक मानेगी।

प्रान्तीय रक्षक दल के कर्मचारियों को स्थायी करने में विलम्ब

**२--श्री मोहनसिंह मेहता (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो प्रांतीय रक्षा दल की एक शाखा पुलिस के साथ कार्य कर रही है उसका, मुख्य प्रांतीय रक्षा दल शाखा, जो नियोजन विभाग के साथ है, उससे क्या संबंध है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)--यह दोनों एक ही संस्था की दो शाखायें हैं।

**३--श्री मोहनसिंह मेहता--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रांतीय रक्षा दल के कुछ स्थान स्थायी होने जा रहे हैं उनमें प्रांतीय रक्षा दल पुलिस शाखा के कर्मचारी भी स्थायी हो रहे हैं, या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुल्तान आलम खां--जी हां। ज्येष्ठता तथा कर्मनिष्ठा के आधार पर सम्पूर्ण दल में से कर्मचारियों को स्थायी किया जायगा।

**४--श्री मोहनसिंह मेहता--क्या प्रांतीय रक्षा दल पुलिस शाखा में कार्य करने वाले असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजरों के स्थायित्व का कोई विचार है ? क्या यह सही है कि उनकी सर्विस १२-१२ वर्ष तक हो चुकी है ?

श्री सुल्तान आलम खां--(क) अभी तो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजरों के पद के लिये स्थायीकरण का विचार नहीं है।

(ख) जी हां।

श्री मोहनसिंह मेहता--असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर के पदों का स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है और उनकी सेवायें १२ साल की हो चुकी हैं तो सरकार उनके पदों के स्थायीकरण पर विचार करेगी?

श्री सुल्तान आलम खां--असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर का पद बाकी नहीं है, पहले था। कुछ अर्सा हुआ जब तोड़ दिया गया है और उसमें जो काम कर रहे थे उनको डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर बना दिया गया। ५ पद हैं, जिनमें से तीन खाली हैं, दो पर लोग काम कर रहे हैं। खाली इसलिये रखे हैं कि जिनको तरक्की दी है अगर वह वापस आ जायं तो उनको रख लिया जाय।

श्री गौरीशंकर राय--माननीय मंत्री जी ने एक दिन एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि एक सौ कुछ लोग ऐसे हैं इस प्रांतीय रक्षा दल में जो स्थायी नहीं हो सके हैं, तो १२ वर्षों से जो काम कर रहे हैं वह अबतक स्थायी नहीं हुए, इसका क्या कारण है?

श्री सुल्तान आलम खां--मैंने शायद यह कहा होगा, मुझे याद तो नहीं है, कि इससे पहले ११९ हमारे वर्कर मुस्तकिल हो चुके हैं और अब इस मौके पर हम २०७ को और कनफर्म करने वाले हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अभी हाल में इस पी०आर०डी० के बढ़ाये जाने के आर्डर्स हो चुके हैं? अगर हो चुके हैं तो कितने बढ़ाये जायेंगे और १२-१२ साल वालों को अब तक स्थायी क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री सुल्तान आलम खां--पी०आर०डी० की तादाद बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ायी गयी है, अलबत्ता एक पुलिस विंग जरूर कायम किया गया है आगरा, लखनऊ और वाराणसी में, और उसका इसी मेन आर्गनाइजेशन से ताल्लुक है, लेकिन वह एक अलहदा विंग है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब प्रांतीय रक्षक दल अस्थायी विभाग नहीं है, प्रत्युत दूसरे स्थायी विभागों की तरह स्थायी है तो फिर उसके अन्तर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्थायी करने में क्या बाधा है?

श्री सुल्तान आलम खां--सबसे बड़ी दिक्कत रुपये की है। जब किसी जगह को स्थायी बनाना हो तो पहले रुपये का प्रबन्ध करने की जरूरत होती है। इसलिये धीरे-धीरे हम उसको स्थायी बनाते जा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है, कि पुलिस विंग में जो काम करने वाले लोग हैं वह उसी हद के अन्दर काम करते हैं जिसमें प्रांतीय रक्षक दल की दूसरी शाखा काम करती है? तो जब दूसरी शाखा के पद स्थायी किये गये हैं तो इसके पद स्थायी न करने के क्या कारण हैं?

श्री सुल्तान आलम खां--इसमें कुछ भ्रम है। पुलिस विंग में जो लोग काम करते हैं उनकी यहां से परची उठायी जाती है लेकिन वह इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस के मातहत काम करते हैं। उसके लिये जैसे हर जिले में सुपरिन्टेंडेंट पुलिस और सीनियर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस हैं, कमांडेंट भी हैं और कहीं असिस्टेंट कमांडेंट भी दे दिये गये हैं। जहां तक मस्तकिल करने का सवाल है, दोनों विंग्ज यानी मेन पी०आर० डी० और पुलिस विंग पर गौर किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---पुलिस विंग वालों का स्थायीकरण क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री सुल्तान आलम खां---हम दोनों को स्थायी कर रहे हैं।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि पी०आर० डी० के बारे में सरकार की नीति क्या है, टारगेट क्या है ? क्या पुलिस के पैरेलल इसको बनाने का विचार है या सप्लीमेंटरी पुलिस के रूप में रखने का है, क्या स्पष्ट रूपरेखा है ?

श्री उपाध्यक्ष---इसके लिये दूसरे प्रश्न की सूचना दें।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थायी किये जाने वाले कर्मचारियों में पुलिस विंग के कितने कर्मचारी हैं और दूसरी शाखा के कितने कर्मचारी हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रांतीय रक्षक दल के लोगों को स्थायी करने के अबतक कोई निश्चित नियम क्यों नहीं निर्धारित हो सके ?

श्री सुल्तान आलम खां---प्रांतीय रक्षक दल जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है सन् १९४८ से कायम हुआ और बीच में एक मर्तबा ऐसा भी सोचा गया कि इसको खत्म कर दिया जाय, लेकिन फिर जरूरत महसूस हुई कि हमारे बहुत से कानून जो इस लेजिस्लेचर से सोशल डिसेबिलिटीज वगैरह के पास हुए उनको चलाने के लिये एक पुलिस विंग बनाया जाय। इसके अलावा प्रांतीय रक्षक दल ने कुछ दूसरे मुख्तलिफ काम ला ऐंड आर्डर को कायम करने के भी किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष---निश्चित नियम क्यों नहीं बने ?

श्री सुल्तान आलम खां---अभी काम देखा जा रहा है और तजुर्बे के तौर पर चीज चल रही है। एक दम शुरू में कोई चीज मुस्तकिल नहीं होती। पहले तजुर्बा किया जाता है फिर उसकी बिना पर आगे काम किया जाता है।

बस्ती जिले में ओला पीड़ितों को सहायता

**५---श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)---क्या बस्ती जिले के रुधौली के पास लगभग ३४ गांवों में तारीख ६-३-६० को जबरदस्त ओला पड़ने तथा उससे ४ व्यक्तियों की मृत्यु, कुछ पशुओं के घायल होने और फसल के सम्पूर्ण नष्ट होने की कोई सूचना सरकार को मिली है ?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद शुक्ल)---जी हां। ओलों के पड़ने से क्षति की सूचना आई है।

**६---श्री उदयशंकर---यदि हां, तो कितने गांवों में यह ओलाबारी हुई, नुक्सान क्या हुआ और सरकार की ओर से क्या तात्कालिक सहायता का प्रबन्ध हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---बांछित सूचना इस प्रकार है:---

(१) प्रारम्भिक रिपोर्टों के अनुसार उक्त क्षेत्र के ३४ गांवों में ओले गिरने के फल-स्वरूप फसल को काफी क्षति पहुंची, ४ व्यक्तियों की तथा लगभग १५० पशुओं की मृत्यु हुई।

(२) बकाया मालगुजारी तथा तकावी की वसूली मुल्तवी कर दी है। क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में टेस्ट वर्क्स (Test works) खोलने के भी आदेश दे दिये गये हैं।

श्री उदयशंकर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ३४ गांवों में क्षतिग्रस्त लोगों की संख्या क्या है और टेस्ट वर्क के लिये कितना रुपया सेंक्शन किया गया है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--संख्या बताने के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री उदयशंकर--और टेस्ट वर्क के लिये कितना रुपया सेंक्शन किया गया है ?

श्री हुकमसिंह विसेन--उसकी तादाद भी इस समय मेरे पास नहीं है, नोटिस की जरूरत होगी।

श्री उदयशंकर--पशुओं के नुक्सान के सिलसिले में और लोगों के खाने-पीने की समस्या के बारे में क्या सरकार का विचार है कि उन लोगों को कोई तकावी पशु वगैरह खरीदने के लिये दे या उन गांवों में कोई राशन की दूकान खोले ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--आवश्यकता पड़ने पर राशन की दूकानें बढ़ा दी जावेंगी और तकावी का प्रबन्ध कलेक्टर की रिपोर्ट आने पर किया जायगा। अहेतुक सहायता के लिये कलेक्टर के पास कोष रहता है और वह कार्यवाही कर रहे हैं।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत २,३ प्रश्न आये हैं। एक श्री टीकाराम पुजारी का और दूसरा श्री मलिखानसिंह का। ये दोनों शार्ट नोटिस प्रश्न की परिधि में आते हैं। तीसरा श्री व्रजनारायण तिवारी का है सेवहरी शुगर फैक्ट्री के संबंध में। इस बारे में श्री प्रतापसिंह जी ने श्री गेंदासिंह जी के प्रश्न के संबंध में आधे घंटे का विवाद मांगा है। मैंने उसे २२ तारीख के लिये रखा है और उस समय इसका भी जिक्र हो सकता है। इसलिये इसकी भी मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--मैंने भी गेंदासिंह जी के प्रश्न के बारे में विवाद मांगा था।

श्री उपाध्यक्ष--उस समय आप भी हिस्सा ले सकते हैं।

प्रश्नों का उत्तर न मिलने की शिकायत

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री जी ने अभी श्री उदयशंकर जी के प्रश्न के उत्तर में कहा कि वह रुपये की तादाद इसलिये नहीं बता सकते कि उनके पास फाइल नहीं है। प्रश्न में स्पष्ट पूछा गया था कि नुकसान क्या हुआ और कितनी सहायता दी गई। मैं समझता हूं कि आपकी ओर से व्यवस्था होनी चाहिये कि उत्तर साफ हो कि कितनी सहायता किस मद में दी गई। फाइल न होने का उत्तर ठीक नहीं है।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब हुआ यह बात सुनकर, अपने मित्र की। अभी ६ तारीख को सारे वाकयात हुए हैं, जांच-पड़ताल हो रही है। इन्टेरिम रिपोर्ट कहीं की आई है, कहीं की आने वाली है। जब तक मुस्तकिल तौर से पता न हो जाय कि कितनी रकम सेंक्शन की गई है और कितनी दे दी गई है हम उत्तर देना मुश्किल समझते हैं। जो इत्तिला हमारे पास होती है उसे देने में हम कभी गुरेज नहीं करते हैं। छूमंतर से काम नहीं होता है। कलेक्टर से सारी बातें आने पर निश्चय होगा।

१९६०–६१ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों पर विवादार्थ समय निर्धारण

श्री उपाध्यक्ष—आज के तीनों अनुदानों में किस प्रकार समय-विभाजन होना चाहिये, माननीय सदस्य सुझाव देने की कृपा करें।

(कोई नहीं उठा)

मैं अपनी ओर से यह सुझाव दे रहा हूं कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी—के लिये १ बजे तक का समय रखा जाय, वन का अनुदान ३।। बजे खत्म कर दिया जाय और बाकी १।। घंटा लेखन सामग्री वाले अनुदान के लिये रखा जाय।

एक सदस्य—(सरकारी पक्ष से) आबकारी १२ बजे खत्म कर दिया जाय।

श्री गोविंदसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—यह ठीक है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—आबकारी महत्वपूर्ण है। उसके लिये ज्यादा समय जैसा आपने रखा, वही ठीक है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—चूंकि आबकारी पर समाजवादी दल ज्यादा जोर देता है उनको ज्यादा समय दे दें और १२ बजे तक खत्म कर दिया जाय।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—वन विभाग के लिये एक दिन पूरा रखा जाय। हमारे जिले में वन अधिक हैं, उनके जुल्मों का हमें ज्यादा तजुर्बा है।

श्री उपाध्यक्ष—१२।। बजे तक आबकारी, ३।। बजे तक वन और उसके बाद तीसरा अनुदान रहेगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—हमारे परम मित्र श्री गोविन्दसिंह जी ने, पता नहीं सदन की ओर से बताने का अधिकार कैसे रख लिया।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर अब कोई बहस नहीं हो सकती है।

श्री राजनारायण—१२।। बजे आपने इस शर्त पर रखा है कि कोई और नहीं बोलेंगे सिवाय सोशलिस्ट पार्टी के। आबकारी को लेकर हम १९३०—३२ में लड़े और मई, सन् १९६० में लड़ने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, वह मैं देख लूंगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—मेरे ऊपर, श्रीमन् खयाल किया जाय। हम लोग पीछे वाले रह जायेंगे, आगे के नेता लोग बोल लेंगे।

अनुदान संख्या ३—लेखा शीर्षक ८—राज्य आबकारी

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी—लेखा शीर्षक ८—राज्य आबकारी के अन्तर्गत ९७,४५,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल १ घंटे का समय एलाटेड है। इसलिये मैं चाहता हूं कि पहले माननीय सदस्य बोल लें और तब मैं बोलूं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत अनुदान संख्या ३-में कटौती का निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं:—

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है—राज्य सरकार की मद्य-निषेध नीति की असफलता पर विवाद करना।

मान्यवर, मुझे विष्ट जी की, जो जन संघ के नेता हैं, अभी यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आबकारी विभाग के विषय पर किसी पार्टी को, सिवाय सोशलिस्ट पार्टी के, कोई दिलचस्पी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों की मस्ती देख कर उनको कुछ भ्रम हो गया। (हंसी)

श्री देवनारायण भारतीय—हो सकता है। परन्तु हम आपके द्वारा उनका यह भ्रम दूर कर देना चाहते हैं। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि पूज्य महात्मा जी ने जब सन् १९२०-२१ में अंग्रेजी सरकार को हटाने का आन्दोलन आरम्भ किया तब उन्होंने नशाबन्दी के प्रश्न को भी बराबर का ही महत्व दिया था और सबसे पहले नशाबन्दी की ओर देश की जनता का ध्यान आकृष्ट किया। सन् १९२० से कांग्रेस पार्टी इसके लिये लड़ती रही और इसे महत्व देती रही। परन्तु आज मद्यनिषेध का महत्व इतना कम हो गया है, इस पर मुझे आश्चर्य है।

जब से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जब से हम आजाद हुए, तब से अबतक कांग्रेस सरकार ने ११ जिलों में ही मद्य-निषेध लागू किया है। तीन तीर्थ स्थानों पर भी लागू किया है। लेकिन एक तरफ तो मद्य-निषेध की नीति का अनुसरण किया गया और दूसरी ओर आबकारी विभाग की आमदनी बढ़ाने में भी सरकार ने कोई कदम पीछे नहीं हटाया। ये दोनों बातें साथ लेकर सरकार चलती रही है और उसका परिणाम है कि सरकार एक ओर आबकारी नीति में असफल रही और दूसरी ओर मद्यनिषेध में भी सफल नहीं हो सकी। इस दुरंगी चाल से किसी काम में भी सफलता नहीं हो सकती। एक ओर तो सरकार आबकारी नीति का समर्थन करती है और अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न करती है। जब कि ११ जिले शुष्क नहीं किये गये थे इस आबकारी विभाग से बहुत बड़ी आमदनी होती थी, लेकिन जब से यह शुष्क किये गये हैं करोड़ों रुपये की हानि हो रही है। दूसरी ओर सरकार का जो उद्देश्य मद्य-निषेध का है उसमें भी सरकार सफल नहीं हो रही है। सरकार की दुरंगी नीति के बारे में एक कवि की कल्पना चरितार्थ होती है। कवि ने कहा है:

"जाहिदा तसवीह में जन्नार का डोरा न डाल,
या बरहमन की तरफ हो या मुसलमां की तरफ।"

या तो आप कहिये कि हम आबकारी की उन्नति चाहते हैं, हर आदमी को नशे में मस्त कर देना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी के लोगों की मस्ती को देखकर माननीय जनसंघ के उपनेता बहकी बातें कर रहे थे। वह मस्ती माननीय मंत्री जी सारे प्रांत में देखना चाहते हैं। और अगर सरकार सच्चे दिल से मद्य-निषेध करना चाहती है तो लखनऊ जैसे केंद्र—स्थान से शुरू करे। तीन तीर्थ स्थानों में—वृन्दावन, हरिद्वार और ऋषिकेष में आपने मद्य-निषेध कर दिया, लेकिन लखनऊ जो आज हमारा हर तरह से तीर्थ स्थान है, राजनीतिक चेतना और हमारी संस्कृति का केंद्र है, वहां आपने शराब को प्रोत्साहन दे रखा है, नशेबाजी में यहां तरक्की कर रहे हैं, उससे आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप लखनऊ में शराब पीना बन्द न करेंगे तब तक कानपुर और अड़ोस-पड़ोस के जिलों में भी बन्द करने में सफल नहीं हो सकते। एक ओर लखनऊ में आप नशेबाजी का समर्थन करेंगे, अपनी कृपादृष्टि से लोगों को शराब पीने के लिये प्रोत्साहित करेंगे और बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप नशे में मस्त देखना पसन्द करेंगे, तब तक नशाबन्दी दूसरे स्थानों में भी

आप बन्द नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं सरकार अपनी इस दुरंगी नीति को बदले। सरकार एक ही नीति अख्तियार करे। महात्मा गांधी कहते रहे कि इस नशे से जो आमदनी होती है उसको पाप समझ कर सरकार को खत्म कर देना चाहिये। जब तक ऐसी स्पष्ट नीति से आप हमारे सामने नहीं आयेंगे तब तक सोशलिस्ट पार्टी का समर्थन आपको प्राप्त न हो सकेगा।

अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि आबकारी विभाग की नीति और मद्यनिषेध की नीति दोनों परस्पर विरोधी हैं और एक साथ नहीं चल सकतीं।

मैंने शाहजहांपुर की बाबत आबकारी कमेटी में कुछ बातें कहीं और इस माननीय सदन में भी प्रश्नों के द्वारा और विशेषाधिकार के प्रश्न के द्वारा, एक विषय को उठाया, लेकिन मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी गयी। शाहजहांपुर में जो आबकारी विभाग के कर्मचारी हैं वे विभाग की आमदनी बढ़ाने में सहयोग देना नहीं चाहते। वहां ए से जेड तक जितने भी कर्मचारी हैं वे अपनी निजी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। सब के सब इस बात पर तुले हुए हैं कि नाजायज शराब की उत्पत्ति हो, अफीम, गांजा और दूसरी चीजों की नाजायज बिक्री हो। इनको बिकवाने में उनका हाथ रहता है। अपने नाजायज लाभ के लिये वे इस बात की कोशिश करते हैं कि उनका लाभ हो चाहे सरकारी राजस्व में कमी क्यों न हो जाय।

शाहजहांपुर जिले में मन्नीलाल नाम के एक तस्कर व्यापारी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जो माननीय सदस्य इस हाउस में अपने आपको डिफेन्ड नहीं कर सकते, उनका नाम लेना उचित नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं आपकी आज्ञा माने लेता हूं, अब उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन इसलिये मैंने उनका नाम लिया था कि उनके नाम का जिक्र आबकारी कमेटी में तथा इस माननीय सदन में कई बार आ चुका है, लेकिन अब आगे नाम नहीं लूंगा। मैं यह बात कह रहा था कि उनके तस्करापन के बारे में मैंने अनेक बार माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की, लेकिन मेरी प्रार्थना को इस आधार पर कि जिले के अधिकारियों ने मेरे विरुद्ध रिपोर्ट दी है, मेरी सूचना को उन्होंने सही नहीं माना यद्यपि अन्त में परिणाम यह हुआ कि कुछ ही समय के पश्चात् जब कि उनके यहां तलाशी हुई और वह तलाशी आबकारी विभाग को बगैर कोई सूचना दिये हुए हुई। उससे पहले अनेक बार तलाशी हुई, यह सही है, लेकिन हर मर्तबा आबकारी विभाग द्वारा तलाशी लेने की कोशिश की गयी और उसमें असफलता रही। जिस समय आबकारी विभाग को बगैर कोई सूचना दिये हुए पुलिस वहां पहुंच गयी तो वहां उसने तलाशी में नाजायज शराब की ढाई हजार बोतलें बरामद कीं। इसके अलावा भी मनों भांग, चरस और न जाने कैसे कैसे जहर जो स्प्रिट से नाजायज शराब बनाने के काम आते हैं वहां पर बरामद हुए। और उनके बारे में जब मैंने यहां प्रश्न किये तो माननीय मंत्री जी ने, न जाने किस आधार पर सदन को यह सूचना दी कि आबकारी विभाग ने ही वह तलाशी ली थी और पुलिस कर्मचारी आबकारी विभाग की सहायता के लिये आये थे। पुलिस का कोई मुख्य भाग उस तलाशी में नहीं था। मैंने इस सदन में पहले भी कहा है और मैं इस बात को फिर दोहराने के लिये तैयार हूं.....

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—श्रीमन्, चूंकि यह केस न्यायालय के सम्मुख विचाराधीन है, इसलिये उसके बारे में यहां पर चर्चा करना न्यायालय के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो कि न्यायालय से सम्बन्धित हो। मैं केवल उन्हीं बातों को कह रहा हूं जो इस सदन से सम्बन्ध रखती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन अगर आप इस तरह का जिक्र यहां करेंगे कि विभाग के लोग तलाशी में गये या नहीं गये, तो इससे केस पर कुछ असर पड़ सकता है। इसलिये उसका जिक्र न करना ही उचित होगा।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं जो निवेदन कर रहा था वह यह है कि मैंने माननीय मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का प्रयत्न किया। मैं अपनी सत्यता प्रमाणित करने के लिये एफ० आई० आर० और फर्दर इनवेस्टिगेशन की रिपोर्टों की नकलें लाया और उनको माननीय अध्यक्ष के सामने उपस्थित किया। मैं इस बात को अपने पक्ष के समर्थन में अब भी कहना चाहता हूं कि जो सूचना माननीय मंत्री जी को मिली थी वह निराधार थी और जो सूचना मैंने माननीय मंत्री जी को दी थी, इस माननीय सदन को तथा माननीय अध्यक्ष को दी थी वह सर्वथा सत्य थी। उचित तो यह था कि जिस आदमी ने माननीय मंत्री जी को गलत सूचना दी थी उसको वे सजा देते और जो गलतबयानी माननीय मंत्री जी ने उस असत्य सूचना के आधार पर सदन के अन्दर की थी उसको वापस लेने की कृपा करते और प्रजातंत्रीय परिपाटी की रक्षा एवं पुष्टि करते। परन्तु ऐसा वे नहीं कर सके, इसलिये मैंने इस प्रश्न को आज इस कटौती के प्रस्ताव के द्वारा सदन के सामने उपस्थित करने की कोशिश की है।

मद्यनिषेध के नाम पर विभाग की ओर से जो रिपोर्ट बांटी गयी है उसके पृष्ठ ४ पर हवाला दिया गया है कि शाहजहांपुर जिले के ढाईघाट के मेले में मद्यनिषेध का प्रचार किया गया। मान्यवर, आपके द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं शाहजहांपुर से अन्तरिम जिला परिषद् का सदस्य हूं, सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्त्ता हूं तथा ढाईघाट के हर मेले में उपस्थित रहता हूं। ढाईघाट में साल में दो बार मेला लगता है, एक तो ज्येष्ठ के महीने में और दूसरी बार कार्तिक के महीने में और मैं दोनों महीनों के मेलों में इस वर्ष उपस्थित रहा हूं और पिछले साल भी उपस्थित रहा हूं। इस रिपोर्ट में दिखलाया गया है कि वहां मेले में मद्यनिषेध का प्रचार हुआ। मुझे इस बात का दुख है कहने में कि वहां मद्यनिषेध का न कोई प्रचार हुआ और न मद्यनिषेध के लिये कोई काम ही हुआ। अगर खुफिया तरीके से किसी रावटी के अन्दर बैठ कर किसी से कोई बात कह सुन ली गयी हो तो बात दूसरी है, लेकिन ऐसी बात कि कोई प्लेटफार्म बनाया गया हो, जनता की सूचना के लिये तथा जनता में प्रचार करने के लिये कि मद्यनिषेध अच्छी चीज है, इस तरह का कोई भी प्रचार उस मेले में नहीं किया गया। मैं प्रान्तीय तथा जिला आबकारी समिति का भी सदस्य हूं, विधान सभा का भी सदस्य हूं और जिला अन्तरिम परिषद् का भी सदस्य हूं, लेकिन मेरी जानकारी में कोई भी मद्यनिषेध का प्रोग्राम हमारे जिले में ढाईघाट के मेले में इस वर्ष नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि वह हो। हमारे जिले से मिला हुआ फर्रुखाबाद का जिला है और वहीं पर गंगा के इस पार ढाईघाट का मेला होता है, उस पार फर्रुखाबाद में शराबबन्दी है, लेकिन मेरी जानकारी है कि ढाईघाट के मेले पर बहुत बड़ी तादाद में नाजायज शराब और नशे की चीजें बेची गईं और वहां पर खुले तौर पर इस तरह की बिक्री हुई और उस में कोई रोक नहीं की गई। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे सुझावों पर विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष—अब माननीय वक्ताओं को केवल ५-५ मिनट मिलेंगे।

श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, अभी कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करते हुये माननीय भारतीय जी ने पूज्य महात्मा गांधी का नाम लिया। मैं ऐसा समझता हूं कि उन को भी इस की जानकारी होगी कि इस जनप्रिय कांग्रेस सरकार की जो नीति है वह स्वयं पूज्य महात्मा गांधी के आदर्शों पर और उन के द्वारा प्रतिपादित कार्यों पर आधारित है और यह जनप्रिय सरकार इस प्रदेश में निवास करने वाले समस्त लोगों के सर्वांगीण विकास के लिये हर तरह से प्रयत्नशील है। यह दूसरी बात है कि हमारी बुनियादी बुराई हो और वह हम में प्राचीन काल से चली आ रही हो तो उस को तत्काल कोई कानून या दंड व्यवस्था

के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। मद्यपान हो या और कोई बुराई हो उस को दूर करने में समय लगेगा और उस दिशा में हम सतत प्रयत्नशील हैं। जितने भी हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनतन्त्र में उन का कर्त्तव्य है कि वे इस दिशा में सक्रिय कदम उठावें। इन कुरीतियों के विरुद्ध जनता को समझावें और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें तभी हम इन कुरीतियों का उन्मूलन करने में सफल हो सकते हैं और इस समस्या को जल्द सुलझा सकते हैं। सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सरकार ने अपनी ओर से हर तरह की योजनायें समाज उत्थान की और मद्यपान को रोकने की बनाई हैं। सरकार ने मद्यपान की वस्तुओं पर हैवी ड्यूटी लगाई है ताकि आसानी से लोग उन का इस्तेमाल न करें। इस के अलावा चेकिन्ग स्क्वेड्स की भी नियुक्ति की गई है जो कि यू० पी० के हर बोर्डर पर चारों तरफ से चेकिंग करते हैं ताकि अन्य प्रदेशों से कोई नशीली चीजें यहां न आयें। मद्यपान के विरुद्ध प्रचार के लिये समाज उत्थान विभाग भी काम कर रहा है और यह विभाग तो कर ही रहा है सभाओं के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, मीटिंगों के द्वारा। माननीय भारतीय जी कहते हैं कि उन के यहां ढाईघाट पर कोई भी मीटिंग नहीं हुई। अगर माननीय सदस्य उस समिति के सदस्य हैं तो उन का भी कर्त्तव्य था कि अगर वहां इस तरह का कोई प्रचार नहीं हुआ तो वह स्वयं वहां इस प्रकार का काम कर सकते थे और जनता को लाभान्वित कर सकते थे, लेकिन खेद है कि अधिकारियों द्वारा जो काम किया गया उस का भी विरोध हुआ और वहां विरोध कर रहे हैं।

एक सदस्य—शर्म शर्म।

श्री रामसूरतप्रसाद—शर्म आप को आती नहीं केवल शब्द का उच्चारण करना आता है। हमारे माननीय मंत्री जी ने जब से यह कार्यभार सम्भाला है तब से उन्होंने हर प्रकार के सक्रिय कदम उठाये हैं और विभाग में हर तरह की प्रगति हुई है और मद्यपान की प्रवृत्ति में भी कमी आई है। यह कहना भी अनुचित न होगा कि अभी हाल में १४ आबकारी सुपरिन्टेंडेण्ट, १४ क्लर्क और २८ आबकारी पियस के स्थान अभी क्रियेट कराये गये हैं। इसी उद्देश्य से कि जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको रोका जाय। इस विभाग में अभी तक ऐक्साइज इंस्पेक्टर की तरक्की के लिये कोई रास्ता नहीं था। मंत्री जी ने सुपरिन्टेंडेंट की पोस्ट क्रिएट करके ऐक्साइज इंस्पेक्टर्स को प्रोत्साहन दिया है।

एक प्रोहिबिशन ऐडवाइजरी कमेटी भी सरकार ने नियुक्त की है जिसके अध्यक्ष श्री रामस्वरूप यादव, उप-मंत्री, गृह विभाग हैं और ४,५ सदस्य हैं। यह समिति ११ जिलों में जहां मद्यनिषेध है तथा तीन शहरों में जो तीर्थ स्थान हैं उनकी जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी कि नाजायज तरीके से जो मद्यपान होता है उसको किस प्रकार से रोका जाय। इन सब चीजों की ओर सरकार का ध्यान गया है।

मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस विभाग में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं और अच्छे कर्मचारी हैं उनकी ओर जब ध्यान आकर्षित किया जाता है तो वह स्वयं तो उचित ध्यान देते हैं, लेकिन उनके विभाग के उच्च अधिकारी थोड़ी शिथिलता करते हैं। इसलिये मंत्री जी उधर भी ध्यान दें जिससे अधिक कल्याण हो सके।

***श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, जो कटौती का प्रस्ताव देवनारायण भारतीय जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस सदन में कल से एक अजीब वातावरण प्रस्तुत किया गया है। आज भी मैं देखता हूं कि कुछ लोग उसके शिकार हो रहे हैं। आबकारी सम्बन्धी सरकार की नीति पर जब यहां विचार हो तो मैं सदस्यों से कहूंगा कि एक व्यक्ति विशेष, मंत्री के अच्छा या बुरे होने से उसका अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

बहुत से लोग ऐसा समझ बैठे हैं कि अगर सरकार की आबकारी सम्बन्धी नीति की निन्दा या भर्त्सना हुई तो शायद डाक्टर सीताराम जी की व्यक्तिगत निन्दा हो रही है। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि इस सदन का कोई भी सदस्य अगर हरिजन मंत्री को सम्मान देना चाहते हों तो हम किसी से पीछे नहीं हैं। हम कई बार कह चुके हैं और कल हमारे उग्रसेन जी ने स्पष्ट ही कह दिया था कि अगर इतना प्रेम हो और हरिजनों को उठाने की बात की जाती है तो क्यों नहीं डाक्टर सीताराम को मुख्य मंत्री बना दिया जाता ? मैं आज भी वही कहता हूं कि यदि डाक्टर सीताराम जी को मुख्य मंत्री बना दिया जाय तो मुझे खुशी होगी।

श्री उपाध्यक्ष—विषय पर आइये।

श्री राजनारायण—मैं विषय पर आ रहा हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पर विवाद हो तो अच्छा है। गांधी जी का नाम क्यों न लिया जाय ? जो नए नए लोग आये हैं उनको गांधी जी के नाम से चिढ़ हो सकती है। मगर महात्मा गांधी का नाम हिन्दुस्तान में हर साधु सम्मत वाला व्यक्ति लेगा। वह एक प्रतीक हुए हैं, शराब बंदी आन्दोलन उनके नेतृत्व में चला है। तो क्या जब किसी सदन में शराब बंदी पर विचार होगा वहां पर गांधी जी का नाम नहीं लिया जायगा ? देखा जाय कि आज यहां जिस रूप में कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है, कांग्रेस नहीं, क्योंकि कांग्रेस संस्था १९४८ से पूर्व, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व, कांग्रेस नाम था, उसमें सभी पार्टीज सम्मिलित थीं, वह एक राष्ट्रीय मंच था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस पार्टी हो गई, एक राजनीतिक दल हो गई जिस तरह से अन्य सभी राजनीतिक दल हैं। अब उसमें कोई दूसरी राजनीतिक पार्टियों का सदस्य शामिल नहीं हो सकता। इसलिये जो सम्मानित सदस्य यहां पर बोलें इस पर विचार कर लिया करें कि वे लोग क्या कह रहे हैं। इसी कांग्रेस सरकार के शासन में जब यहां पर सन् ४८ में बिक्री-कर लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही थी तो सरकार की ओर से किस उद्देश्य व कारण की घोषणा हुई थी, थोड़े में मैं उसे अंग्रेजी में पढ़ देना चाहता हूं :—

"The following extract from the statement of objects and reasons may be usefully noted :—

> State Govenment have started an extensive programme for economic and cultural development of the State. At the same time owing to prohibition, income from Excise is likely to shrink gradually. For the above two reasons and also due to the expanding activities of Government in other directions which have considerably increased the expenditure, it has become necessary to augment the revenues of the State by additional taxation."

साफ इसमें लिखा गया कि हम बिक्रीकर क्यों लगा रहे हैं। बिक्रीकर इसलिये सरकार लगा रही है कि सरकार चाहती है कि प्रान्तव्यापी शराबबन्दी योजना को कार्यान्वित करे। मैं पूछना चाहता हूं कि सन् ४८ से जिस उद्देश्य को ले कर बिक्रीकर लगाये जाने की नीति यहां अपनाई गयी उससे क्या शराबबन्दी से सरकारी आमदनी में कमी हुई ? शराब अगर खराब चीज है और उस खराब चीज को एक बारगी सरकार बन्द नहीं कर पा रही है तो उससे आमदनी बढ़ाने का मोह आज इस सरकार को क्यों है और अगर मोह नहीं है तो सरकार गलत कहती है। मेरा कहना है कि सरकार को मोह है और वह इसलिये कि लगातार इस आबकारी विभाग से सरकारी राजकोष बढ़ता जा रहा है। सरकार की निश्चित रूप से यही पालिसी रही है कि सरकारी कोष में आबकारी से आमदनी बढ़े। यह सरकार निश्चित रूप से महात्मा गांधी के सिद्धान्तों की हत्या करने पर तुली हुई है और उसको कार्य रूप में परिणत करती चली जा रही है। पार साल और इस साल का अन्तर देखा जाय तो ५ करोड़ ४६ लाख के बजाय ५ करोड़ ६६ लाख आमदनी हो गयी है। २० लाख इस साल बढ़ गयी।

अगर देखा जाय तो आप यही पायेंगे कि हर साल शराब की आमदनी बढ़ती चली जा रही है। जहां ५९-६० में राज्य आबकारी देशी शराब ब्यौरेवार लेखा संख्या ८-क के अन्तर्गत आमदनी ३ करोड़ ३७ लाख थी वहां ६०—६१ में ३ करोड़ ५२ लाख की अनुमानित आय होने का प्रस्ताव है। तो हर तरह से सरकार आबकारी के जरिये से सरकारी आमदनी में वृद्धि करती चली जा रही है।

कांग्रेस बेंचेज की ओर से कहा जाता है कि सरकार कुछ उदाहरण तथा प्रचार के लिये काम करती है तो उन बातों को भी जरा देखा जाय। मेरे पास ५६-५७ और ५८ के आंकड़े मौजूद हैं। हाइड्रोजिनेटेड अल्कोहल जहां ५७ में ८,०५५ हजार गैलन बिका वहां ५८ में १०,६८७ हजार गैलन बिका। इसी प्रकार ५७ में जहां रेक्टिफाइड स्प्रिट २,४६१ हजार गैलन बिकी वहां ५८ में ३,४९२ हजार गैलन बिकी। जहां ५७ में पोटेबिल स्प्रिट १,१६३ हजार गैलन बिकी वहां ५८ में १,४६६ हजार गैलन बिकी। समस्त टोटल ५७ में ११,६७९ हजार गैलन था तो ५८ में वह १५,६४५ हजार गैलन हो गया। इतना फर्क हुआ। तो लगातार शराब के उत्पादन में वृद्धि होती चली जा रही है।

शराब के उत्पादन में वृद्धि हो और यह सरकार यह भी कहे कि हम शराबबन्दी की योजना चला रहे हैं तो यह कितनी बड़ी विडम्बना है, कितना बड़ा परस्पर विरोध है। आगे चल कर यह भी आप देखें कि सरकार की ओर से एक पुस्तिका बंटी हुई है मद्यनिषेध की। मैं जरूर कहना चाहता हूं एक वाक्य "एक हरिजन कांग्रेसी मंत्री और एक वशिष्ठी ब्राह्मण कांग्रेसी मंत्री।" मैं डाक्टर सीताराम जी से व्यक्तिगत तरीके से कहूंगा। डाक्टर सीताराम जी अपने तदनुरूप अपने विभाग को ले चलने में असमर्थ हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हरिजन का उत्थान शराब बढ़ने से होगा या शराब घटने से होगा? हमें गलत और भ्रामक आंकड़े न दिये जायं। वस्तु-स्थिति का दुराव न किया जाय बल्कि उसको प्रकाश में लाया जाय। सन् १९४२ में कितनी शराब की बिक्री थी? ३ लाख गैलन। सन् १९४६ में १३ लाख गैलन तक हुई। इसके बाद ११ लाख गैलन हुई और फिर ९ लाख गैलन हुई। सरकार जब तुलना करती है तो सन् १९४६ से करती है जबकि १३ लाख गैलन शराब की बिक्री हुई थी। वह लड़ाई का जमाना था और न मालूम किस किस ढंग से शराब की खपत होती थी। तो आंकड़े की तुलना जब सरकार करती है तो सन् १९४६ से सन् १९५८—५९ का करती है। क्यों न सन् ४०, ४१, ४२ के आंकड़ों से तुलना की जाय और तब देखा जाय कि उस समय से शराब की बिक्री में वृद्धि हुई है या नहीं। और मेरा कहना है कि ३ गुना वृद्धि हुई है।

गांजे के बारे में अब जरा देखिये। जहां ४०,२८१ सेर गांजा सन् १९४६—४७ में बिका वहां सन् ५८—५९ में सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल १८५ १/४ सेर गांजा बिका। गांजे की बिक्री में इतनी कमी हो गई। मैं इस विभाग से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि ४०,२८१ सेर से गांजे की बिक्री घट कर केवल १८५ सेर ही रह गई? यह दुराव है, यह छिपाव है। इससे भ्रष्टाचारिता को प्रोत्साहन मिलता है। अभी मैं मिर्जापुर गया था। वहां जो हैबिचुअल गांजा पीने वाले हैं उनको परमिट से मिल जाता है। मैं जा कर वहां पास में बैठा तो देखा कि जितना गांजा कोई चाहे ले सकता है। यह मैं अहरौरा बाजार की बात कहता हूं। जो अखबारों में निकलता है कि इतना गांजा पकड़ा गया अगर उसी को जोड़ा जाय तो न जाने कितना हो जाता है। आखिर वह सब कहां जाता है?

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मैं इस सरकार की आबकारी सम्बन्धी नीति के विरोध में सोशलिस्ट पार्टी क्या कदम उठायेगी उससे इस सदन को अवगत करा देना चाहता हूं। हो सकता है कि पहली मई, सन् ६० से हमारे सत्याग्रह का एक यह भी अंग हो कि शराब की दूकानों पर पिकेटिंग करें जैसा महात्मा गांधी के जमाने में करके देश की जनता को जगाया और अंग्रेजों के राजमुकुट को गिराया। तो यह भी एक अपना कार्यक्रम सोशलिस्ट पार्टी रखने जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष--समय समाप्त हो गया।

श्री मान्धाता सिंह (जिला बलिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो इस सदन में कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी भारतीय जी ने खड़े हो कर इस सरकार की आबकारी नीति को दुरंगी नीति कहा। उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि भारतीय जी को अभी विशेष रूप से मालूम नहीं है। मैं बतला देना चाहता हूं कि सन् १९३८ में ही जब लोकप्रिय मंत्रिमंडल हमारे इस प्रदेश में कायम हुआ था उसी वक्त उन्होंने अपनी आबकारी नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया था और उसी समय से महात्मा गांधी के बतलाये हुये मार्ग पर कायम रहने के लिये ७ जिलों में नशाबन्दी करने का एलान कर दिया था। उसके बाद से उनके सामने यह चीज कभी भी नहीं है कि हम आबकारी के महकमे से अपनी आमदनी बढ़ायें। इसके बाद जब १९४७ में हमारी लोकप्रिय सरकार कायम हुई और देश को आजादी हासिल हुई उस समय से उसने अपना काम शुरू किया और नशाबन्दी के बारे में जो काम किया गया है। वह काफी प्रशंसनीय है। अंग्रेजों ने सदियों से हमारे देश में आबकारी विभाग को आमदनी करने का जरिया बना रखा था और जनता के अन्दर नशा पीने की कुप्रथा फैल गई थी, इसलिये जनता के हृदय को परिवर्तित करके, नशे की आदत को दूर करने के लिये हमारी सरकार ने आन्दोलन शुरू किया और जगह-जगह जैसा कि इस किताब से मालूम होता है, यह प्रचार करना शुरू किया और लोगों को समझाना शुरू किया कि नशाखोरी से मुल्क बरबाद हो सकता है, समाज की व्यवस्था खराब हो सकती है और लोगों की दशा खराब हो सकती है, इस चीज को सामने रखकर हमारी सरकार ने इस पर अमल करना शुरू किया। यह जो कुप्रथा फैल गई है इसको एक दम बंद कर देना असम्भव है। अभी राजनारायण जी ने बताया कि नेपाल से गांजा आता है जो ब्लैक में बेचा जाता है और इसमें भ्रष्टाचार काफी है इसलिये अगर प्रतिबन्ध लगाकर एक दम दुकानें बन्द कर दी जायंगी तो नतीजा यह होगा कि लोग चोरी से पीना शुरू कर देंगे। इसलिये सरकार का यह खयाल है और वह यह चाहती है कि लोगों के बीच में जाय, उनको समझाये और उनके हृदय में परिवर्तन लाकर उनके दिल से नशाबन्दी की आदत निकाल दे। इसको मद्देनजर रखकर सरकार ने काम शुरू किया है।

अब रह गया सवाल भ्रष्टाचार का। उसके सम्बन्ध में यह है कि मंत्री महोदय को विभाग की सारी बातों को देखने का मौका नहीं मिलता है। उन्होंने नशाबंदी आंदोलन में बहुत काम किया है। लेकिन इस विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी ओर में मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार की जो इस सम्बन्ध में नीति है उसको ईमानदारी के साथ कार्यरूप में यह लोग परिणत नहीं कर रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार फैल रहा है। जहां तक छोटे कर्मचारियों का सवाल है उनके ऊपर भी काफी सख्ती होती है....

श्री उपाध्यक्ष--समय समाप्त। (श्री गेंदासिंह जी का नाम पुकारने पर) आपको केवल ५ मिनट का समय है।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--५ मिनट का समय हमें भी दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--गेंदासिंह जी की बात सुन लीजिये।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय बंशीधर जी, ५ मिनट में हमें ऐसी बातें कहनी हैं जो आपके इंटरेस्ट की भी हैं इसलिये अगर आप सुन लें तो अच्छा होगा।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी मिनिस्टर की सिंसियारिटी में डाउट करना या दूसरी बात कहना, हमारा मकसद नहीं है। हमारा कुछ व्यक्तिगत संबंध भी उनसे है, इसलिये मैं समझता हूं कि मैं जो भीतरी खयाल रखता हूं उसको न कहूं तो अच्छा है। लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट का उनके हाथ में आने से बिगाड़ नहीं हुआ है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और अगर कुछ बना हो तो मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं। यह विभाग उनके हाथ में आने के बाद बिगड़ा नहीं है बल्कि बहुत पहले का बिगड़ा हुआ है और इसको बनाने के लिये बहुत कोशिश की जरूरत है और साहस की आवश्यकता है।

मैं एक बात जरूर सोचता हूं कि शराब पीने का काम जब गरीब आदमी शुरू करता है यानी शराब पीता है तो उसको शराब पीना कहा जाता है लेकिन यदि कोई धनवान आदमी पीता है तो इलाज कहा जाता है और आदमी को बुद्धि और शक्ति देने वाली चीज कही जाती है, गरीब आदमी जब पीता है तो उसको बरबाद करने वाली चीज कहा जाता है। मैं समझता हूं कि उधर के बैठने वालों को इस बात को सोचना चाहिये कि यह रास्ता मदिरा छुड़ाने का नहीं है जो रास्ता वह पकड़े हुये हैं, बल्कि वह रास्ता यह है कि सारे देश के आर्थिक ढांचे को बदलना होगा। इस पुस्तिका में भी यह बात लिखी हुई है, जन्म संस्कार के पहले से लेकर और मरने तक जो पिछड़े लोग हैं उन में मदिरापान अधिक तादाद में पाते हैं। अगर उनका आर्थिक उत्थान हो तो वह भी इलाज ग्रहण करने लगेंगे और जिस तरह से ऊंचे लोगों को कोई नीची निगाह से नहीं देखता उसी तरह से वे भी नीची निगाह से नहीं देखे जायेंगे और जिस प्रकार सारे संसार में अनेक दृष्टियों से नहीं देखा जाता है सम्भव है कि हमारे देश में भी अनेक प्रकार की दृष्टि से न देखा जाय। मैं न गांधी जी की दुहाई देना चाहता हूं और न किसी की दुहाई देना चाहता हूं। पर मैं समझता हूं कि इस को बिलकुल नये दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है।

मैं एक बात की तरफ माननीय डाक्टर साहब और सदन का भी ध्यान ले जाना चाहता हूं, इस पुस्तिका में हमेशा शीरे की भी चर्चा होती थी कि उस शीरे का सरकार किस प्रकार उपयोग करती है। उसमें हम को कुछ ऐसा मौका मिल जाता था, कि हम उस पर कुछ कह सकें। अब की मर्तबा मुझे नहीं मालूम कि डिपार्टमेन्ट ने यह क्यों मुनासिब समझा कि उस की चर्चा इसमें न करें। मैं समझता हूं कि उसकी चर्चा करने में कुछ कठिनाई है। मैं उनके डिपार्टमेन्ट को चार्ज करता हूं कि गत वर्ष, जो वर्ष गुजरा है, इसका बाजार मंहगा रहा। बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी ने डेढ़ रुपया मन शीरा बेचा और तीन-चार करोड़ मन शीरा पैदा होता है। इसमें से आधा शीरा गवर्नमेन्ट ले लेती है और उसको कंट्रोल प्राइस पर स्पिरिट बनाने के लिये फैक्टरियों को देती है और आधा मिल वालों को छोड़ देती है। इस प्रकार कुछ मोटे लोगों को मुनाफा कमाने का मौका देती है। सरकार को यह साफ करना चाहिये कि डेढ़ रुपये के स्थान पर चार आने मन पावर अल्कोहल बनाने के लिये क्यों दिया जाता है और इससे क्या फायदा हुआ? जरा डाक्टर साहब इसका स्पष्टीकरण करें। दूसरे यह कि जो शीरा उससे बच जाता है उसका क्या हाल है, उसकी कीमत क्या है?

मैं निवेदन करूं, इस शीरे की बिक्री से पिछले जमाने में लाखों रुपये इकट्ठे हुये सरकारी खजाने में। १९५० में बड़ी रकम इकट्ठा हुई थी। अगर साढ़े तीन करोड़ मन शीरा पैदा होता है और डेढ़ रुपये के हिसाब से दाम लगायें तो अन्दाजा करें कि कितनी बड़ी रकम होती है। मैं जानना चाहूंगा कि एक्साइज कमिश्नर साहब की तरफ से पिछले वर्ष कोई सुझाव आया कि इस शीरे का किस तरह से इस्तेमाल किया जाय, किस को रिलीज कर दिया जाय और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाय? अगर मिनिस्टर साहब के पास उनकी तरफ से कोई सुझाव आया हो तो मैं जानना चाहता हूं। अगर नहीं आया है तो मैं शुबहे की दृष्टि से देखता हूं क्योंकि डेढ़ रुपये मन का शीरा चार आने में बिक जाय और एक्साइज कमिश्नर साहब को यह पावर हो कि किसी भी फैक्टरी को रिलीज कर दें। मुझे मालूम है कि कुछ फैक्टरियों को शीरा रिलीज हुआ। मैं समय न होने के कारण उनका नाम नहीं ले सकता। इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि पिछले साल कितने शीरे की खपत हुई स्पिरिट बनाने में और कितना मिलों के हक में रिलीज किया गया और वह क्यों रिलीज किया गया?

अन्त में इतना ही कहकर खत्म करता हूं कि यह इलाहाबाद की हालत, जो मैंने इस किताब में देखी है, मुझे कुछ जंची नहीं। पिछली योजना में इलाहाबाद में जो तय किया गया और जो

[श्री गेंदासिंह]

गवर्नमेन्ट की पालिसी है उसके उलटे यह विभाग चलता है। जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब और एक्साइज कमिश्नर का घर है वहीं पर क्यों सारे अपराध होते हैं, यह हमको बताने की जरूरत है।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है और इस कटौती पर बोले हैं, मैं उन सभी का अनुगृहीत हूं लेकिन मैं समझता यह हूं कि जो मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है वह बिलकुल अपनी जगह पर ठीक है। माननीय सदस्य, गोरखपुर ने कुछ बातें कहीं। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं १९४७ के बाद का कांग्रेसी नहीं हूं। सन् १९४७ में यों मैंने कांग्रेस छोड़ दी थी। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने १९२०-२१ में शराब की दुकानों पर पूज्य बापू की आज्ञा से पिकेटिंग की थी। उसके बाद भी जब-जब शराबबन्दी का आन्दोलन चला तो मैं सब से आगे रहा हूं। कभी किसी से पीछे नहीं रहा हूं। माननीय मान्धाता सिंह ने सन् १९३६ की बात कही कि १९३६ में लोकप्रिय सरकार बनी और तब उसने ७ जिलों में नशाबन्दी की। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य, बलिया को यह बतलाना चाहता हूं कि मैं भी उस लोकप्रिय सरकार का सदस्य था। मैं भी उन लोगों में से था जिनके हाथ से उन ७ जिलों में नशाबंदी हुई थी। उस समय मैं भी इस माननीय सदन का कांग्रेसी सदस्य था।

मैं समझता हूं कि जिन जिलों में नशाबन्दी लागू की गई है वहां से सरकार की आमदनी में तो जरूर कमी हुई है जो कि सरकार के खजाने में आती थी लेकिन वहां पर शराब का नाजायज तरीके पर बनना बन्द नहीं किया जा सका, जिससे वहां के आबकारी के कर्मचारियों को, जितनी राज्य सरकार को आमदनी होती, उससे ज्यादा आमदनी होने लगी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मद्यनिषेध के प्रोग्राम को मजबूती के साथ चलाया जाय। अभी ११ जिलों में शराबबन्दी लागू है, परन्तु इतना पर्याप्त नहीं है। इसे आप प्रान्त भर में हर जिले में लागू कीजिये। आबकारी राजस्व की कमी की ओर ध्यान न दीजिये। आमदनी को सिद्धांत पर कुर्बान कर दीजिये, तभी मद्यनिषेध की नीति में आप सफल हो सकेंगे। वहां पर इसको पहले लागू करने की जरूरत है। इसमें मैं लखनऊ का नाम पहले लेना चाहता हूं, जहां की नशाबन्दी की सफलता देख कर दूसरे जिले शिक्षा ग्रहण करें। अगर नशाबन्दी करना है तो उसको लखनऊ से शुरू किया जाय। साथ ही इस बारे में तमाम सरकारी कर्मचारियों पर कठोर नजर रखने की जरूरत है जिससे वह स्वयं नशाबाजी और भ्रष्टाचार को पुष्ट करने की कोशिश में न लगें और जो मद्यनिषेध का प्रोग्राम है उसको सफल बनाने की कोशिश करें। यही मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करने का उद्देश्य था और इसी पर मैं फिर बल देता हूं। मुझे आशा है कि मेरे कटौती के प्रस्ताव को मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री बंशीधर शुक्ल—मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि हमारे लखीमपुर जिले में सरकार की तरफ से शराब बनाने की इजाजत है और उस सम्बन्ध में वहां पर बहुत से लोग गिरफ्तार कर लिये जाते हैं। उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है.....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठ जाइये। यह प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री बंशीधर शुक्ल—मुझे अपने जिले की बात को असेम्बली में कहने का अवसर नहीं मिलता है। यहां पर नशाबन्दी की बातें कही जाती हैं लेकिन मेरे जिले लखीमपुर की बात नहीं सुनी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

***डाक्टर सीताराम**—उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों की बातें सुनने का मौका मिला, इसके लिये मैं सदन के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। कल और आज बहुत से माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्यों ने अपनी अच्छी-अच्छी बातें यहां पर रखने का प्रयास किया है। विरोधी दल के करीब ९५ फीसदी सदस्यों ने कल से हमारे बजट की अच्छी तरह से प्रशंसा की है। हो सकता है कि एक या दो सदस्य और हों जिन्होंने कुछ दूसरी तरह से कहा हो, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है, मैं आप के समक्ष साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि किसी भी मंत्री के लिये जाति का प्रयोग नहीं किया जाता। माननीय राजनारायण जी, जो एक पुराने नेता हैं और जिन्होंने देश और समाज के लिये त्याग किया है, उन्होंने जो फलां-फलां हरिजन मंत्री हैं, आदि बातें कही हैं, वह उनकी विचारधारा की द्योतक हैं। जातीयता के नाम पर वह अपनी विचारधारा को यहां रखना चाहते हैं। यह गलत है। भारत के संविधान के अन्तर्गत हरिजन शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मैं माननीय राजनारायण तथा अन्य दूसरे सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हरिजन शब्द यहां प्रयोग न किया जाय। केवल परिगणित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट का उल्लेख किया जाय। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की भावना फैला कर जनता के बीच में इस प्रकार की बात लायी जाय कि हरिजन इतने नीचे स्तर के हैं। मैं सदस्यगण से कहना चाहता हूं कि हमने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपने देश की आजादी हासिल की है। हम डाक्टर सम्पूर्णानन्द तथा पं० जवाहर लाल जी के आभारी हैं कि जिनके नेतृत्व में हम हरिजन उंचे उठ रहे हैं। हमने, किसी से कम रहे हैं और न रह सकते हैं। इंसान को समय मिलना चाहिये। जब इंसान को समय मिलता है, तो उसकी मनोवृत्ति बढ़ती है, वह ऊपर उठने का प्रयत्न करता है और उन्नति करने के लिये सक्रिय हो जाता है.....

श्री राजनारायण—इसीलिये मैंने कहा था कि मुख्य मंत्री बना दिया जाय।

डाक्टर सीताराम—धन्यवाद! कि आपके मुंह से यह बात निकली। मैं सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं। जनसंघ आदि पार्टियों ने भी परिवहन विभाग की प्रसंशा की, लेकिन भावनाओं से ओतप्रोत हो कर जिन माननीय सदस्यों ने अपनी विचारधाराओं का इस सदन में प्रदर्शन किया है, वह मैं समझता हूं, वांछनीय नहीं है।

अब मैं विषय पर आता हूं। माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह खराबियां हैं, यह होता है। लेकिन उस के साथ ही भारतीय जी ने यह नहीं बतलाया कि सरकार आखिर किस पालिसी को अपनाये। टोटल प्राहिबिशन सरकार करे या न करे। उन्होंने दोनों के लिये कहा कि सरकार आमदनी बढ़ा रही है और इस तरह से प्राहिबिशन की बात नहीं कर रही है (व्यवधान)

श्री राजनारायण—बहुत से प्वाइंट हैं, आप....

डाक्टर सीताराम—मैं एक-एक प्वाइंट पर एक-एक दिन डिस्कशन कर सकता हूं.....(व्यवधान)

श्री राजनारायण—आपने क्या समझ रखा है?....आप क्या बात कर लेंगे?....

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिये। राजनारायण जी, आप बैठिये।

श्री राजनारायण—हरिजन सहायक विभाग क्यों रखा गया है? वह इसी सरकार का विभाग है और आप उस के एक मंत्री हैं। उसे समाप्त कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिये।

डाक्टर सीताराम—जिस तरह की बात उन्होंने कही है वह हरिजनों की मनुष्यता पर....(व्यवधान)

श्री राजनारायण—आप मनुष्यता जानते नहीं हैं..... (व्यवधान)

डाक्टर सीताराम—मैं यह साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि....

श्री राजनारायण--मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हरिजन शब्द का प्रयोग यहां नहीं होना चाहिये ....

श्री उपाध्यक्ष---उनकी राय है कि नहीं होना चाहिये।

श्री राजनारायण---इस सरकार का हरिजन कल्याण विभाग है या नहीं ?

डाक्टर सीताराम---मैं कहना चाहता हूं कि हरिजन सहायक विभाग है लेकिन आपने जिस तरह से....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से सदन में बड़ा शोर होने लगा।)

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी आप विषय पर बोलें ।

श्री राजनारायण---विधान की व्याख्या से.....

श्री उपाध्यक्ष---मैं तीन बार कह चुका हूं। बिना इजाजत इस तरह से बोलने का कोई तरीका नहीं है। अभी छोड़िये। बाद में देखा जायगा।

श्री राजनारायण---मैं यह कहना चाहता हूं कि जो परम्परा रही है सदन में, वह निभनी चाहिये। अगर आप चाहते हैं कि आप पर जो श्रद्धा है हम लोगों की, उसकी बिना पर आप दबा दें....

श्री उपाध्यक्ष---मैं बेजा श्रद्धा नहीं चाहता। आप अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद मैं आपको कुछ कहने की इजाजत नहीं देता। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राजनारायण---हम को पर्सनल एक्सप्लेनेशन का हक है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठें। मैं उनको भाषण देने के लिये कह चुका हूं।

श्री राजनारायण---मैं व्यवस्था के लिये पूछ रहा हूं। पर्सनल एक्सप्लेनेशन का अवसर है या नहीं ? (व्यवधान)

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब एक स्पीकर बोल रहा हो तो क्या बीच बीच में बिना उपाध्यक्ष की आज्ञा के कोई इन्टरप्शन पैदा कर सकता है ? इनके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया बैठिये। (श्री राजनारायण से) आप कृपया बैठिये।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। हरिजन कल्याणकारी विभाग पर भाषण क्यों हो रहा है, वह अनुदान इस समय कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया बैठिये। माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

डाक्टर सीताराम---उपाध्यक्ष महोदय, तो भविष्य में हमें विचार करना होगा और जिन बातों को सदन में कहा गया है उनके बारे में कह देना मैं उचित समझता हूं। यह शराब का पीना किसी भी देश में अभिशाप की वस्तु मानी जाती है। जो व्यक्ति मद्यपान करता है वह समाज के लिये ही नहीं अपने परिवार के लिये भी अभिशाप की वस्तु बन जाता है।

श्री राजनारायण---आपके मंत्रिमंडल के सदस्य मद्यपान करते हैं। उनकी कारें तक पकड़ी गई हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी अपना भाषण जारी रखें। उनकी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आपने मंत्री जी से यह क्यों कहा कि इन बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है? आपकी ओर से यह इशारेबाजी नहीं होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी अपना भाषण जारी रखें। यह अनुचित है कि आप हर बार बिना आज्ञा के बोलने लगते हैं।

* * * *

डाक्टर सीताराम---अब यह कहा गया कि सरकार की जो नीति है वह असफल रही है। ११ जिलों में प्राहिबिशन किया गया और तीन धार्मिक स्थानों पर भी किया गया। ६ गजेटेड आफिसर भी इसके लिये काम करते हैं। और भी कर्मचारी इसमें काम करते हैं।

मद्य-निषेध योजना के अन्तर्गत जो कर्मचारियों ने कार्य किया है उसका ब्योरा भी मैं आप के सामने रखना उचित समझता हूं। इस योजना के अन्तर्गत सन् १९५८-५९ में १०,९५७ प्रचार सभायें करके इसका प्रचार किया गया। इसके अनुसार ११,७७६ व्यक्तियों ने नशे का त्याग किया और इस योजना को कार्य रूप में परिणत किया। संस्थाओं द्वारा भी ९८२ मैजिक लैन्टर्न भी दिखाई गईं। चल चित्रों द्वारा भी प्रचार किया गया। उसके लिये १०, १५ स्थानों पर कमेटियां बनायी गयीं। २१,१२४ मदिरा पीने वालों से सम्पर्क स्थापित किया गया। कुछ स्थानों पर स्लाइड्स प्राहिबिशन के बारे में दिखाई जाती हैं जैसा कि आपने सिनेमाघरों में देखा होगा। स्कूलों में छात्रों और अध्यापकों के द्वारा भी मद्य-निषेध की नीति को प्रस्तुत किया जाता है। १,३९८ पंचायतों से प्रदेश में सम्पर्क स्थापित कर के इस नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की गयी है। श्रमिक बस्तियों में, जैसे कानपुर में, काम किया गया है। हरिजन बस्तियों में, बाल्मीकि, हरिजन और परिगणित जाति के लोगों में भी काफी प्रचार किया गया है। साधुओं से भी सम्पर्क स्थापित किया गया। हरिद्वार जैसे मेलों में साधुओं से सम्पर्क स्थापित करके इस कार्य को काफी प्रोत्साहन दिया जाता है। जिलों में मद्यनिषेध सप्ताह मनाया जाता है जिसमें सभाएं करके, जलूस निकाल कर जनता में इस तरह की भावना लायी जाती है कि मद्य निषेध की योजना भी लागू किया जाय।

जहां तक और जिलों का प्रश्न है, मैं उस सम्बन्ध में यह कहना उचित नहीं समझता, क्योंकि उसके लिये अधिक समय की आवश्यकता होगी। भारतीय जी ने बताया कि जिन जिलों में मद्य-निषेध योजना लागू है वहां सरकारी कर्मचारियों की आमदनी होती है। उनको मैं आप के द्वारा यह साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि जिन ११ जिलों में मद्य-निषेध योजना लागू है वहां पर सिवाय कानपुर के अन्य जिलों में मद्य-निषेध के कार्य को देखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है। जहां तक एक्साइज डिपार्टमेंट की बात है, कोई भी अफसर उस तरह की बात नहीं करता है। मैं आप से स्पष्ट शब्दों में कह देना उचित समझता हूं कि जहां तक मद्य-निषेध योजना की बात है उस सम्बन्ध में आप देखें कि १९४६ और ४७ में जो केसेज पकड़े गये ११ जिलों में, उनकी संख्या १,५६२ थी, लेकिन १९५९ में वह संख्या ६,३७० है। कारण यह है कि सरकार की यह नीति है कि जो मद्य-निषेध वाले जिले हैं जब तक उनमें हम पूर्ण रूप से इसको कंसालिडेट न कर लें तब तक आगे बढ़ने की नीति ठीक नहीं हो सकेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्राहिबिटेड एरिया में स्मगलिंग और इल्लिसिट डिस्टिलेशन की बढ़ोत्तरी

(****) नोट---माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से यह अंश कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[डाक्टर सीताराम]

हो। यह १,५६२ जो केसेज की संख्या है वह उस वक्त की है जब ये ११ जिले वेट् थे, जब कि वहां शराब बिकती थी, अब १९५८-५९ में वह वेट् नहीं हैं, ड्राई हैं तो ६,३७० केसेज पकड़े गये। कारण यह है कि इन्सान को शराब पीने की भावना एक या दो दिन में नहीं छुड़ाई जा सकती। जब तक पूरा समाज उसके लिये सहयोग न करे तब तक यह मद्य-निषेध योजना दुनियां के किसी भी देश में कामयाब नहीं हुई है। यह बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे देश के कर्णधारों ने हमारे संविधान में प्रावीजन रख दिया है कि प्रान्तीय सरकारें मद्य-निषेध योजना को अग्रसर करें और उसी नीति के अन्तर्गत और उन्हीं सिद्धान्तों पर यह सरकार अमल कर रही है, लेकिन उसके साथ ही समाज का सहयोग आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो अन्य देशों का काफी भ्रमण किया है और उससे आप को काफी जानकारी है। मैं निहायत अदब से कहना उचित समझता हूं कि अमेरिका, जहां जनतंत्र और जमहूरियत और डेमोक्रेसी का नारा लगाया जाता है वहां २० साल तक प्राहिबिशन डिक्लेयर रहा, वहां तो इतना रेस्ट्रिक्शन था कि जो शराब पीता था वह चर्च में नहीं जा पाता था, उस की शादी नहीं हो सकती थी और इसके अलावा सरकारी कानूनों के जरिये काफी प्रतिबन्ध था, लेकिन फिर भी वहां पर २० साल के बाद वहां की सरकार को इस प्राहिबीशन की पालिसी को स्क्रैप करना पड़ा। अभी पारसाल यूनाइटेड नेशंस आर्गेनाइजेशन के प्राहिबीशन सेक्शन के डायरेक्टर जनरल हमारे यहां आये थे। उन्होंने यहां की कार्य प्रणाली और अफसरों की कार्यपटुता को देख कर जो प्रशंसा की वह अति वांछनीय है। लेकिन मद्यनिषेध के सम्बन्ध में जब तक जनता की भावना को नहीं बदला जायगा तब तक सफलता नहीं मिल सकेगी, कायदे कानून तो केवल रक्षा के लिये बनाये जाते हैं। इस नीति में जनता किस तरह से कोआपरेट करे उस के लिये प्रचार की आवश्यकता पड़ती है। माननीय सदस्यगण से हम अनुरोध करेंगे कि वह अपनी कान्स्टीट्युएन्सी में जनता से कहें कि वह शराब न पिये।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि गांजे की बिक्री कम हो गई है। उनका मतलब शायद यह था कि जब तस्कर व्यापार बढ़ा तब गांजे की बिक्री कम हुई। यह बात नहीं है। शायद माननीय सदस्य इस बात को नहीं जानते। मैं उनको सूचित करना चाहता हूं कि गांजा जो है...

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्या मतलब था उसको ठीक समझकर मन्त्री जी जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठें।

डाक्टर सीताराम—उपाध्यक्ष महोदय, १ अप्रैल, १९५६ से गांजा बन्द कर दिया। अब यह उन्हीं लोगों को मिलता है जिनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सर्टीफाई करता है, जो उसके मरीज हों। ऐसी स्थिति में जब गांजा बिल्कुल बन्द कर दिया गया तो उस की बिक्री का प्रश्न नहीं उठता।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी बजट में प्राविजन है कि एक्साइज में स्टाफ बढ़ाया जाय, प्राहिबिशन में भी स्टाफ बढ़ाया जाय और कुछ पोस्टें परमानेन्ट की जायं। जहां तक एक्साइज स्टाफ का सवाल है, स्मगलिंग को रोकने के लिये हमारे यहां ५ एनफोर्समेन्ट स्क्वाड हैं। नेपाल या तराई एरिया से जो स्मगलिंग होती है उस को रोकने के लिये गोरखपुर में हेडक्वार्टर है, मध्य प्रदेश से स्मगलिंग को रोकने के लिये झांसी में स्क्वाड है, उसी तरह से अलीगढ़ में राजस्थान से स्मगलिंग को रोकने के लिये स्क्वाड है और बिहार से स्मगलिंग को रोकने के लिये इलाहाबाद में स्क्वाड है। इस तरह से हमारे ५ स्क्वाड काम कर रहे हैं। इस साल के बजट में स्क्वाड्स की ऐक्टिविटीज को इन्टेंसीफाई करने के लिये ५ पिक-अप्स की व्यवस्था की गई है ताकि व काफी सतर्कता के साथ काम कर सकें।

एक माननीय सदस्य, श्री शुक्ल जी, ने लखीमपुर खीरी के बारे में कह दिया कि वहां पर शराब बनती है। एक जगह की दुकानों पर जो शराब बिकती है उस एरिया के लोग उस बोतल को दूसरी जगह नहीं ले जा सकते क्योंकि उसमें कलरिंग कर दी जाती है। यह व्यवस्था इसलिये की गई है कि उस एरिया में वही चीज बिके।

श्री भारतीय जी ने कहा कि शाहजहांपुर का किस्सा सबजुडिस है। वह सही है और उस सम्बन्ध में मैं बहुत कुछ कहना ठीक नहीं समझता हूं। यह भी सही है कि उन्होंने कमेटियों में और दूसरी जगह इस बात की चर्चा की है। उन्होंने यह भी कहा कि शाहजहांपुर के ढाई घाट के मेले में आबकारी का कोई प्रचार नहीं हुआ। लेकिन जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसी सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हम कह सकते हैं। यह सूचना जिला टेम्परेन्स बोर्ड के जरिये से मिली है। जैसा आपने कहा तो यह रिपोर्ट मेरे पास आई....

श्री उपाध्यक्ष—आप के तीन चार मिनट और रह गये हैं।

डाक्टर सीताराम—माननीय गेंदा सिंह जी ने मोलेसेज के प्रोडक्शन के बारे में कहा। मोलेसेज का प्रोडक्शन १९५५–५६ में १,०५,७३,२०९ मन हुआ, १९५६–५७ में १,८६,३०,०९३ मन, १९५७–५८ में ८९ लाख मन और १९५८–५९ में ८७ लाख मन हुआ। इसके लिये इस स्टेट में बहुत अच्छा स्कोप है। इसके बारे में अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है। १९५६ के ऐक्ट के अनुसार जो मोलेसेज बोर्ड बना हुआ है वह उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तय करता है। सदन के माननीय सदस्य भी उसके मेम्बर हैं।

अब रही पावर अल्कोहल की बात। यह मोलेसेज से बनाया जाता है। उसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों करीब-करीब बराबर हैं। इस समय तो उसकी कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन आगे चल कर हो सकती है, क्योंकि बरेली में सिंथेटिक रबर फैक्ट्री के लिये काफी एल्कोहल की आवश्यकता होगी। बंगाल में भी एक फैक्ट्री लग रही है, उसकी मांग भी गवर्नमेंट के पास आयी है। आंध्र गवर्नमेंट ने भी लिखा है कि उनके यहां की रेयन फैक्ट्री के लिये पावर एल्कोहल की मांग है। तो आगे चल कर इसकी समस्या हो सकती है।

इन चन्द शब्दों के साथ जिन माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये, उनके प्रति मैं अपना आभार प्रदर्शित करता हूं और भारतीय जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने कट-मोशन को वापस ले लें।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो लोग शराब पीते हैं उनको तो नशा आता ही है, लेकिन आज जो शराब का अनुदान प्रस्तुत हुआ है उससे ही इतना सुरूर हो गया है।

*श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं। मेरा यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। मालूम नहीं मेरे किस वाक्यांश से माननीय सीताराम जी ने यह भाव निकाला कि मैं हरिजनों को ब्राह्मण या कायस्थों से छोटा समझता हूं। मुझे पता नहीं, लेकिन इसका मुझे दुःख है कि मेरे किसी ऐसे वाक्य का उन्होंने ऐसा अर्थ निकाला। मैं श्रीमन् से निवेदन करूंगा कि मेरे ऐसे वाक्य को अगर कोई हो तो उसको कार्यवाही से नि काल दिया जाय। क्योंकि इस हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया है। यदि हरिजन शब्द से डा० सीताराम को चिढ़ है तो मुझे आश्चर्य है।

श्री उपाध्यक्ष—यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके बारे में माननीय राजनारायण जी को हमेशा कुछ भ्रम रहता है। पर्सनल एक्सप्लेनेशन में यह होता है कि माननीय मंत्री जी ने आपके बारे में अगर कोई बात कही है या फैक्ट्स के बारे में कही है तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष]

आप यह कह दें कि यह मैंने नहीं कहा। हरिजन शब्द के बारे में आप की और उनकी दो रायें भी हो सकती हैं। इस राय के सवाल पर कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जरा देखा जाय, आप जब अध्यक्ष पद पर आसीन हैं तो इस समय जो आप की व्यवस्था होगी वही चलेगी। मैं समझता हूं कि यदि मैं आप की जगह पर होता. . . .

श्री उपाध्यक्ष—आपने बतला दिया, अब आपका कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन हो तो बतला दें।

श्री राजनारायण—मेरा कहना यह है कि अगर मेरे बारे में यहां पर कोई भ्रम उत्पन्न किया जाय तो उस सम्बन्ध में मैं कैसे सफाई दूंगा, इसको आप थोड़ा-सा बतला दें।

श्री उपाध्यक्ष—आप वही कह देंगे कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही।

श्री राजनारायण—अगर आप सुनेंगे तभी तो ?

श्री उपाध्यक्ष—आप कहें।

श्री राजनारायण—मैं इस बात को साफ कह देना चाहता हूं कि सदन के किसी भी माननीय सदस्य को हमारे किसी वाक्य से यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि हम हरिजन को किसी से छोटा समझते हैं या जाति पांति की व्यवस्था को कायम करने का तनिक भी प्रयत्न करते हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष—आप वही रेपिटिशन कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, स्पीकर वही है जो कम से कम बोले। अगर हमारे किसी वाक्य से किसी को. . . .

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)— श्रीमन्, एक मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राजनारायण—दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने किसी भी स्तर पर यह बात नहीं कही कि माननीय डाक्टर सीताराम चूंकि हरिजन हैं इसलिये दूसरे मिनिस्टरों से हेय हैं। फिर अगर उन्होंने यह अर्थ लगाया तो हमारे साथ अन्याय किया।

इसके अलावा तीसरी बात यह है कि हरिजन शब्द कहने से अगर हमारे कुछ ऐसे सदस्यों को एतराज है तो डाक्टर सीताराम के विभाग की तरफ से ही जो किताब निकली है उसमें बार-बार हरिजन शब्द आया है, अच्छा हो कि वे उस को उसमें से निकाल दें और हरिजन शब्द का प्रयोग हमेशा के लिये वर्जित करा दें। लेकिन हमारी साधुता को दुष्टता न माना जाना चाहिये। मुझे बड़ा दुःख है कि हमने तो प्रयत्न किया डाक्टर सीताराम को बढ़ाने का, लेकिन वे अपने को गिराने को तैयार हैं, तो हम उनको रोक नहीं सकेंगे।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं प्रश्न उपस्थित करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

प्रश्न यह कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है। राज्य सरकार की मद्य-निषेध नीति की असफलता पर विवाद करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—डिवीजन की घंटी बजने पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री एस० जी० दत्त—श्रीमन्, इसी बीच में मेरा भी एक प्रश्न ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप अपना स्थान ग्रहण करें, इस समय डिवीजन चल रहा है।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—४२,

विपक्ष में—१३७ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी—लेखा शीर्षक ८—राज्य आबकारी के अन्तर्गत ९७,४५,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये, स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ —

पक्ष में—१२८,

विपक्ष में—४३ ।)

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न रह ही गया । वह यह है कि अभी तक सदन में इस समय तक पीने पिलाने और शराब का मामला चलता रहा और उसके बाद फिर जंगल में जाने की बात है । तो मेरा निवेदन है कि ऐसी आप व्यवस्था करें कि जब नशा उतर जाय तब जंगल में जायं क्योंकि शाम को प्रिन्टिग का अनुदान है अन्यथा जंगल में ही सब भूल जायेंगे ।

श्री एस०जी० दत्त—मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है । आज नशाबन्दी का अनुदान था और बहुत जोश खरोश भी रहा । कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनको नशा अभी तक चढ़ा हुआ है । इसलिये मैं चाहूंगा कि डाक्टर को बुलवा कर एग्जामिनेशन करवा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—आप पहले अपने से शुरू कीजिये । (हंसी)

अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन

श्री उपाध्यक्ष—वन अनुदान के लिये मैंने समय रखा था साढ़े बारह से साढ़े तीन बजे तक । लेकिन कुछ लोगों को दिलचस्पी है तो ४ बजे या साढ़े चार बजे तक का समय कर दिया जाय ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—एक घंटा समय और बढ़ा दिया जाय क्योंकि इधर कई साल से प्रिन्टिग पर बहस नहीं हुई है तो उस पर भी बहस हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---समय बढ़ाने का सवाल नहीं है अभी । इसी में से समय निकल सकता है । इसलिये मैं ४ बजे तक वन अनुदान के लिये समय रखता हूं और ४ बजे से ५ बजे तक प्रिन्टिग और स्टेशनरी का अनुदान चलेगा ।

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५---वन---लेखा शीर्षक १०---वन के अन्तर्गत २,८६,५३,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०--६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वन विभाग का जब भी बजट सदन में आता रहा है माननीय सदस्यों की सहानुभूति रहीं है और सदा सदन ने यह विचारधारा रखी है कि जितना अनुदान वन विभाग को दिया जा रहा है.....

श्री राजनारायण(जिला वाराणसी)---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री जी किस हैसियत से वन अनुदान प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---मुझे मंत्री महोदय ने इजाजत दी है कि मैं उनके बिहाफ में इस अनुदान को प्रस्तुत करूं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आप जरा उस इजाजत को देख लें क्योंकि उन्होंने कहा है कि लिखित इजाजत दी है ।

श्री उपाध्यक्ष----उन्होंने कहा है कि इजाजत दी है, लिखित इजाजत के बारे में नहीं कहा ।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---इजाजत का कोई प्रश्न ही नहीं है । कोई भी हममे सें पेश कर सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष---यह ठीक है । उन्होंने किसी विशेष आदमी से निवेदन किया होगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---मैं कह रहा था कि सदन ने सदा यह विचारधारा रखी है कि यह विभाग हमारे देश के उत्थान का विभाग है । इसके लिये जो भी अनुदान दिया जा रहा है वह आवश्यकता के मुताबिक बहुत कम है और इसी विचारधारा के अन्तर्गत मैं सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि इस विभाग से सरकार को ५६२ लाख रुपया सालाना की आमदनी होती है और अनुदान केवल २८६ लाख रुपये का मांगा गया है । मुझे विश्वास है कि सदन को इसको जरूर स्वीकार करेगा ।

मगर इस अवसर का फायदा उठाते हुये मैं थोड़ी बातें बताना चाहता हूं । मैं अधिक समय तो नहीं लूंगा क्योंकि आशा है कि माननीय सदस्य कई किस्म की विचारधारा सरकार के समक्ष रखना चाहेंगे और सरकार भी उनसे लाभ उठायेगी । इसलिये मैं थोड़ी बातें ही बताना चाहता हूं ।

माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि इस विभाग का निर्माण १८६८ में हुआ । सबसे पहले १८६८ में एक ट्रेड आफिसर वन विभाग का कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया । उससे पहले वन विभाग जितना था वह नो मैन्स प्रापर्टी होती थी, कोई नियंत्रण उस पर नहीं था और जो जितनी वन की सम्पत्ति काम में लाना चाहता था, ला सकता था ।

सन् १८७८ में पहले पहल इन्डियन फारेस्ट ऐक्ट पास किया गया । उसके तहत यह विभाग तब से अब तक काम कर रहा है । १०० वर्ष का इस विभाग का इतिहास है । इससे पहले यह विभाग नहीं था और न कोई एफारस्टेशन की स्कीम ही चलती थी और न साइंटिफिक तरीके से वन विभाग काम करता था जैसे कि आज कर रहा है ।

अब मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वन विभाग को हमने तीन टुकड़ों में बांटा है जिसमें कि वह काम कर रहा है । हिमालय की जो सबसे ऊंची-ऊंची श्रेणियां

हैं वहां जंगल नहीं उग सकते। १० हजार फुट तक की बुलन्दी तक ही हमारे जंगल उगते हैं। हिमालय पहाड़ की जो रेंज ४ हजार से ले कर १० हजार फुट की बुलन्दी तक है वहां चीड़ व देवदार, कैलफर, कौनीफोरस वृक्ष लगाये जाते हैं। इसी भूभाग में हमारे सारे जंगल हैं।

आप देखेंगे कि ५१ जिलों में से केवल १७ जिले ऐसे हैं जिनमें जंगल विभाग का काम हो रहा है। बाकी जो जिले हैं उनमें कोई भी जंगल नाम मात्र को नहीं है। इसलिये माननीय सदस्यों की रुचि वन विभाग की ओर उतनी नहीं है। सिर्फ १७ जिलों के माननीय सदस्य इस विभाग में दिलचस्पी लेते हैं और अधिकांश सदस्य जो यहां थे वे इसीलिये चले भी गये। लेकिन मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण अनुदान है, इससे हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल व उन्नत हो सकता है। अगर रुचि ली जाय तो सारे प्रदेश में जंगल लग सकता है जिसकी नितान्त आवश्यकता भी है।

सबसे अधिक जंगल उत्तरी हिस्से में हैं——टेहरी गढ़वाल, गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा जिन्हें उत्तराखंड वगैरह में कुमायूं डिवीजन कहते हैं। फिर तराई व भाबर के जंगल आते हैं। गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर-खीरी, पीलीभीत, नैनीताल, फिर तराई भावर में पाये जाते हैं। इन जंगलों में ब्राड लीव्ज के वृक्ष होते हैं जैसे साल वगैरह के। तीसरे प्रकार के जंगल दक्षिणी भाग में पाये जाते हैं और वह झांसी, बांदा, मिर्जापुर का इलाका कहलाता है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जंगलों को वितरित किया गया है और इन जंगलों का जो पूरा एरिया है उसे जानकर आपको ताज्जुब होगा कि १३ हजार स्क्वायर माइल्स में हमारे प्रदेश में जंगल फैले हुए हैं और जंगलों की वेल्यूएशन की गयी तो अनुमान यह लगाया गया कि ४०० करोड़ रुपये के दरख्त हमारे जंगलों में हैं। इससे आपको स्वयं मालूम हो जायगा कि यह एक बड़ी धनराशि है जो कि हमारे देश का एक ऐसा धन है जैसे कि रिजर्व बैंक में हमारा सोना हो। इतनी बड़ी धनराशि को हम अवहेलना की नजर से कतई नहीं देख सकते। हम लोगों को सोचना होगा कि इतनी बड़ी सम्पत्ति, जो हमारे राज्य की है, उसकी उन्नति हम कैसे करें, उसका संरक्षण कैसे करें, उसका प्रतिपादन कैसे करें और उसका सही इस्तेमाल कैसे करें और उसके केवल ब्याज का उपभोग कैसे करें ताकि मूलधन सुरक्षित रहे। इन विचारधाराओं को लेकर वन विभाग ने कई योजनायें बनाई हैं। इतना होने पर भी हमें संतोष नहीं है कि हमारे यहां जंगल पर्याप्त मात्रा में हैं। वन विभाग के एक्सपर्ट्स का कहना है और जो कमेटी इस संबंध में बैठी उसका भी सुझाव यह है कि हमारा प्रदेश तब उन्नतिशील प्रदेश कहलायेगा जब कि हमारे यहां ६० फीसदी पर्वतीय भूभाग में और २० फीसदी मैदानी इलाके में जंगल लगे हों। लेकिन अब तक के जो आंकड़े हैं उनसे विदित होगा कि पर्वतीय प्रदेश में ४९, ५० परसेंट ही हमारे पास जंगल हैं। तो वहां भी हमारे यहां अभी जंगलों की कमी है। ऐसे ही मैदानी हिस्सों में जहां २० सैकड़ा की आवश्यकता है वहां ५ सैकड़ा भी जंगल नहीं हैं: इससे साफ जाहिर है कि जंगलों की काफी कमी हमारे यहां है और खास करके मैदानी हिस्से जो, गंगा और यमुना का दोआब है, इसमें तो जंगल बिलकुल नहीं हैं। इसलिये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है उसमें एक ऐसी योजना बनाई गई है कि हर ब्लाक में जंगलों को पैदा किया जाय ताकि चरागाह हो सकें, खेती के लिये औजार बनाये जा सकें, इमारती लकड़ी मिल सके और ईंधन वगैरह की सुविधा हो सके। तो मैं यह कह रहा था कि हमारे यहां जंगलों की काफी कमी है और इस कमी में और भी कमी दिन प्रति दिन इसलिये भी होती जा रही है क्योंकि कई किस्म के नियोजन के काम हो रहे हैं, जैसे रीवर वैली प्रोजेक्टस बने हैं, डैम्स बने हैं, कैनाल्स व कालोनी बनी हैं। तो जिस विभाग को जमीन की जरूरत होती है वह हमेशा वन विभाग की तरफ ही नजर लगाता है और अधिकांश जंगल दिन प्रति दिन कटते जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि अंग्रेजी हूकूमत के जमाने में भी जब लड़ाई का जमाना आया तो बेशुमार फेलिंग की गई क्योंकि उनको स्लीपर वगैरह के लिये लकड़ी की बहुत आवश्यकता थी। इसलिये इन सब परिस्थितियों में हम लोगों को गम्भीरता से सोचने का यह विषय बन जाता है कि कैसे हम इन वनों की रक्षा करें और कैसे उनकी प्लानिंग की जाय ताकि इस सम्पत्ति का हम विकास कर सकें।

[श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट]

मैं और भी आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं कि वन विभाग से अंग्रेजी हुकूमत में सन् १९४७ में सिर्फ २०० लाख रुपये की आमदनी हुआ करती थी जबकि स्वतंत्रता के बाद सन् १९५९ में ५६२ लाख रुपये की आमदनी इस विभाग से हमारे प्रदेश को हुई । इसके बदले जहां अंग्रेजों के जमाने में ७० लाख रुपये इस विभाग पर खर्च होते थे वहां आज २८६ लाख रुपये इसके उत्थान हेतु खर्च किये जा रहे हैं, यानी २७६ लाख रुपये की नेट आमदनी इस विभाग से है । यह एक ऐसा कामधेनु विभाग है कि इसकी जितनी भी सेवा की जाय, माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे, उतनी ही कम है । इसमें जो भी हम खर्च कर रहे हैं वह खर्च नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेन्ट है । उससे हमारे देश को लाभ होगा । जैसे फलों के उत्पादन से हमारे देश को लाभ होता है वैसे ही जंगलों से हमें बड़ी कीमती लकड़ी प्राप्त होती है । जंगलों की उपयोगिता के बारे में मैं बतला देना चाहता हूं कि उनसे आबहवा पर असर पड़ता है, स्वायल इरोजन रुकता है, जमीन में नमी बनी रहती है, जंगलों से इमारती और ईंधन की लकड़ी मिलती है, खेती के लिये औजार बनाये जाते हैं, चरागाह मिलते हैं, रेलवे स्लीपर, दियासलाई, प्लाइवुड, पैकिंग केसेज आदि सब जंगल की ही लकड़ी से बनते हैं । इसके अलावा लीसे का व्यापार, रेजिन, टरपेन्टाइन, कत्था, कागज का पल्प, बीड़ी के पत्ते, मेडिसिनल प्लांट्स ऐंड हर्ब्स, ये सब जंगलों से ही मिलते हैं । हमारे यहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १५ योजनायें इसके लिये रखी गई हैं । अगर मुझे अभी मौका हुआ तो उनके बारे में थोड़ी-सी बातें मैं कहूंगा । ऐसे ही तृतीय पंचवर्षीय योजना में १,७३४ लाख रुपये की योजना बनाई गई है और यह आशा की जाती है कि इस पंचवर्षीय योजना के काल में ही हमको ८३३ लाख रुपये की आमदनी भी हो जायगी । तो आप देखेंगे कि दिन प्रति दिन वन विभाग का कार्य कितनी उन्नति की ओर जा रहा है और कितने किस्म का काम यह विभाग अपने हाथ में ले रहा है और कितनी बड़ी-बड़ी योजनायें दिन प्रति दिन प्रतिपादित की जा रही हैं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो काम हुआ है उसमें कई योजनायें तो बहुत ज्यादा लाभ-दायक सिद्ध हुई हैं । वैसे तो १५ योजनायें कार्यान्वित की गई हैं लेकिन उनमें जो खास-खास योजनायें हैं जिनसे ज्यादा लाभ हुआ है उनके बारे में मैं कुछ बतला देना चाहता हूं ; जैसे Plantation of Industrial Impotance, यानी अच्छे किस्म के पेड़ों के जंगल लगाये गये हैं जिन से ज्यादा से ज्यादा कारखाने हमारे उत्तर प्रदेश में खुल सकेंगे और कई प्रकार के हमारे यहां उद्योग-धंधे कायम हो सकेंगे । इस तरह की लकड़ी भी पैदा की जा रही है जिससे हमारे यहां स्पोर्ट गुड्स तैयार हो सकें । इमारती लकड़ी और कीमती लकड़ी को पैदा करने के लिये हमारे प्रदेश में बड़ी-बड़ी योजनायें चलाई गई हैं । इस योजना के अन्तर्गत इस साल के लिये २२.९५६ लाख रुपया बजट में खर्च करने के लिये रखा गया है ।

इसी प्रकार से एक योजना 'Development of Class 1 forests in Kumaun' की चालू की जा रही है । कुमायूं का बहुत-सा भूभाग ऐसा है जिसकी देखभाल डिप्टी कमिश्नर करते थे और वहां पर जंगलों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था । इस का कुछ भाग अब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और वहां पर अच्छे किस्म के जंगल लगाने की व्यवस्था की गई है ताकि अच्छे किस्म की लकड़ी पैदा की जा सके । इसके लिये श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि इस साल के बजट में ३.३० लाख रुपया रखा गया है।

इसी तरह से एक योजना 'Development of forest Communications' की है । इसके लिये इस साल की बजट में बहुत बड़ी धनराशि रखी गई है । जंगलों में सड़कों का निर्माण किय जा सके, इस काम के लिये ११.८२५ लाख रुपया रखा गया है इसके अलावा और भी बहुत सी योजनायें हैं जो इस विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं । जैसे जंगलों में अच्छी किस्म के फल पैदा करना, वन कर्मचारियों को वन शिक्षा में ट्रेनिंग देना, लाख का कल्टीवेशन करना, स्वायल इरोजन वगैरह की बहुत-सी योजनायें पर्वतीय प्रदेशों में हैं और इन योजनाओं के अन्तर्गत बहुत से काम इस विभाग द्वारा किये जा रहे हैं ।

अभी समय नहीं रहा है । यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी हमारे विभाग द्वारा बहुत सी योजनायें चलाई जायंगी । कई योजनायें हमारी सरकार ने बनाई हैं । इसके अलावा जो फारेस्ट डिपार्टमेंट की पुस्तिका छपी है उसको माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा। उससे माननीय सदस्यों को मालूम हो गया होगा कि काफी योजनायें हमारे प्रदेश में इस विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं ।

इसके अलावा पर्वतीय प्रदेश के अधिकतर लोगों की मांग थी कि हमारे हक-हकूकों में बड़ी तकलीफ हो रही है । इसके लिये सरकार ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी माननीय बलदेवसिंह जी की चेयरमैनशिप में बनाई है । उस कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार के पास आगई है और सरकार उस पर बड़ी गम्भीरता के साथ विचार कर रही है और मैं आशा करता हूं कि लोगों को काफी सहूलियतें मिलेंगी । कम से कम सरकार की यह मंशा नहीं है कि जो सहूलियतें उनको अब तक मिलती रही हैं उनमें कोई किसी तरह की बाधा डाली जाय ।

इसके अलावा एक बात मुझे और कहनी है । वह यह है कि हमारे प्रदेश में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां जमींदारी एबालीशन के बाद वहां के लोगों को हक-हकूकों के बारे में तकलीफ हो रही है। ऐसी शिकायतें सरकार के पास आई थीं। मैं उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहां सेटिलमेंट का काम शुरू कर दिया गया है । इस काम के लिये १२ आफिसर्स भी रखे गये हैं । तावक्ते कि यह काम पूरा हो जाय मैं यह कह देना चाहता हूं कि वहां के लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी और जो भी सहूलियतें उनको अब तक मिलती आई हैं वह सुविधायें उनको भविष्य में भी दी जायंगी । इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं आशा करता हूं कि इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य अपने अपने सुझाव देंगे और जो सुझाव दिय जायेंगे उन पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और जो कार्यरूप में परिणित करन के योग्य होंगे उनको कार्य रूप में परिणित किया जायगा। इतना ही कहकर मैं इस ग्रांट को सदन के सामने उपस्थित करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे मंजूर करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि १५ मिनट प्रस्तावकर्ता को, अन्य सदस्यों को आमतौर से सात मिनट और खास तौर पर दस मिनट दिये जांय । यह नियम रखा जाय ।

***श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)-- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ५ में कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है । वन की नीति में अव्यवस्था, अपव्यय तथा भ्रष्टाचार की चर्चा करना ।

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने अनुदान पेश करते हुये जो भाषण दिया उसको मैंने बड़े गौर से सुना । मंत्री जी ने भाषण बहुत सुचारु रूप से दिया और योजनायें जितनी उसके अन्दर हैं, बहुत ढंग से उनको व्यक्त किया है ।

मान्यवर, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि वन देश और प्रदेश की समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है, यहां की उपज के लिए बहुत जरूरी है, रेगिस्तान को रोकने के लिए बहुत जरूरी है । लेकिन देखना यह है कि सरकार इतनी योजनाओं को बना कर कहां तक कामयाब हुई है । मैं सरकारी पक्ष से वितरित पुस्तकों के द्वारा, जो मुझे आकड़ें मिले हैं, उन्हीं से सिद्ध करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने उद्देश्यों में कहां तक सफलीभूत हुये हैं । जंगल का क्षेत्रफल १९५४-५५ में १२ हजार ९ सौ ३५ वर्ग मील था । १९५६-५७ में १३ हजार ५४ वर्ग मील था, १९५७-५८ में १२ हजार ९ सौ ८८ वर्ग मील था और १९५८-५९ में १२ हजार ९ सौ २० वर्ग मील था । जितना जोर माननीय मंत्री जी बांधते गये रकबा उतना ही घटता गया । मर्ज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २२९.४० लाख रुपये खर्च करने के लिए रखे गये जो साल खत्म होते-होते खर्च भी हो जायेंगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, इतना रुपया खर्च होता जा रहा है और जंगल की आमदनी घटती जा रही है। इसके अंदर कहीं न कहीं कोई भेद है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसको देखें कि क्या बात है। मथुरा, आगरा और इटावा में वन लगाने का प्रबन्ध द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया ताकि बढ़ते हुये रेगिस्तान को रोका जा सके। माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें कहां तक वह सफलीभूत हुए हैं।

मान्यवर, इसमें खर्चा बेतहाशा बढ़ रहा है। चीफ कंजरवेटर साहब का दफ्तर नैनीताल में रहता था। जरूरत महसूस हुई और लखनऊ में आफिस बनने लगा। अब लखनऊ से लद कर वह नैनीताल जाते हैं और नैनीताल से लदकर लखनऊ आते हैं। इसमें लाखों रुपये का खर्च होता है। जब डिप्टी कंजरवेटर आफ फारेस्ट का दफ्तर वहां है तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि चीफ कंजरवेटर साहब यहीं से गवर्न करें।

वनों की सम्पत्ति का प्रबन्ध उचित ढंग से नहीं हो रहा है जिसका नतीजा यह है कि जंगलों का ह्रास होता जा रहा है और काफी नुकसान हो रहा है। पहले जंगलों में किसी किस्म की चोरी नहीं होती थी। पहले लोग चोरी से बहुत डरते और घबड़ाते थे। आज लाखों रुपये की लकड़ी चोरी हो जाती है। वन विभाग के उच्चाधिकारियों की जानकारी में होती है। वह जाते हैं, जांच करते हैं और लीपापोती कर दी जाती है। नतीजा यह है कि लाखों रुपये की चोरी होती है और अधिकारी फायदा उठा रहे हैं।

जमींदारी के जंगल इसलिये ले लिये गये कि सरकार उनकी उन्नति करेगी। लेकिन जो अख्तियार वहां के किसानों को थे, आस-पास के रहने वालों को थे, उनको सरकार ने छीन लिया और कोई उन्नति नहीं हुई। कोयले पर छाप होती है और मोतियों की लूट होती है। बड़ी कम्पनियों को कौड़ी कीमत पर सरकार लकड़ी देती है। स्टार पेपर मिल को सात पैसे मन पर लकड़ी देती है और आज तक उसकी मशीन नहीं लगी। इसी सदन में कई मर्तबा सवाल उठाये गये, तो जवाब मनमाना दिया जाता है।

वन विभाग में सहयोग से काम होता था। पड़ोस के रहने वाले उसकी सेवा करते थे और खुद कुछ फायदा उठाते थे। मैं इस सम्बन्ध में उदाहरण दे दूं कि आज हालत क्या है। सिसवा इलाके में सिसराव जंगल है। जंगल के किनारे एक नदी है। वहां लोग मुर्दे को फूंकने के लिये ले जाते थे और वहां जो सड़ी गली लकड़ियां मिलती थीं उनसे फूंक देते थे। अब यह सरकार वहां उनसे १० रुपया एक मुर्दे पर ले लेती है। तो श्रीमान् जी, आप सोचें कि उन जंगलों के पास रहने वाले किसानों को क्या दिलचस्पी उन जंगलों के लिये रह सकती है? इसका नतीजा साफ जाहिर है कि जंगल में तमाम बरबादी हो रही है। जंगल के पास रहने वाले अगर किसी चोरी की खबर देते हैं सरकर को या उसके उच्च अधिकारियों को तो उलटे वह खबर देने वाला किसान परेशान किया जाता है, उसको पीसा जाता है, बर्बाद किया जाता है और अधिकारी जो जंगल के अन्दर रहने वाले हैं वह कहते हैं कि आओगे तो चालान कर देंगे और जो उनकी दरख्वास्त होती है उस पर उनका कान तक नहीं हिलता है। बीसों मिसालें इसकी गोरखपुर में मौजूद हैं।

श्रीमन्, जंगल को लगाने का काम टांगिया के जिम्मे है। यह टांगिया सैकड़ों वर्षों से खानाबदोश का जीवन बसर कर रहे हैं। इतने वर्गमील जो जंगल लगाये जाते हैं यह उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह उचित नहीं है कि उनको कोई ऐसा स्थान दे दिया जाय जहां वह बस सकें और जहां उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई हो सके? दो-चार साल एक जगह रहें, फिर दूसरी जगह चले गये, इस तरह से न उनके ठीक से रहने का कोई प्रबन्ध हो पाता है और न ही उनके बच्चों की शिक्षा हो पाती है। तो मैं यह सुझाव दूंगा कि

उनको किसी एक स्थान पर बसाया जाय जहां रहकर वह छोटी-मोटी खेती वगैरह का काम करने लगें और उसके बाद फिर जंगल का काम जैसे होता है, वह वैसे ही होता रहेगा, वह उसको करते रहेंगे । साल में एक-आध बार आकर वह अपने बच्चों को देख सकेंगे और उनकी पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम भी हो सकेगा। इसके अलावा आज जो इन टांगियों से दुनिया भर की हरी-बेगारी वगैरह का काम लिया जाता है वह भी बन्द होना चाहिये । जहां वह बसते हैं वहां न उनके लिये पीने के पानी का कोई बन्दोबस्त होता है, न दवादारू का कोई बन्दोबस्त होता है और न कोई राशन का बन्दोबस्त होता है कि कहां से वह राशन लें । पूरी आबादी उनकी एक गांव की शक्ल में वहां आबाद हो जाती है । तो सरकार को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिये । मैं तो कहूंगा कि उनकी ग्राम पंचायत बनाकर उन्हें भी अपने हकूक की रक्षा करने का मौका दें और उनको जहां वह रह रहे हैं, वहां रहने का हक दें ।

सरकार ने एक कानून बनाया है हरे फलदार वृक्षों को काटने से रोकने का। उस के लिए अधिकारियों से बात की जाती है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, तो वह कहते हैं कि कानून इतना झगड़े वाला है और इतना मोटा है कि कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे इस पर कोई कार्यवाही की जाय। नतीजा उसका यह है कि लाखों वृक्ष जगह-जगह कटते चले जा रहे हैं। किसान तबाह हैं। दरख्वास्तें देते हैं। सभापति त र और टेलीफून करते हैं लेकिन अधिकारी यह कहकर कि कानून टेढ़ा-मेढ़ा है कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, उसे टाल देते हैं। अगर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती तो क्यों नहीं सब के लिए खुला छोड़ देते। जो भी कोई काटना चाहे काटे। लेकिन गरीब किसान अपना एक पेड़ काटना चाहता है तो उस के लिए तो दुनिया भर की परेशानी होती है, वह नहीं काट सकता और दूसरी तरफ बाग के बाग पुलिस को मिलाकर जमींदार लोग काटते चले जाते हैं। मुझे तो ताज्जुब हुआ जब मैं माननीय मन्त्री जी से मिलने गया और उनसे कहा तो उन्हें मालूम भी नहीं था कि कोई ऐसा कानून भी है । उन्होंने अपने पी० ए० से बुलाकर पूछा कि क्या कोई ऐसा कानून है, और उस ने बताया कि हां है, तब उन्होंने एक बहुत बड़े बाग को काटने से रोका। इसमें कोई शक नहीं कि वह रुक गया लेकिन उसी की बगल में सैकड़ों बाग आज काटे जा रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि एक सर्क्युलर वह जारी करें कि जितने भी इस तरह के बाग काटे गये हैं, जिनकी निशानी मौजूद है, अगर उसका सबूत मिल जाय तो उन काटने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठात्री, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुयीं ।)

श्रीमन्, किसानों के पास अगर एकाध एकड़ जमीन भी जंगल की उन के अन्दर दब गयी है, तो सरकार उजाड़ देती है उनको, लेकिन दूसरी तरफ हजारों एकड़ जमीन लेकर वह जंगल कटवाती है बंध और डैम के नाम पर। नानक सागर और शारदा सागर में हजारों एकड़ जंगल काटे गये और वहां जो कच्चे बंध बन रहे हैं उनसे क्या फायदा होगा जनता का, वह तो माननीय मन्त्री जी ही जानते हैं और वही बतायेंगे, लेकिन मेरा यह अनुरोध है कि जहां किसान जीवनोपार्जन के लिए १, २ एकड़ जंगल के किनारे ले कर खेती करते हैं वहां पर उनको बेदखल नहीं करना चाहिए बल्कि उन को अपनी गुजर के लिए खाने देना चाहिए। उसके बाद आप एक पक्की हदबन्दी कर दें और उस के बाद अगर कोई बढ़ता है तब आप कार्यवाही करें। इसमें कोई एतराज नहीं हो सकता है।

मैं एक बात की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । जंगल के किनारे मवेशियों का झुन्ड अधिक रहता है जिसकी वजह से बहुत दूर तक खेती नहीं हो पाती है । इसके लिए पहले भी सुझाव दिये गये हैं, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हरैया गाय और बैल जंगलों से निकलते हैं और खेती को खा ड लते हैं। उन को मारा भी नहीं जा सकता है। किसान लोग जब गोल बांध कर चलते हैं तो जंगल के अधिकारी उनको रोक देते हैं।

[श्री अब्दुलरऊफ लारी]

हमारे यहां के डिवीजन के कमिश्नर साहब ने यह मांग की थी कि जिस तरह से जंगली गायों और बछड़ों को नीलाम करने के लिए ठेका देते हैं, वह ठेका ठेकेदार को न देकर ग्राम सभा को दिया जाय। जो साधन ठेकेदार को दिये जाते हैं बल्ली या रस्सी के लिए वह सब साधन ग्राम सभा को दिये जायं। ग्राम सभा के आदमी निकल कर उन गाय और बछड़ों को पकड़ लेंगे। अब होता यह है कि वे ठेकेदार उन को लेजाकर बेच देते हैं और फिर उन गाय और बछड़ों को वहीं जंगल में जाकर छोड़ दिया जाता है और फिर वह किसानों के खेत का नुकसान करते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार की तरफ से एक तरह से उन लोगों को शेल्टर मिला हुआ है। वे गाय बैल निकल कर किसानों के खेतों को बरबाद करते हैं। यह सरकार, उन के जो बच्चे होते हैं, उन को बेचती है और बेचकर पैसा कमाती है। इस से सरकार को आमदनी तो हो जाती है, लेकिन नुकसान वहां पर लोगों का बहुत होता है। इसलिए मेरे इस सुझाव को मान लेना चाहिए कि वह ठेके का काम ग्राम सभा को दिया जाय और वही ठेकेदार वाली सहूलियत ग्राम सभा को दी जाय तो वे जंगली गायों को पकड़ लेंगे और इस से वहां के लोगों को लाभ होगा। नीलगायों को डराया जा सकता है लेकिन धर्म की मजबूरी हमारे सामने कुछ ऐसी है कि जिस से यह सरकार कुछ नहीं कर सकती। वे गांव की खेती को बरबाद करती हैं और भाग कर जंगल में चली जाती हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और अनुरोध करता हूं कि यह सदन इसको मानेगा।

*श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठात्री महोदया, आज फारेस्ट विभाग का जो अनुदान पेश हुआ है उसका ज्यादातर ताल्लुक पर्वतीय जिलों से होता है क्योंकि जितने भी कुल जंगल इस प्रदेश में मौजूद हैं, उसका बहुत काफी हिस्सा पर्वतीय जिलों में ही है। इस फारेस्ट डिपार्टमेंट का पिछले २, ३ सालों में जो रवइया रहा है और उस से जो जनता में परेशानी फैली है, उसका इजहार इस असेम्बली में हुआ है। इस हाउस के अन्दर माननीय सदस्यों ने कई दफा उसका जिक्र किया है। सवालों के दौरान में और अपने भाषणों में भी इन सब बातों का जिक्र आया है। केवल यही नहीं बल्कि इस जंगल विभाग के रवइये के खिलाफ बाहर पब्लिक में भी एजिटेशन हुआ था। यही नहीं कि गैर-जिम्मेदार संस्थाओं ने इसके खिलाफ कोई एजिटेशन किया हो बल्कि जिम्मेदार संस्थाओं की ओर से, कांग्रेस कमेटियों की ओर से, डेवेलपमेंट कौंसिलों की ओर से, जो कि पर्वतीय जिलों के लिए बनी हुई हैं, इसके खिलाफ प्रस्ताव पास हुये हैं। जिले के स्तर पर पंचायत की तरफ से भी प्रस्ताव पास हुये हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो जिले के डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उन्होंने भी इस जंगल विभाग के रवइये के खिलाफ अपनी आवाज उठायी है।

इस विभाग से जनता को ही तकलीफ नहीं है बल्कि सरकारी विभागों को भी इस से परेशानी रही है। पी० डब्ल्यू० डी० और दूसरे विभागों को भी इस बात की जरूरत पड़ी कि वह भी इस विभाग के रवइये के खिलाफ अपना रिप्रेजेन्टेशन भेजें, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी पिछले साल कायम हुई थी किन्तु उस की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आयी। आज माननीय मन्त्री जी से यह मालूम हुआ कि वह रिपोर्ट पेश हो चुकी है और हम आशा करते हैं कि वह हमारे सामने जल्दी ही आ जायगी। प्राब्लम का जो अप्रोच है और देखने का जो नजरिया है उसे मैं एक बात बतला कर साफ करना चाहता हूं। अधिष्ठात्री जी, जब मैं कल फारेस्ट मिनिस्टर साहब के कमरे में गया तो वहां मुझे एक किताब देखने को मिली—ड्युटीज आफ दि फारेस्ट डिपार्टमेंट। उनका कहना है कि देहात के लोग बन की अहमियत को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं और चिल्लाते हैं कि हमारी गायों और पशुओं के चरागाह बन्द हो गये। इसलिए उनका ज्यादा कोआपरेशन लेने की, मांगने की कोई खास जरूरत नहीं है। कोआपरेशन पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसा उसमें कहा गया है। डेवेलपमेंट की बात छोड़ दीजिये, जो यह नजरिया है उस से जनता को क्या राहत मिलेगी यह सोचने की बात है।

मुझे मौलिक रूप से शिकायत है कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया की जो फारेस्ट पालिसी है और यू०पी० की जो फारेस्ट पालिसी मैनुअल, १९५२ के आर्टिकिल ११० में जिन बातों का जिक्र है उस की अवहेलना इतनी लापरवाही से की जा रही है कि जिसकी हद नहीं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जंगलों के नजदीक जो लोग रहते हैं, उन के हितों को प्रमुखता दी जाय। उन की सहूलियतों का पहले खयाल रखा जाय। लेकिन यह सहूलियतें देना तो अलग रहा, जब वे किसी बात के लिए आवाज उठाते हैं तो उसको रेस्पांड भी नहीं किया जाता। रेस्पांस तो अलग, अगर कोई एजिटेशन या रिप्रेजेन्टशन किया जाता है तो इस विभाग की तरफ से उसे कन्टेम्प्ट की स्पिरिट से देखा जाता है और उसका जवाब कन्टैम्प्ट की स्प्रिट में मिलता है। जनतंत्र और रेस्पांसिबिल गवर्नमेंट में जो होना चाहिए वह व्यवहार हम को नहीं मिलता।

अभी कोयले और लकड़ी की कमी हुई और उस के दाम बेतहाशा बढ़ाये गये, लेकिन उसका कोई जस्टिफिकेशन सरकार के पास नहीं है। अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल जो जंगलों के बीच में हैं, उनमें टिम्बर, इमारती लकड़ी की कमी कर दी गयी और यहां तक कि म्युनिसिपैलिटियों आदि को भी तकलीफ हुई, उनके चेयरमैनों ने कहा, यहां तक कि कमिश्नर ने भी अंततोगत्वा कहातब कहीं उस सर्किल के कन्जरवेटर साहब ने माना और उस पर एक डी० ओ० चीफ कन्जरवेटर के यहां से निकला और उस से साफ जाहिर है कि स्थानीय जनता की जो मांगें हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। पूरी चिट्ठी मेरे सामने है और यह अखबारों में छपी है। इन सब बातों का यह नतीजा हुआ है कि लोगों को इस डिपार्टमेंट के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। श्री सी० डी० पान्डेय जो हमारे यहां के एम० पी० हैं उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि कुमायूं की जनता को इस विभाग पर विश्वास नहीं रहा है। यही नहीं, पण्डित पन्त भी इस विभाग ने जो कार्य किया है, उसे नापसन्द करते हैं हालांकि पब्लिकली वे नहीं कह पाते हैं। इन सब बातों के बावजूद भी जो हालत इस विभाग की आज है अगर वहीरही, जंगल के मामलों में इसी तरह से इन्टरफियरेंस हुआ, तो एक समय आ सकता है जब कि बहुत बड़ा आन्दोलन हो जाय।

अधिष्ठात्री महोदया, हम लोग जंगल पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। अभी नवम्बर के महीने में जब चीफ मिनिस्टर साहब नये थे तो उन्होंने स्वयं देखा था वहां की स्थिति को। वहां पर काफी गरीबी है। आज जो रुकावटें वहां पैदा हो गयी हैं उन से वहां के लोगों को जिन्दगी बसर करना मुश्किल हो गया है। वहां के लोग अगर फल-फूल सकते हैं तो जंगल की बदौलत ही। लेकिन आज जो जंगल की सब से बड़ी उपज है उसको लूटा जा रहा है। उस को कम कीमत पर बड़ी-बड़ी फैक्टरियों को दिया जा रहा है। बरेली में जो आई० टी० आर० कम्पनी है उसको वह काफी रियायत पर दिया जाता है। किन्तु दूसरों को, जो छोटे-छोटे काम करने वाले हैं उन को वह ज्यादा कीमत पर दिया जाता है। यह जाहिर बात है कि छोटी छोटी फैक्टरियों के मुकाबिले बड़ी बड़ी फैक्टरियों में जो माल तैयार होगा उसकी कास्ट कम होगी। फिर भी उन बड़ी-बड़ी फैक्टरियों को तो कम मूल्य पर दिया जाता है और दूसरे लोगों से जो छोटा-छोटा काम करते हैं उन से ज्यादा दाम लिये जाते हैं। पिछले साल जितना लीसा इस कम्पनी को दिया गया उसके हिसाब से ६० लाख रुपये का मुनाफा होना चाहिए था, लेकिन ३ लाख का मुनाफा दिखाया गया है, बाकी का पता नहीं वह कहां गया, उसका क्या हुआ।

इसी तरह जो कत्थे की फैक्टरी है उस को भी कम मूल्य पर माल दिया गया। हमारी आडिट रिपोर्ट में कहा गया है और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की भी साफ-साफ रिपोर्टस् हैं। इस तरह से बड़ा नुकसान होता है।

श्री अधिष्ठाता—समय समाप्त हो गया।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस बार मुझे बड़ी खुशी है कि फारेस्ट मिनिस्टरी ने अपना अनुदान फाइनेंस मिनिस्टरी से अलग करके पेश किया है और आशा है यह परम्परा आगे भी कायम रहेगी। लेकिन दुख इस बात का है कि मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद इन्सान का नजरिया किस तरह बदल जाता है। एक वर्ष पूर्व जब माननीय विष्ट जी बोले थे तो उनका नजरिया कुछ और था और आज जब उन्हें फारेस्ट मिनिस्टर का पद मिला तो उन्होंने फारेस्ट मिनिस्टरी का चश्मा लगा कर अपना भाषण दिया।

मैं यह समझता था कि माननीय मन्त्री जी की तरफ से, जो यह पुस्तिका छपी है, इस में हमें पता चलेगा कि फारेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और दूसरी स्टेट्स के कम्पेरिजन में हम कहां खड़े हुये हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे। पर न तो किताब से पता लगता है और न मन्त्री जी के भाषण से है। तो एक जिम्मेदार दल के नाते से हम को उस पर प्रकाश डालना पड़ता है। सब से पहली चीज तो यह है कि सारे देश में २.८१ लाख स्क्वायर माइल सारा फारेस्ट है जो कि २२.३ परसेंट ज्योग्रैफिकल एरिया का पड़ता है, जब कि ३.५ यू० एस० एस० आर० में, १.८ यू० एस० ए० में है और हिन्दुस्तान में कुल ०.२ हैक्टर्स हैं। दूसरे, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वह इस प्रकार है—इन्डिया में २.५ क्यु० फि० पर एकड़, फ्रांस में ५६.३, जापान में ३७.०, यू० एस० ए० में १८.० है। प्लानिंग कमीशन ने १९५२ में यह सिफारिश की थी कि जो नेशनल पालिसी बने—एक प्रस्ताव पास हुआ था उसमें कहा गया था कि ३३.३ परसेंट, जितना हमारा ज्योग्रैफिकल एरिया है, उस के हिसाब से जंगल होगा और यह भी कहा गया कि ६० फीसदी जंगल पर्वतीय इलाके में होगा और २० फीसदी प्लेन्स में होगा। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रोज बरोज खर्चा बढ़ता जा रहा है। आज भी जो बजट मांगा गया है उसमें पिछले साल की बनिस्बत काफी रुपया बढ़ा हुआ है। २४ फरवरी, १९५९ को २,६८,६९,५०० था और आज २,८६,६९,५०० है। इतना बढ़ने पर भी क्या प्रगति हुई? मैं समझता हूं इस पर माननीय मन्त्री जी अपने भाषण में प्रकाश डालेंगे।

दूसरे, अंग्रेज जब यहां हुकूमत करते थे उस वक्त हमारी आमदनी १९४६–४७ में १,८१,७३,००० थी और आज १९५८–५९ में ५,३९,५१,६०० हो गयी और १९५९–६० में ६,०५,३९,००० रुपया हो गयी है, यह मैं सरकारी किताब से बता रहा हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आमदनी दिन पर दिन बढ़ रही है, सरकार का मुनाफा बढ़ रहा है और उधर सरकार जनता के हकों को छीन रही है।

अब मैं आपका ध्यान और दूसरे प्रान्तों की ओर ले जाना चाहता हूं। कहीं भी इतनी आमदनी नहीं है। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां की आमदनी १ लाख हो, खर्चा भी मैंने नहीं जोड़ा है। जोड़ लगाने के बाद पता लगता है कि यहां पर इस साल ३,११,७४,००० रुपये का सरप्लस बजट है और आसाम का है ५८,३३,००० का, बिहार का ६७,१६,००० रुपया और मद्रास का है १,५८,१३,०००, उड़ीसा का है ९७,०१,००० रुपया, बंगाल का है, ४७,०२,००० रुपया। बन विभाग की बचत इस साल तक की ३,११,७४,००० रुपया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि दिनों दिन जब कि प्रगति हो रही है सरप्लस बजट में तो फारेस्ट क्यों घटता जा रहा है? १९५६–५७ में जब कि फारेस्ट का एरिया १३,०५४ वर्ग मील था, १९५७–५८ में १२,९[illegible]८ वर्ग मील रह गया, और १९५८–५९ में १२,९२० मील हो गया है। योजनाएं प्लेन्स में बन रही हैं जब कि जंगल पहाड़ में ज्यादा है, जहां पर प्लांन्टेशन हो सकता है, जहां पर वर्षों से डिवीजन्स खुले हुये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्लेन्स में जहां बाढ़ आती है, लोगों को नुकसान होता है वहां क्या प्रगति हुई है? पहाड़ी इलाके में जहां जंगल काफी हैं और जहां १९३६ से हरिजनों की समस्या चली आ रही है, खुशी राम जी मौजूद हैं उन्होंने लड़ाई लड़ कर

कांग्रेस गवर्नमेंट को ही मजबूत किया है, लेकिन हरिजनों को आप एक भूमि का टुकड़ा भी दिलाने म समथ नहीं हुये हैं। मैं कांग्रेस पर यह चार्ज लगाता हूं।

आज जब हम कहते हैं कि चपरासी की तनख्वाह बढ़ायी जाय, फारेस्ट गार्ड की तनख्वाह बढ़ायी जाय तो हम से कहा जाता है कि रुपया नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि रुपया कहां जाता है। आज फारेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आई० टी० आर० कम्पनी, बरेली को १५ रुपये मन लीसा दिया जा रहा है जब कि बाजार भाव ३० रुपये मन का है। ४ लाख मन लीसा उस कम्पनी को हर साल दिया जा रहा है जिस के कारण फारेस्ट डिपार्टमेंट को सालाना ६० लाख रुपये के रेवेन्यू का लास हो रहा है। यह जनता का पैसा है। गोविन्द सहाय जी की इवेलुएशन कमेटी ने भी कहा, प्लानिंग कमीशन ने भी कहा और लैन्ड यूटिलाइजेशन कमेटी जिसकी बैठक सन् १९५६ में देहरादून में हुई थी उसने भी कहा कि सहकारी समितियां बननी चाहिए और उन लोगों को काटेज इन्डस्ट्रीज के तरीके पर लीसा दिया जाना चाहिए, लेकिन उन की बात को नहीं सुना जाता है और हर साल कम्पनी के हित में पब्लिक का ६० लाख रुपये का रेवेन्यू का लास किया जा रहा है। इससे मालूम होता है कि सरकार किस प्रकार से पूंजीपतियों के लिए साफ्ट कार्नर रखती है।

अभी कहा गया कि चीफ कन्जरवेटर का दफ्तर यहां लखनऊ में आ जाना चाहिए। माननीय, उनका दफ्तर नैनी ताल में है और कैम्प आफिस लखनऊ में है। मैं नहीं जानता कि इस विभाग के जो हेड आफ दि डिपार्टमेंट हैं उनका क्या नजरिया है लेकिन वहां से यहां पर रोज खाली बस्ता लाने में ३० रुपया खर्च होते हैं। यहां पर इस कैम्प आफिस के अलावा कन्जरवेटर का हेडक्वार्टर भी कायम किया गया, कन्जरवेटर की एक नयी पोस्ट कायम की गयी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर चीफ कन्जरवेटर का कैम्प आफिस और कन्जरवेटर का हेडक्वार्टर दोनों क्यों रखे गये हैं, मन्त्री जी कृपया इसको साफ करेंगे। या तो यहां पर चीफ कन्जरवेटर का कैम्प आफिस ही रह या कन्जरवटर का हेडक्वार्टर ही रहे।

अब मैं सेटिलमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। फारेस्ट फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी बनी थी तब वहां की साढ़े २२ लाख जनता ने जिस में कि हमारे ब्रिष्ट जी ने भी, जो कि आज मिनिस्टर हैं, दस्तखत किये थे, यह कहा था कि वहां पर बहुत सी मुसीबतें हैं। जो कुमायूं फारेस्ट कमेटी है, जो माइनर फारेस्ट प्रोडयूस और चराई के अख्तियार दिये जा रहे हैं वह हक जब छीने जा रहे थे तब माननीय ब्रिष्ट जी ने बड़ी जोर की आवाज उठायी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को आज ६ महीने से ज्यादा हो गये लेकिन यही जवाब मिलता है कि विचार हो रहा है। आज पता नहीं किस की राय से फारेस्ट सेटिलमेंट किया जा रहा है। आज वहां पर लोगों के हक छीने जा रहे हैं, इस तरफ सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिए।

मैं कोयले के दाम के सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं। नैनीताल में और दूसरी जगहों पर कोयले के दाम में एक रुपये की बढ़ोत्तरी हो गयी है क्योंकि वह क्वालिटी लाना चाहते हैं। विभाग कहता है कि जब चावल खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं तो उसी के मुताबिक कोयला भी खरीदना चाहिए। जिस प्रकार से कि लोग लखनऊ और मसूरी में लकड़ी, कोयला लेते हैं, अंग्रेज जो विदेशी थे वह भी सोचते थे कि जंगल में रहकर लोग रिस्की लाइफ व्यतीत करते हैं इसलिए उन को कुछ ज्यादा हक मिलना चाहिए। मैं कोई सेक्टेरियन बात नहीं कहना चाहता, मैं कहता हूं कि उनका यह हक है, कोई रियासत की बात नहीं है। १९०७ में एक अंग्रेज ने कहा था कि कुमाऊं की आमदनी का चौथाई हिस्सा वहां के डेवेलपमेंट पर खर्च किया जाना चाहिए। वह आज नहीं हो रहा है। कोयले के रेट ऊंचे रक्खे गये। उस के बाद जब रिप्रेजेन्टेशन हुआ तो रेट नीचे लाये गये। यह नीति है इस विभाग की। इसी के बारे में यह थोड़ा सा अंश मैं आप के सामने पढ़ना चाहता हूं :—

The prices were first revised on lst May, 1958 and increased to Rs. 4.40 par maund and were again brought down to Rs. 3.50. The first revision

[श्री प्रताप सिंह]

was to bring the rates at parity with those at Nainital but on representation from the public they were brought down to Rs. 3.50 as per decision of the meeting held in June, 1958, under the presidentship of Van Mantri.

थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि वन मन्त्री नहीं मिलते हैं प्रीसाइड करने के लिए, तो क्या होता ? क्या तब दाम कम नहीं होंगे ? अगर विभाग सही था तो उसे कायम रहना चाहिए था। यह मनमाना तरीका बदलना चाहिए। किताबों में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, माननीय, इसे छोड़ दिया जाय। विभाग के अधिकारियों को अपना रवैया जरूर बदलना होगा। आज डेमोक्रैटिक सिस्टम पर उन्हें चलना होगा।

रायल्टी की बात लीजिये। नैनीताल में सन् १९४९ में ०.०९ नये पैसे थी और अब .६१ नये पैसे ली जाती है, अल्मोड़ा में ०.०९ नये पैसे पड़ती थी जो अब .६९ नये पैसे हो गयी है। रानीखेत में रायल्टी सन् १९४९ में .६३ नये पैसे थी जो अब १.२८ नये पैसे हो गयी है, पौड़ी में ३.३७ नये पैसे से .७९ नये पैसे हो गयी है।

एक मीटिंग २७ जून, सन् १९५८ को मन्त्री जी के यहां हुई। उस में जिक्र आया था कि दमुवाढूंगी में ९६ परिवार रहते हैं, ५०० एकड़ भूमि में, मामुलीखाल में ३०० एकड़ में ५१ परिवार रहते हैं और बागगाला में २०० एकड़ में ९२ परिवार रहते हैं। एक बार मन्त्री जी से पूछा गया कि छप्परों में आग क्यों लगी तो अली जहीर साहेब ने उत्तर दिया कि ला आफ जंगल चलता है। मैं चार्ज लगाता हूं इस विभाग के ऊपर कि जब मन्त्री ही ऐसा कहते हैं तो विभाग के अधिकारी सब कुछ कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि जो भूमिहीन लोग उन जमीनों पर बसे हुये हैं उन्हें वह जमीन दे दी जाय।

आज मनमाने ढंग से ट्रान्सफर हो रहे हैं। चीड़ के जंगल की बात जानने वाले को अगर गोरखपुर भेज दिया जाय तो वह वहां क्या करेगा ? गोरखपुर का आदमी पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता है, यह सभी जानते हैं। इसलिए इस विभाग का ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि यह विभाग जनता के लिए है, जंगल जनता के लिए है, जनता जंगल के लिए नहीं होनी चाहिये।

प्लान्टेशन के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मुझे फारेस्ट फैक्ट्स फाइन्डिंग कमेटी के साथ घूमना पड़ा। मैंने देखा कि जहां इन्सान खेती कर सकता है, वहां प्लान्टेशन होता है और जहां चोटियां खाली हैं वहां नहीं हो रहा है। अगर खाली चोटियों पर प्लान्टेशन नहीं होगा, तो मैदान में रहने वालों पर भी बुरा असर होगा क्योंकि बाढ़ें बढ़ जायंगी।

इस विभाग के हेड एक आई० एफ० एस० सज्जन हैं। उन को इस पोस्ट पर रखना उनकी बेइज्जती है। यहां पी० एफ० एस० आदमी को रखना चाहिए और आई० एफ० एस० को हिन्दुस्तान के फारेस्ट विभाग में भेजना चाहिए। यह इस देश और प्रदेश दोनों के तथा उन सज्जन के भी हित में होगा।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मन्त्री जी से उम्मीद करता हूं कि वह इस विभाग को जहां तक हो सके जनतांत्रिक ढंग से चलवायेंगे।

श्री रामचन्द्र उनियाल (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्तुत मांग का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

पिछले साल पहाड़ी जनता की जंगलात सम्बन्धी परेशानियों को देखकर सभी विधायकों ने इस सदन में आवाज उठाई थी। हमारे पहाड़ी जिलों में इस विभाग का रवया लोगों को बहुत परेशान करता था। फलतः गत वर्ष सरकार ने वहां पर एक फारेस्ट फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी की स्थापना की। उसने वहां की समस्याओं का अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। होना तो यह चाहिये था कि वहां के अधिकारियों का रवैया बदलता और ठीक होता, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि जांच के बाद भी अधिकारियों का रवैया बहुत ही कष्टदायक रहा।

इससे आम लोगों की परेशानियां ज्यादा बढ़ गईं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि वहां लोगों को इमारती लकड़ी तथा चरान चुगांन आदि की बहुत परेशानी है। इस कमेटी के पूर्व लोगों को लकड़ी लेने में तथा अन्य सुविधाओं में कुछ आसानी होती थी, लेकिन मालूम नहीं कि उस कमेटी की जांच के बाद यह समस्या क्यों बढ़ गई। क्यों अधिकारियों ने जनता को परेशान करने का रुख अख्तियार किया।

अधिष्ठात्री महोदया, हमारे पहाड़ी जिलों के लोगों का आर्थिक स्तर वन-सम्पदा के आधार पर ही ऊंचा हो सकता है। वहां लीसा उद्योग का एक अच्छा रोजगार है किन्तु इसमें भी विभागीय पक्षपात होता है। यह कार्य सहकारी समितियों को न देकर व्यक्तिगत लोगों को दिया जाता है। जिसका उदाहरण गि० सं० संघ, टिहरी-गढ़वाल है बल्कि जिनकी स्वयं की कोई फैक्ट्री नहीं है उन्हें जिलेवार मांग करने पर भी नहीं दिया गया तथा स्त्रियों के नाम पर लीसा दिया जाता है। यह भ्रष्टाचार तथा पक्षपात का ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रकार जंगल विभाग का रवैया बड़ा ही गलत है और वहां के लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा होना तो दूर रहा लोगों की रोजमर्रा की परेशानी बढ़ गई है।

इसी प्रकार वहां जंगल विभाग में लीसा, गगन लकड़ी की कटान आदि वन-सम्पदा के काम कोआपरेटिव सोसाइटीज को नहीं दिये जाते हैं। जड़ी-बूटी का काम है, वह भी सहकारी समितियों को या वहां के स्थानीय लोगों को न देकर बाहर वालों को दिया जाता है जिससे वहां के आम लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। विभाग को ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे वहां के लोगों को कार्य मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

मैंने यह भी अनुभव किया है कि जंगल विभाग के अधिकारियों का रवैया वही सामन्तशाही है। आज के जनतंत्र में उनके रवैये में परिवर्तन होना चाहिये। आज फारेस्ट गार्ड से लगाकर ऊपर के अधिकारी तक सब का रवैया हुकूमती है और उनसे जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। वे जनता को यह भी नहीं बताते कि जंगलात की हिफाजत कैसे होनी चाहिये। आज जरूरत इस बात की है कि लोग फारेस्ट माइंडेड हो और अफसरों को जनसम्पर्क की शिक्षा दी जाय।

फारेस्ट फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी के सामने बहुत-सी ऐसी बातें आई थीं और माननीय सदस्यों ने अधिकारियों का ध्यान भी इस ओर खींचा। लेकिन मुझे दुख है कि उस कमेटी की बात खास कर टेहरी वृत्त के कंजरवेटर ने ठुकरा दी और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह रवैय्या बहुत खेदजनक है और इससे आम लोगों में बड़ा ही तीव्र असंतोष है। मैंने इस ओर विभाग का ध्यान आकर्षित किया किन्तु आश्चर्य है कि मुझे अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। जंगलात कमेटी की भावना नहीं, स्थिति बहुत ही असहनीय है मैं समझता हूं कि सरकार इस दिशा में तुरन्त ही कार्यवाही करे जिससे स्थिति सुधर सके। जिस जिले से मैं आता हूं वहां पर टेहरी वृत्त के डी० एफ० ओ० का कार्यालय टेहरी वृत्त के बाहर रखा गया है जिससे आम लोगों को परेशानी है, जबकि पुरोला और ठडियार इमारतें बनी हुई हैं तो फिर यमुना और टोन्स डिवीजन का कार्यालय चकराता और मंसूरी रखने का क्या अर्थ है। प्रत्येक महीने हजारों रुपये का खर्चा किराये की इमारतों पर हो रहा है जबकि वहां पर इमारत खड़ी हुई है। एक ओर तो बढ़ाने का सवाल आता है और दूसरी तरफ इस प्रकार से बेकार खर्चा किया जाता है। जब चीफ कंजरवेटर साहब या अन्य अधिकारी दौरे पर जाते हैं तो उनके साथ बड़ा भारी अमला और सामान जाता है यहां तक की टट्टी के भोगे तक भी नहीं छोड़े जाते। जिस पर बहुत-सा रुपया खर्च हो जाता है। इसलिये मेरा जोरदार सुझाव है कि टेहरी वृत्त का दफ्तर जिले के अन्दर ही रखा जाय तथा डंडियार और पुरोला D.F.O. के कार्यालय फौरन ही ट्रांसफर किये जायं। पहले कंजरवेटर साहब नैनीताल में रहते थे फिर देहरादून चले गये। इस प्रकार से नहीं होना चाहिये। जिस क्षेत्र का दफ्तर हो उसी क्षेत्र में होना चाहिये। इस प्रकार जनता के धन का दुरुपयोग विभाग द्वारा नहीं किया जाना चाहिये, इससे मेरे क्षेत्र में बड़ा ही असंतोष है।

[श्री रामचन्द्र उनियाल]

मैं अभी अपने क्षेत्र से आया हूं। मैंने देखा कि वहां पर कंजरवेटर का रवैया ठीक नहीं है। वन अधिकारियों का ऐश्वराशी व फिजूल खर्चे का एक ज्वलंत उदाहरण है जो गढ़देश में प्रकाशित हुआ और अब तक जिसका स्पष्टीकरण नहीं किया ? पिछले बड़े दिन की छुट्टियों में टिहरी वृत्त के कंजरवेटर बड़ा दिन मनाने के लिये चीले नामक स्थान में गये। १५--२० मील पर चपरासियों तथा अन्य से साज-बाज का सामान मंगाया गया। बहुत से वन अधिकारी उनके अपने साहब की खिदमत में वहां बुलाये गये। खासतौर से ३०—४० मील की दूरी से एक चीड़ का पेड़ लाया गया। साहब के कोई मेहमान की टोली आई हुई थी जिनके लिये क्रिसमस मनाने के लिये यह चीड़ का पेड़ लाया गया था। इस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को परेशानी होती है। जिस जिले से मैं आता हूं उसमें जंगलात की दिक्कतों के खिलाफ कई आन्दोलन हुये। ये वनाधिकारी बिलकुल सामन्तशाही का नग्न नाच कर, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर, मनमानी तौर पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। यदि यह धारणा रही हो तो मैं चाहूंगा कि उचित जांच कर अधिकारियों पर उचित कार्यवाही तुरन्त की जाय। सन् १९३० में जंगल विभाग के बारे में तिलाड़ी रवाई में एक आन्दोलन हुआ था जो कि प्रमुख था और कई महीने तक शासन व्यवस्था को जनता ने अपने हाथ में रखा था। अगर अब भी सरकार ध्यान नहीं देगी तो एक बड़ा भारी असंतोष वहां व्याप्त होगा, अधिकारियों के रवैये के खिलाफ। तो आज बड़ा तीव्र असंतोष है। जनता अभी "फारेस्ट फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी" ने जो रिपोर्ट दी है उस पर सरकार द्वारा फैसले का इंतजार कर रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां के लोगों को जो सुविधा मिलती आयी है वह तो मिलेगी ही, लेकिन अब इस बात का भी खयाल होना चाहिये कि वहां की आबादी बढ़ जाने से जरूरतें बढ़ गई हैं। इसलिये उनको अधिक सुविधा प्रदान करनी चाहिये। इन बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, आज जो सरकार की यह वन नीति कही जाती है उसके बारे में गांव की जनता का कहना है, जिनके ऊपर की यह सारी बीत रही है, कि सरकार की यह नीति वन नीति नहीं बल्कि जंगली नीति है।

श्रीमन्, मंत्री महोदय ने बताया कि जमींदारी खत्म हुई और जमींदारों ने तमाम जंगलों को उजाड़ दिया, इसलिये जंगलों की सुरक्षा के संबंध में अनुदान देने की आवश्यकता है जिससे यहां के जलवायु के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े। लेकिन इसमें दोष किसका है कि जमींदारों ने आज सब जंगल उजाड़ दिये। कांग्रेस सरकार की नीति के कारण ही जमींदारों ने सारे के सारे जंगल उजाड़ दिये क्योंकि जमींदारी खात्मे में सरकार ने देर लगायी। आज वन नीति में जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन मैं समझता हूं कि उससे जनता का कोई कल्याण नहीं हो रहा है।

फारेस्ट गार्ड्स जो जंगल की सुरक्षा के लिये हैं, उनकी तनख्वाहों तथा उनके निवास स्थानों को देखें तो मालूम होगा कि उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जब कि हमेशा जंगली जनवरों से उनको हर तरह का खतरा रहता है। वहीं दूसरी तरफ नैनीताल में जो बड़े-बड़े आफिसर रहते हैं उनकी तनख्वाहों को देखें कि कितनी बड़ी-बड़ी उनकी तनख्वाहें हैं तथा उनके रहने के लिये भी कैसे-कैसे आलीशान मकान हैं। उनकी सुरक्षा के लिये तो बड़ी तैयारी रहती है लेकिन जो जंगलात की सुरक्षा करते हैं तथा जिनको बराबर जंगली जानवरों से खतरा रहता है उनकी तादाद भी नहीं बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा लोगों को काम मिले जिससे देश की बेकारी दूर हो तथा जंगलात की सुरक्षा भी हो। सरकार को उनकी तनख्वाह बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिये। आपको इस बात पर विचार करना चाहिये कि जमींदार लोग किस तरह से जंगलों की रखवाली करके उसको पनपाते थे। जमींदार लोग किसी आदमी को रखवाली के लिये जंगल सौंप देते थे और उसमें से उसे भी कुछ हिस्सा दे देते थे, तब इतने जंगल बढ़े।

मैंने बाराबंकी जिले में तथा अपने क्षेत्र में देखा है कि सड़कों के किनारे जंगल लगाय गय, तार भी लगाये गये, फाटक बनाये गये, सीमेंट की बुर्जियां बनीं, लेकिन वे बालू की ही निकलीं और वे तमाम बुर्जियां उलट गयीं तथा तार भी निकल गय। इस तरह से जंगल की सुरक्षा के लिये जो रकम थी उसको वहां के अधिकारी खा गये। पुराने जमाने में जमींदार लोग गांव के गुड़ैत के द्वारा जंगलों की सुरक्षा कराते थे तथा किनारे-किनारे बबूल की बेलें तथा सरपत लगा देते थे जिससे उसकी सुरक्षा होती थी। हम तो कहते हैं कि पुराने जमाने में बहुत दिनों से लोग जंगलों के किनारे-किनारे खेती किया करते थे, जैसे सूरजपुर, रारी, नैयानाला, पलहरिया तथा भवनियापुर के किसान बहुत दिनों से जमीन जोतते थे जिनको वन विभाग ने उजाड़ दिया। इसी तरह से बाराबंकी-फैजाबाद सड़क पर भी जंगल है जिससे कुछ उत्पादन नहीं होता है और जहां थोड़े से जानवर, कबूतर, चिड़ियां आदि हैं। वहां पर जिले के बड़े-बड़े आफिसर और ताल्लुकेदार हमेशा जाकर शिकार खेला करते हैं। मैंने मना भी किया लेकिन बड़े-बड़े अधिकारियों के डर से बेचारे छोटे छोटे अधिकारी कुछ कर नहीं पाते। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी गत वर्ष वहीं शिकार खेलने के लिये गये थे। जंगल की सुरक्षा तथा जंगली जानवरों तथा चिड़ियों से ही जंगल की शोभा है, लेकिन जिले के अधिकारी लोग बड़े-बड़े ताल्लुकेदार, और कांग्रेसी नेता वहां जाकर शिकार खेला करते हैं और इस तरह से वह जंगल उनके शिकारखाने का काम देता है और शिकार भी वे लोग बिना परमिट के खेलते हैं। मैंने गत वर्ष माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त की थी और ये सब बातें उनसे कहीं थीं लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया।

बाराबंकी जिले में ऊसर जमीन बहुत है, तथा घाघरा, गोमती आदि नदियों से भी बहुत सी जमीन कट जाती है। तो बाढ़ से बचाने के लिये व नदियों के कटाव से जमीन को बचाने के लिये जंगल का लगाना जरूरी है। मैंने गत वर्ष भी यह सुझाव दिया था कि जहां जहां जमीन खाली है वहां पर पेड़ लगा दिये जायं ताकि ऊसर भी न बढ़े और जमीन भी न कटे, लेकिन सरकार की कान पर जूं नहीं रेंगी और उसने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

एक बात और बतलाऊं कि बाराबंकी में एक ट्रैक्टर पेड़ ढोने के लिये रखा गया है। मालूम नहीं कि कितने पेड़ उससे ढोये जाते हैं। मुझे मालूम है कि उस ट्रैक्टर से सरकार के कुछ दोस्तों तथा एक भूतपूर्व मंत्री के फार्मों को जोता जाता है और कई जगह वह इसी तरह से मंगनी व किराए में जाता है। सम्भव है कि वह किराए का पैसा भी पाते हों, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह से बाराबंकी के वन विभाग का ट्रैक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री रामस्वरूप वर्मा ने प्रश्न किया था तो बताया गया था कि केवल ४०-५० एकड़ जमीन जोती गई। जब उस का यह काम है तो वह क्यों वहां रखा गया है और उसका क्या काम है? मैंने भी पारसाल एक सवाल किया था कि पुखरा जंगल सरकार ने ले लिया, लेकिन एक भी पेड़ वहां आज तक नहीं लगाया गया। ४० लाख रुपया बाग लगाने के लिये दिया गया, लेकिन एक तरफ तो बाग कट गया और दूसरी तरफ लगता नहीं। लखनऊ निकट है, आप देखें कि तमाम लकड़ी यहां चली आती है, तमाम फलदार पेड़ कट रहे हैं और लखनऊ चले आ रहे हैं और वहां पर तहसीलदार और गिरदावर, कानूनगो मिल कर परमिट बना लेते हैं और एक बार में केवल ४ पेड़ों का परमिट बनाते हैं और तरकीब यह करते हैं कि एक बार में ४ पेड़ कटते हैं वह जब उठ जाते हैं तब फिर दूसरे ४ कट जाते हैं। कोई देखे भी तो कह दिया जाता है कि ४ ही पेड़ तो कटे हैं। इसी तरह से रौनी का बड़ा बाग था जहां लखपेड़ा कहलाता था और मल्लाह लोग बसते थे, उनको उजाड़ा जा रहा है और तमाम पेड़ कट गये हैं, अनेकों प्रार्थना-पत्र दिये गये, लेकिन कोई सुनवाई नहीं।

इसी तरह से ईंधन की बात है। पहले जमींदारी के जमाने में अगर शादी ब्याह में या छप्पर, हल के लिये लकड़ी की जरूरत होती थी तो मिल जाती थी, लेकिन अब उन बाराबंकी वनमानुष कहे जाने वाले लोगों को बड़ी मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है।

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

इसी तरह से हैदरगढ़ तहसील की आप जांच करावें तो वहां भी हजारों बीघा बाग कट गये और वहां के बाराबंकी के बड़े-बड़े ताल्लुकेदारों ने ४० हजार रुपया बाग लगाने के लिये लिया। मैंने अन्तरिम जिला परिषद् में भी यह सवाल उठाया कि उन्होंने बाग नहीं लगाये, एक पेड़ भी नहीं लगाया गया और कह दिया गया कि पेड़ सूख गये। मसौली के बड़े-बड़े ताल्लुकेदारों के ५०-५० और ४०-४० बीघे बाग कट गये और कोई बाग नहीं लगाया गया। यह स्थिति वन विभाग की है। अगर आपको बागों की सुरक्षा करना है तो आप गांव समाजों के सुपुर्द इन बागों की सुरक्षा का काम कीजिये ताकि सुचारुरूप से यह काम चल सके और जब कोई आग लगने से, बहिया से या किसी तरह से संकट आये तो ऐसे समय में गरीब लोगों को जंगल से लकड़ी दी जाय और हल व जुआ बनाने के लिये लकड़ी किसानों को दी जाय। आज सरावन और हल तक के लिये समय पर किसान को लकड़ी नहीं मिलती, उन की दरख्वास्त मंजूर नहीं होती।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वन विभाग में जब से जमींदारी समाप्त हुई अधिकतर परती की जमीनें और जंगल इस विभाग में आ गईं। पहले प्राइवेट जंगल से तमाम किसानों को खेती के लिये हल और मकानों के लिये लकड़ी मिलती थी, लेकिन आज उनके सामने राज्य की व्यवस्था है और जो सुविधा पहले उन को उपलब्ध थी वह अब नहीं मिलती। अगर आज हल टूट गया और उसको तत्काल लकड़ी की जरूरत है तो उस को वह उसी समय नहीं मिलती और २०-२५ मील दूर उसको रेन्जर आफिस जाना पड़ता है और अगर वहां रेंजर मिल जायं तब कहीं थोड़ी सी लकड़ी मिलती है और इस तरह से दस-पांच दिन लग जाते हैं, नतीजा यह होता है कि जो बुवाई या जुताई का वक्त होता है वह निकल जाता है या दूसरा फल इस का यह भी होता है कि इस से भ्रष्टाचार को बल मिलता है, लोग फारेस्ट गार्ड को एक रुपया देकर एक हल के बजाय ४ हल की लकड़ी ले आते हैं। सरकार की तरफ से प्रबन्ध होना चाहिये कि किसान को समय से लकड़ी मिले। इसी तरह मकान के लिये झोपड़ी की लकड़ी टूट गई हो और वर्षा हो रही हो और उसको फौरन ही लकड़ी की जरूरत हो तो नहीं मिलती, १०, १५ दिन बाद मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि किसान की जरूरत का सामान तत्काल मिलना चाहिये। यों अभी तक वह अपनी जरूरत तो पूरी करते ही हैं, लेकिन सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के जरिये उनको यह करना पड़ता है।

हमारे बुन्देलखंड में वन विभाग में बहुत सी जमीन बेकार पड़ी हुई है जिस पर न तो जंगल हैं और न उसे खेती करने के लिये ही भूमिहीनों को दिया जाता है, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। हमीरपुर जिले में चरखारी रियासत जब मर्ज हुई तो सारी जमीन स्टेट की, परती और जंगल, वन विभाग में चली गई जिसमें हजारों एकड़ भूमि काश्त के लायक पड़ी हुई है लेकिन वह भूमिहीनों को नहीं दी जा रही है। यह तो वन विभाग के कार्यों की हालत है।

सैकड़ों गांव ऐसे हैं कि उनकी सारी जमीन जो जमींदारों के समय परती थी वह वन विभाग में चली गई। अब होता यह है कि अगर किसानों के जानवर उनमें चले जाते हैं तो आये दिन उनको विभाग वाले परेशान करते हैं। मैं चाहूंगा कि उनको वे सुविधायें जो पहले थीं, मिलनी चाहियें।

इसी सदन में ला आफ जंगल की चर्चा उठ चुकी है। मैं उसकी दूसरी नजीर पेश करना चाहता हूं। मुझे खेद है कि माननीय वन मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं और वह कानून के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं पर उनके हाथ में यह विभाग रहते हुए कानून की क्या दुर्दशा है वह मैं बताना चाहता हूं। ७ मई को हमारे यहां का एक किसान सेंभर की लकड़ी ले जा रहा था स्टेशन के लिये। वन विभाग के दो कर्मचारी मिलते हैं और उनसे २५ रुपया रिश्वत मांगते हैं। जिसके न देने पर चांटा मारते हैं और रेंज आफिस पकड़ कर ले जाते हैं। यह इत्तला कांग्रेस दफ्तर को मिलती है तो कांग्रेस का मंत्री वहां जाता है और इसकी शिकायत करता है। तब अधिकारियों ने कहा कि अभी

कागज देख कर छोड़ दे रहा हूं। रात को ९ बजे २५ रुपये की फर्जी रसीद देकर उनको छोड़ा जाता है और यह कहा जाता है कि अगर तुम शिकायत करोगे तो हम रुपया वसूल कर लेंगे जिसकी रसीद दी है। वह सीधा मेरे पास आया, मैं सुबह अपने भतीजे की शादी में बाहर जा रहा था। मैंने कहा यह मामला ज्यादा न बढ़े इसलिये सुबह मोटर से स्टेशन जाते समय रास्ते में रेंजर के यहां खुद पहुंच गया और मैंने कहा कि इस तरह की ज्यादती नहीं होनी चाहिये। मेरे साथ जो वहां व्यवहार होता है एक ठूट मुहर्रिर के द्वारा, जो रेंजर का साला है, तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा। जब मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो मैंने कहा कि मैं इसकी रिपोर्ट डी० एफ० ओ० को आज फोन से करूंगा। इस पर रेंजर दो फर्लांग तक मुझसे माफी मांगता आया। मुझसे जब तक वायदा नहीं करा लिया कि मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा तब तक वह अनुनय विनय करता रहा। और मेरे माफ करने के बाद साढ़े तीन बजे दोपहर को ३५३ में रिपोर्ट लिखी जाती है कि सुदामा प्रसाद जी आये और उन्होंने मारा पीटा, सरकारी कागज पत्र फाड़े। मैं मध्य प्रदेश गया हुआ था, वहां से जब लौट कर आया तो मुझे डी० एफ० ओ० का पत्र मिला कि मैं उनसे इस सम्बन्ध में मिलूं। इस सम्बन्ध में मैंने १८ मई को माननीय मुख्य मंत्री और वन मंत्री को पत्र लिखा कि मैं अधिकारी का तबादला नहीं चाहता लेकिन इन्साफ चाहता हूं। यदि मैंने एम० एल० ए० के पद पर रह कर गलत काम किया है तो मुझे कहा जाय और यदि अधिकारी इस तरह माननीय सदस्यों के साथ ऐसा बरताव करते हैं तो जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा यह सोचने की बात है। दो पत्र लिखे, १८ मई और १५ जून को, उत्तर मिलता गया कि विचार हो रहा है, जांच हो रही है। १० जुलाई को माननीय वन मंत्री से लखनऊ में मिला और ४–५ अक्तूबर को नैनीताल में स्टैंडिंग कमेटी में मैंने यह मामला उठाया, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। जिलाधीश से कहा तो जिलाधीश ने कहा कि रिपोर्ट गलत है। मैंने कहा कि मुझ पर मुकदमा चलाया जाय ताकि कोर्ट से इंसाफ मिल सके क्योंकि विभाग इंसाफ करने में लाचार है। ३१० दिन हो चुके और अब तक ६ बार माननीय वन मंत्री से मिल चुका, ६ बार पत्र लिखे, लेकिन आज तक इस जंगल विभाग से रिपोर्ट नहीं आ सकी। जब विधायक के साथ इस तरह का बर्ताव हो तो इस विभाग से इंसाफ कैसे मिल सकता है? ३१० दिन के बाद आज तक यह विभाग रिपोर्ट ही नहीं मंगा सका तब फिर मैंने पुलिस स्टेशन से सर्टिफाइड रिपोर्ट ली ताकि कोर्ट में जा सकूं और वहां उचित कार्यवाही हो सके।

एक बात यह निवेदन करूं कि इसका परिणाम बुरा हो रहा है। इसका असर अधिकारियों पर बुरा पड़ रहा है। अभी हमारे यहां पवा के भूतपूर्व जमींदार ने एक फारेस्ट गार्ड को कुछ जमीन रिश्वत में दे दी जिसमें धान की खेती होती थी। फारेस्ट गार्ड ने हरिजनों से बेगार ली कि वे उस जमीन को जोतें व बोयें। एक हरिजन ने इन्कार किया तो मेरा सर यह कहते हुए शर्म से झुक जाता है कि उस फारेस्ट गार्ड ने उसके कपड़े उतरवा कर उसके ऊपर थूका। अधिकारियों के पास रिपोर्ट हुई तो वह मुअत्तल हुआ, लेकिन क्या कार्यवाही उसके खिलाफ की गयी यह अभी तक पता नहीं। छोटे से छोटा अधिकारी जब यह समझ सकता है कि एक विधायक के साथ यह व्यवहार किया जा सकता है तो वह कानून की परवाह नहीं करता और उसकी धज्जी उड़ाता रहता है।

मैं यह भी निवेदन करूं कि तालबेहट तथा मंडावरा रेंज में हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्या हाल हो रहा है। सैकड़ों हजारों वृक्ष फारेस्ट गार्ड्स द्वारा कटवाये जा रहे हैं और वे १०, ५ रुपया रिश्वत के ले लेते हैं। घी व गेहूं की वसूली होती चली जा रही है। इसकी शिकायतें की गयीं, लेकिन सरकार ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया।

मैं निवेदन करूंगा कि बुन्देलखंड तथा झांसी डिवीजन की शिकायतों की निष्पक्ष जांच की जाय। ये जंगल हमारे हैं। केवल १०, ५ फारेस्ट गार्ड्स या चन्द अधिकारी उनकी रक्षा नहीं कर सकते जब तक वहां की जनता का पूरा सहयोग न हो। ये जंगल जनता की सम्पत्ति हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं उनकी सम्पत्ति नहीं हैं। वे अपने काम का पैसा पाते हैं। इसलिये अगर

[श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी]

आप वनों की रक्षा करना चाहते हैं और जनता का सहयोग चाहते हैं तो जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। यह बात बड़े शर्म की है कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी हो। उस पार्टी का विधायक होकर मुझे उसके कर्मचारियों के विरुद्ध कोर्ट में जा कर शरण लेनी पड़े। लेकिन लाचारी है, मजबूरी है कि ६ बार अनुनय-विनय करने के बाद न मेरे खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, न उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमारी सहन शक्ति सीमा को पार कर गयी है। सरकार समय रहते हुए उधर ध्यान दे। कर्मचारी का तबादला कोई सजा नहीं है। सजा मुझे मिले अगर मैंने जुर्म किया हो और सजा उसे मिले अगर उसने जुर्म किया हो। आज हमारी इज्जत पर जो हमला किया गया है उसकी हम रक्षा करना चाहते हैं। हरिजनों का कपड़ा उतरवा कर नंगे बदन पर थूका जाय तो यह बड़े शर्म व लज्जा की बात है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और एक निष्पक्ष जांच कमेटी बैठाई जानी चाहिये।

श्री जगदीश नारायणदत्त सिंह (जिला खीरी)---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। किसी भी देश के लिये वन एक बहुत ही आवश्यक चीज है। मुझे दुःख है कि अपने यहां वन का क्षेत्रफल दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में बहुत ही कम है। अंग्रेजों के जमाने में भी और आज भी वन की बहुत दुर्दशा हो रही है। इसके लिये सरकार ने वन महोत्सव किये, नये प्लान्टेशन्स लगाये, लेकिन मैं यह देखता हूं कि इनमें जो हजारों रुपया खर्च किया जाता है वह सब बेकार जाता है क्योंकि उनमें लगाये गये अधिकतर वृक्ष बर्बाद हो जाते हैं। इस सिलसिले में मुझे एक बात और कहनी है कि जिस वक्त वनों के ठेके दिये जाते हैं तो ठेकेदार वन अधिकारियों से या वहां के स्थानीय अधिकारियों से मिल कर के अच्छे-अच्छे वृक्षों पर मार्किंग करा लेते हैं और इस तरह से हमारे हजारों अच्छे पेड़ काट जाते हैं।

इसके बाद हमको कुछ प्राइवेट फारेस्ट्स के बारे में कहना है। हमारे जिले खीरी में बहुत से प्राइवेट फारेस्ट्स हैं जो कि सरकार ने जमींदारी एबालिशन के बाद ले लिये। मगर आज तक उनका डिमार्केशन नहीं हुआ। जिस वक्त पहला नोटिफिकेशन हुआ उस वक्त उनका क्षेत्रफल कम था। उसके बाद फिर नोटिफिकेशन किया और जिसका पहले १०० एकड़ क्षेत्रफल था उसमें ६-७ सौ एकड़ और जोड़ दिया। नतीजा उसका यह हुआ कि जो काश्तकार उसके आसपास जमीन जोते हुये थे उनकी जुती-जुताई जमीन जिसमें फसलें खड़ी हुई थीं ले ली और फसल को चरवा दिया और उसको बिलकुल बरबाद कर दिया। आजतक न तो उनको कहीं दूसरी जमीन मिली न किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया। जितने चरागाह थे वे भी सब कब्जे में कर लिये और इस वक्त जानवरों के लिये कोई जगह किसी भी गांव में नहीं रह गयी है। नतीजा यह होता है कि वे लोगों के खेतों में घुस जाते हैं और फसल को बरबाद करते हैं। इसके अलावा मैं यह भी देखता हूं कि आज जहां सरकार के कागजों में जंगल लिखा हुआ है वहां खुद अपने जिले में और जिस क्षेत्र से मैं आया हुआ हूं मैं यह बता सकता हूं कि वहां पर कुछ लोगों ने वहां के स्थानीय अफसरों को घूस देकर सारा जंगल काट लिया है और फसल बो रहे हैं। तो जो काश्तकार हैं उनकी जमीन तो सरकार और फारेस्ट वाले ले लेते हैं लेकिन जो घूस दे देते हैं वहां जंगल के जंगल साफ हो जाते हैं और आज भी साफ हो रहे हैं। मंत्री जी इसको रोकने के लिये अवश्य कोई प्रबन्ध करें।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि जिन लोगों को जंगल के पास फार्म्स दिये गये हैं, जैसे रेफ्यूजीज हैं और बड़ी-बड़ी कालोनाइजेशन स्कीम्स खोली गयी हैं तो हम लोग तो यह कहते हैं कि वन के जन्तुओं की रक्षा करना हमारा धर्म है लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि उनको बुरी तरह से मारा जाता है। इसके लिये हमारा सुझाव है कि उनको जो लायसेंस दिये जायं बन्दूकों के वह ऐसे दिये जायं जिनकी बैरल शार्ट हो, जिससे वह क्राप्स का प्रोडक्शन कर सकें और जानवरों का स्लाटर न कर सकें। दूसरा सुझाव मुझे यह देना है और पिछले साल भी मैंने कहा था कि

एल० जी० और एस० जी० कार्टिजेज को बैन कर दिया जाय क्योंकि इनसे बुरी तरह से जानवर मारे जाते हैं और जो बड़े जानवर शेर वगैरह हैं वह इनसे नहीं मरते हैं और घायल हो जाते हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता मैन ईटर हो जाते हैं। तीसरी चीज यह है कि वनों में जब आग लग जाती है या और कोई चीज होती है तो उसके आस-पास के गांव वाले ही उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन जिस समय कोई मुनाफे की बात होती है तो उस समय लकड़ी काटकर दूर फैक्टरी को भेज दी जाती है और वहां के लोग फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो फारेस्ट प्रोडक्शन से फैक्टरी लगे वह फारेस्ट्स के पास ही लगनी चाहिये ताकि उसके पास के बसने वाले उससे लाभ उठा सकें। मेरे यही सुझाव थे और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इधर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)--माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मंत्री जी ने जो अनुदान उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वनों का मनुष्य जीवन में बहुत महत्व है और यही नहीं किसानों के लिये बाग का जो महत्व है वही सरकार के लिये वनों का कृषि के बाद है और इसी अनुपात में उनके होने की आवश्यकता है जिससे राज्य सरकार और समाज लाभ उठा सके और देश के विकास में सहयोग दिया जा सके।

वनों की महिमा आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से रही है। वैदिक काल में, पौराणिक काल में और इससे भी प्राचीनकाल में भी इसकी रक्षा के लिये, इसके प्रसार के लिये सुविधायें दी गई हैं और इनके लाभों का अच्छा गुणगान किया गया है। लेकिन जब से विदेशी शासन हुआ इस तरफ लापरवाही हुई और दिनोंदिन हमारे जंगल क्षीण होते गये। पिछली लड़ाई के जमाने में जंगलों को बेतहाशा क्षति पहुंचाई गई और आज भी वे बहुत गिरी हुई दशा में हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि स्वाधीनता के बाद हमारी सरकार का ध्यान इधर गया है और इनका तेजी से विकास भी किया जा रहा है लेकिन जितना होना चाहिये उतनी प्रगति नहीं हो रही है, जिसमें हमें काफी हानि उठानी पड़ रही है। एक जमाने में नदियों के किनारे जंगल बहुत बड़ी मात्रा में होते थे उनको खेती के विकास के नाम पर काटा गया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि नदियों के किनारे कट गये। जहां थोड़ी-सी जमीन मिली वहां आसपास की जमीन लगातार कटती चली जा रही है। उसकी उपजाऊ शक्ति नदियों के द्वारा बहती चली जा रही है और पैदावार पर बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ इन्हीं जंगलों में जंगली जानवर रहते थे जो उसमें रह कर अपना जीवन यापन करते थे। उससे हमारे देश की सम्पत्ति बढ़ती थी। लेकिन वह जंगलों से निकल कर खेती के मैदान में आ गये हैं और हानि कर रहे हैं, चारों तरफ घूमघाम कर के।

दूसरे, हमारे यहां जो जंगल होते थे, खास तौर से मैदानी इलाके में पलाश या ढाक के जंगल दिखायी पड़ते थे। ये जंगल आमतौर से ऊसर जमीन पर होते हैं। उनको कटवा कर खेती का क्षेत्र बढ़ाया गया, नतीजा यह हुआ कि ढाक के जंगल जहां से काटे गये वहां की जमीन फिर ऊसर हो गयी। वहां रेह पैदा होने लगी है। इस कारण हम उस जमीन को खेती योग्य नहीं बना पा रहे हैं। रेह पैदा होने के कारण बारिश में वह जमीन कटती जा रही है। ऐसी हालत में मैं चाहता हूं कि जहां ऊसर जमीन है वहां फिर से जंगल लगाये जायं, खास तौर से पलाश और बबूल के जंगल लगाने की कोशिश की जाय जो इस सम्बन्ध में ज्यादा उपयोगी हैं। हमारे पूर्वी जिलों में ढाक के जंगलों में आदिवासी जाति के मुसहर लोग रहते थे। उनका काम होता था उन जंगलों से लकड़ी और पत्ते ले कर बेचना और अपना जीवन यापन करना। लेकिन उन जंगलों के काट देने से उन को न तो पत्तल मिल पाते हैं और न लकड़ी मिल पाती है और आज वह खानाबदोशों की तरह मारे मारे फिर रहे हैं, जिन को बसाने की एक नयी समस्या पैदा हो गयी है। इसलिये जो बड़े-बड़े ऊसर पड़े हुए हैं उनका उपयोग सरकार जंगलों के लगाने में करे।

मैं सरकार का ध्यान अपने जिले की ओर खास तौर से दिलाऊंगा। वैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि सूबे के १७ जिलों में जंगल हैं, ३४ जिलों में बिलकुल जंगल नहीं हैं। यह बड़े

[श्री नागेश्वर प्रसाद]

दुःख की बात है । जहां पर जंगलों का इतना बड़ा महत्व है कि हर गांव के थोड़े बहुत जंगल चाहे कागज में दर्ज हों, या न हों, २, ४, १० एकड़ जरूर रहे हैं, वहां आज जिले के जिले बिना जंगल के हैं । मैं चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार विकास के अनुसंधान के लिए फार्म खोलती है उसी प्रकार हर ब्लाक में एक-एक जंगल, जितना रकबा इसके लिए मिल सके, जंगल लगाने की योजना बनाये जिससे लोगों को लकड़ी और पेड़-पौधों का लाभ हो सके और वहां पर जो जंगल के जानवर हैं उनको सुरक्षित रखने का मौका मिल सके । हमारे जिले में गोमती और सई नदियां हैं जो अपने किनारों को बहुत काटती हैं । उनके किनारे जंगल लगाने के लिये मैंने इस सदन में एक बार चर्चा किया था । उसकी कुछ शुरुआत भी की गयी लेकिन काम बहुत ढिलाई से चला । जहां शुरू हुआ था वहां बहुत जगह बन्द कर दिया गया । सई के किनारे एक ग्राम जनौर है । उस गांव के पास काम शुरू किया गया, पौधे लगाये गये, लेकिन बाद में बन्द कर दिया गया । जो सारा खर्चा किया गया वह बेकार हो गया । वहां पर ऐसी जमीन है जिस पर जंगल अगर लगाया जाय तो गांव वालों की जो जमीन कटती जा रही है उसकी रक्षा हो सके, वहां के लोगों को आसानी से लकड़ी मिल सके, और वहां के जानवर जो खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन जंगलों में रह कर अपने को सुरक्षित रख सकते हैं । इस तरह से किसान का लाभ हो और सरकार को भी लाभ मिले और जो जमीन बेकार बंजर पड़ी हुई है उसका भी उपयोग हो सके, लेकिन इस तरफ भी कोई सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया । हमारे यहां बसुही नदी है जिसके किनारे बहुत खाली जमीन पड़ी हुई है जो खास तौर से ऊसर है । अगर उसमें ढाक का जंगल लगाया जाय तो खासा लाभ हो सकता है । वैसे ढाक का पेड़ लगाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, इतना जरूर है कि उसको सुरक्षित रखने के लिये थोड़ी-सी व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसका आयोजन करना पड़ेगा । आम तौर से जो किसान की जमीन न हो, और वह गांव समाज की जमीन हो तो ऐसी जमीन में सब किसान पेड़ लगाने के लिये न जाने पायेंगे और न उनको कोई सुविधा प्राप्त हो सकेगी । ऐसी हालत में अगर गांव समाज के माध्यम से या सरकार अपने कब्जे में लेकर उन जंगलों को लगाये तो अधिक से अधिक उसका उपयोग किया जा सकता है । हमारे जिले की शाहगंज तहसील में बड़े-बड़े ऊसर बेकार पड़े हुए हैं । उनको भी सरकार लेकर जंगल लगावे तो बड़ा भारी लाभ हो सकता है । इस तरह से देखा जाय तो जंगलों का उपयोग जमीन के कटाव को रोकने के लिये, इमारतों के लिए, लकड़ी उपलब्ध करने के लिए, और दूसरे फलदार वृक्ष लगाकर उनका लाभ उठाने के लिये किया जा सकता है ।

जैसा कि मैंने कहा, हमारे यहां एक गांव में इस तरह का काम शुरू करने की सरकार ने व्यवस्था की है । आज भी सई नदी के किनारे भैंसा रामपुर, बनवीरपुर, पंडरी, पोखरा, चांदपुर, पियारेपुर, रामपुर, भरथरी, सोनहिता, संकरा रामपुर, कन्धो ऐसे गांव हैं जहां पर ढाक के जंगल और दूसरे किस्म के जंगल वाली जमीन बंजर के नाम पर पड़ी हुई है । असल में उसको जंगल के रूप में कागज में दर्ज हो जाना चाहिए, लेकिन सरकारी कागज ऐसे हैं कि जहां जंगल हैं वहां बंजर लिखा जाता है जिसका मतलब समझा जाता है कि बिल्कुल खाली जमीन है और जहां पर आज खेती हो रही है वहां पर भी वही बंजर ही दर्ज हुआ है । तो यह जो गलत इन्दराज हैं, जो कागज ठीक नहीं रखे गए हैं, उनका इन्दराज ठीक हो जाय तो बड़ा भारी काम चले ।

पहाड़ी इलाकों में हमने देखा कि बहुत सी जमीन बेकार पड़ी हुई है जहां साखू, सागौन और अखरोट तथा दूसरे फलदार वृक्ष लगाये जा सकते हैं । लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है । वहां पर खेती उतनी नहीं हो सकती है जितनी कि जंगल लगाकर उसकी लकड़ी को फर्नीचर और मकान बनाने के कामों में लाया जा सकता है । इन जंगलों से लीसा वगैरह का भरपूर उपयोग जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है । मुझे जानकारी है कि इन जंगलों का जो आंकड़ा दिखलाया गया कि इनसे इतना लाभ हो

रहा है, मैं समझता हूं कि बिना किसी को तकलीफ दिये हुए सावधानी अगर बरती जाय और सरकारी अधिकारी अगर नाजायज तरीके से लकड़ी और दूसरी चीजों को बर्बाद न होने दें और सतर्कता से काम करें तो इसका कई गुना लाभ हो सकता है और जो कुछ उससे पैसा मिले उसको दूसरी तरफ न खर्च करके इन जंगली इलाकों में, इन पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों को निकालने में और जंगलों को सुरक्षित रखने में उसका उपयोग कर सकें तो इससे देश की बहुत बड़ी सम्पत्ति बढ़ सकती है, राष्ट्र की शोभा बढ़ सकती है और देश का बहुत बड़ा विकास उनके द्वारा हो सकता है। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका निहायत शुक्रगुजार हूं कि इस बजट सेशन के ३८ वें दिन मुझे वन विभाग के बाबत कुछ बोलने का मौका मिला। वैसे तो पालिसीज के सुझाव के सिलसिले में सिर्फ दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। एक तो यह कि मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में फारेस्ट डिपार्टमेंट का एक अलग से पोर्टफोलियो होने की जरूरत है। हिन्दुस्तान में जो मन्त्रिमंडल है, उसमें आप देखें, श्रीमन्, कि कोई भी पोर्टफोलियो फारेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है। हिन्दुस्तान के मन्त्रिमंडल में १३ मन्त्री हैं, लेकिन वन विभाग का कोई भी मन्त्री नहीं है। राज्य के स्तर पर इसको देखा जाय तो उड़ीसा में, केरल में और जम्मू-काश्मीर में वन विभाग का कोई मन्त्री नहीं है। माननीय सुदामा प्रसाद जी की बात सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस उत्तर प्रदेश में इस वन विभाग के मन्त्री की न तो आवश्यकता है और न वन विभाग के मन्त्री महोदय अपने उस अस्तित्व को किसी तरह से जिम्मेदारी के साथ निबाह ही सकते हैं और अगर इस विभाग के अधिकारीगण अथवा मन्त्री महोदय अपने कार्य को निबाह नहीं सकते हैं तो इस पोर्टफोलियो की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे यह भी निवेदन करूं कि मैं इसको निश्चितरूप से सदन का अपमान समझता हूं कि जब दो करोड़ से ज्यादा का इस विभाग के अनुदान का बजट यहां पर पेश हो—मुझे माफ किया जाय अगर मैं यह कहूं—कि नीरो की तरह रोम के अपने महल में वह बैठा हो और यहां पर उत्तर प्रदेश के चुने हुए विधायक अपनी जनता की शिकायतें सुना रहे हों, बता रहे हों और उस समय मंत्री महोदय को सदन में उपस्थित रहने की फुरसत न हो।

दूसरी बात मैं पालिसी के रूप में इस सदन में आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ कन्जर्वेटर आफ फारेस्ट पर जो हम एक वर्ष के अन्दर ३३,००० रुपया खर्च करते हैं वह न्यायोचित नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि यह पद समाप्त कर दिया जाय। दूसरे विभागों को यह काम देने से इसकी पूर्ति हो सकती है। मेरा निवेदन उप-मंत्री महोदय से है जो कि मन्त्री महोदय की प्राक्सी कर रहे हैं कि वह इस पर विचार करें। कोई जरूरत नहीं है कि इस पद को रखा जाय। आज जब कि प्लानिंग के लिये बहुत रुपये की जरूरत और हर रोज इस बात की चेष्टा की जाती है कि रुपया किसी तरह से बचाया जाय तो कोई जरूरत इस बात की नहीं है कि २,८०० रुपये महीने पर एक आदमी को रखा जाय। ये कोई वन के एक्सपर्ट नहीं हैं। कोई इंजीनियर भी नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट की नौकरी के लिये किसी विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। माना जा सकता है कि इंजीनियर की कोई क्वालिफिकेशन होती है, माना जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर की कोई क्वालिफिकेशन होती है, माना जा सकता है कि इसी तरह से दूसरे पदों के लिये क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन जहां इस फारेस्ट डिपार्टमेंट का सवाल है इसके मैनेजमेंट के लिये कोई भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डिप्टी डाइरेक्टर काम कर सकता है। कोई भी रेवेन्यू

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

डिपार्टमेंट का अफसर इसका कार्य कर सकता है, इसलिये कि यह लैंड से सम्बन्धित बात है। राजस्व विभाग के अधिकारी या एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी इस वन विभाग के काम को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसलिये पालिसी के सम्बन्ध में इस सदन को मेरा यह सुझाव है कि वन विभाग का विलीनीकरण राजस्व विभाग में कर दिया जाय या इसका विलीनीकरण एग्रीकल्चर विभाग में कर दिया जाय क्योंकि इन दोनों विभागों की समस्या एक सी ही है। इस पुस्तक में यह कहा गया है कि भूमि संरक्षण का जहां तक प्रश्न है वह सब काम एग्रीकल्चर विभाग देखता है। यही दरख्त लगाने का काम फारेस्ट विभाग में होता है। इसलिये अगर वन विभाग इसके पास आ जाय तो वह उस काम को अच्छी तरह से देख सकता है। यह मेरा पालिसी के संबंध में दूसरा सुझाव है।

अब मैं अपनी स्थानीय बातों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस सारी की सारी पुस्तक में २,८६,००,००० रुपये के अनुदान के अन्तर्गत बुन्देलखंड का नाम लेते इस डिपार्टमेंट को शर्म आती है। इसी डपार्टमेंट के लोग बुन्देलखंड वालों के साथ कैसा बर्ताव कर सकते हैं यह उन्हीं अधिकारियों ने बता दिया। मगर इस सारी की सारी किताब में कहीं कोई जिक्र नहीं है और बुन्देलखंड के लोगों के मन में यह बात मजबूत होती जा रही है कि क्यों न हमारा एक अलग प्रान्त हो जाय, क्यों नहीं ऐसे मंत्रियों से, ऐसे अधिकारियों से, इस शासन से हम अपना संबंध-विच्छेद कर लें और उन से अपना संबंध जोड़ लें जो हमारी भाषा बोलते हैं, हमारा पहनावा पहनते हैं और हमारा साथ देना चाहते हैं। वह कम से कम हमारे ऊपर थूकेंगे नहीं और हम अपना एक ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं कि जो हमारी झोपड़ियों को जलाने की गुस्ताखी करेंगे, जो हम पर गोलियां चलाने की गुस्ताखी करेंगे उनको हम गोली मार सकें। मैं नहीं देखता कि बुन्देलखंड के जिले जिस परिस्थिति में हैं उसमें उनका कल्याण हो सकेगा।

जालौन का इसमें कहीं तजकिरा नहीं। जालौन की दो एक कठिनाइयां मैं सुनाऊं। फारेस्ट डिपार्टमेंट ने कालपी के बिलकुल किनारे पंडित गोविन्द वल्लभ पंत उद्यान नाम का एक बाग लगाया। उसके लिये जमीन एक्वायर की, जमींदार से। लेकिन उस को एक्वायर करने के बाद यहां के मिनिस्टरों के एक दोस्त को वह एक्वायर की हुई जमीन दे दी अपना पेट्रोल टैंक लगाने के लिये। सोचिये कि जमीन पब्लिक परपज के लिये एक्वायर की जाती है, लेकिन दे दी जाती है एक इंडिविजुअल को, एक कांग्रेस के प्रमुख आदमी को पेट्रोल टैंक लगाने के लिये। कालपी के आउट स्कर्ट्स में नेशनल हाई वे पर वह पेट्रोल टैंक मौजूद है। फारेस्ट डिपार्टमेंट का तार अभी भी लगा हुआ है वहां पर।

यही नहीं फारेस्ट डिपार्टमेंट के लोग अगर नदी गांव के नजदीक जाने की तकलीफ गवारा करें तो देखेंगे कि मकान के आंगन में फारेस्ट डिपार्टमेंट का चीरा लगा हुआ है। एक आदमी अपने मकान में रहता है, उसका जहां खाना बनता है वहां पत्थर लगा हुआ है। फारेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उसके मकान के अंदर घुस जाते हैं और यह कहते हैं कि तुमको खाना नहीं बनाने देंगे, मकान खाली करो। वहां कोई सर्वे नहीं हुआ है। पहले वह दतिया की रियासत थी। नदी गांव के इलाके के जो कागजात हैं वे बहुत खराब हैं। खतौनी और खसरे में कोई इंदराज नहीं थे। जहां चाहा फारेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी हद कायम कर ली। जो ४०, ४० साल से जमीन जोतते हैं और राजाओं के युग में दतिया की सरकार को लगान दिया करते थे, आज उन से कहा जाता है कि जमीन खाली करो और जब फरियाद की जाती है तो, जैसा सुदामा प्रसाद जी ने कहा, फारेस्ट डिपार्टमेंट वाले जबरदस्ती करते हैं। डिमान्सट्रेशन किये जाते हैं, रिप्रेजेन्टेशन किये जाते हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज नदी गांव के इलाके में बड़ी ज्यादती हो रही है।

इसी तरह से अधिष्ठात्री महोदया, मोहान एक स्थान है मेरी कांस्टीट्यूयेन्सी में और वहां एक जंगल है। अगर किसी को जाने की फुरसत हो तो मेरे साथ चले। मैं वहां हजार दो हजार आदमी पेश कर दूंगा जो यह कहेंगे कि सन् १९५७ के चुनाव में जिन आदमियों ने कहा कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे उनको खुली छूट हो गयी थी इस बात की कि जितनी लकड़ी चाहें वे काट ले जायं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम दो हजार गाड़ी लकड़ी उस मोहान के जंगल से अनधिकृत रूप से काटी गयी। लेकिन उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। बहुतपुर ऊरई के पास एक जंगल है। वहां पर अगर ५ रुपये फी मवेशी दे दिया जाय तो साल भर मवेशी चर सकते हैं और अगर ५०० मवेशी चराये जाते हैं और उनको २,५०० रुपये रिश्वत के नहीं दिये जाते हैं तो वे जानवरों को मवेशीखाने में बन्द कर देंगे और जैसा सुदामा प्रसाद जी ने बतलाया, उन पर ३५३ और ३३२ के मुकदमें चलाये जाते हैं। अगर जालौन की तरफ देखने की फुरसत हो माननीय मन्त्रिगण को तो देखें कि ऐसी जमीन जहां एक एक एकड़ में २० मन और १० मन गेहूं पैदा हो सकता है, फारेस्ट डिपार्टमेंट लिये हुये हैं। इसलिये यह जो कटौती का प्रस्ताव है, जो बड़ी मजबूरी और मुसीबत से इस सरकार का ध्यान दिलाने के लिये पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे आशा है यह सुझाव मैंने देकर अपना कर्त्तव्य पूरा किया है और इन्हें पूरा किया जायेगा।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके साथ ही मैं अपने कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। यह अनुदान जो है, वन विभाग का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान है और इससे हमारे राष्ट्र की तरक्की होती है, उस को तरक्की के बहुत से साधन उपलब्ध होते हैं। इसलिये इस विभाग की रक्षा करना हम सब का कर्त्तव्य है। यह राष्ट्र की एक तरह से सम्पत्ति है और इसकी रक्षा होनी चाहिये।

इस विषय में माननीय मन्त्री जी ने तथा अन्य दूसरे सदस्यों ने जो कुछ कहा है और उसके लिये भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनकी बातों का समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही अपने कुछ सुझाव भी अवश्य देना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वन तो राष्ट्र की सम्पत्ति हैं ही, लेकिन इसके साथ ही आप की दूसरी सम्पत्ति भी है और वह है हमारे प्रदेश का पिछड़ा हुआ अंग। इस समय जो भूमिहीन हरिजन वर्ग है वह भी हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति है। इन वनों की तरक्की के लिये उनका सहयोग अनिवार्य है और उनका सहयोग आप को तभी मिल सकता है जब आप भी उनके साथ सहयोग दें। बहुत समय हो गया, कई वर्ष पहले, मैंने एक सुझाव दिया था, उनके लिये ५० हजार एकड़ भूमि की मांग की थी। इधर से और उधर से भी कई लोगों ने यही कहा है कि हरिजन भूमिहीनों के लिये भूमि का प्रबन्ध किया जाय। हमको इसका प्रबन्ध करना चाहिये। काफी भूमि जो जंगल विभाग में ले ली गई है उनको दी जा सकती है। जहां तक मुझे मालूम हुआ है करीब ६० लाख एकड़ भूमि कुमायूं की जंगल विभाग के अधिकार में है जब कि केवल ५० हजार एकड़ की मांग भूमिहीनों के लिये पेश हो रही है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, उनके लिये भूमि देना अनिवार्य है। आज से १० वर्ष पहले भी मैंने यह मांग पेश की थी। पिछले साल एक आर्य कमेटी भी कायम की गई थी। उस कमेटी में कई सदस्य थे—मोहन सिंह, प्रतापसिंह जी, व गढ़वाल के नरेन्द्रसिंह भंडारी वगैरह। तो उसमें जो कुछ उन्होंने देखा भाला उसका जो नतीजा निकलेगा वह तो बाद में पता चलेगा ही, लेकिन इस वक्त क्या पोजीशन है? मालधन चौर में ३,००० एकड़ भूमि एलाट हुई, लेकिन २,००० एकड़ मिली है। वहां एक शोभनाथपुर विभाग के अन्दर है। तो वहां के लिये २०० प्लाट ऐलाट हुए, लेकिन मिला कुछ नहीं। वहां लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि सुनवाई होना अनिवार्य है। एक और जगह है कोटा। वहां के लिये कहा गया कि एक सेटिलमेंट आफिसर

[श्री खुशीराम]

नियुक्त किया गया है। जो वहां बैठे लोग हैं उनकी हालत को उन्होंने देखा, लेकिन नतीजा तो कुछ नहीं निकला। हां, एक जगह वहां किसी ने दिखाई कि यह गरीब व्यक्ति को दे दी जाय, लेकिन उन्होंने कहा कि यह रिजर्व जंगल लायक नहीं है, वरन् जहां पर उस गरीब की झोंपड़ी थी उसमें आग लगा दी और उस को निकाल दिया गया। वहां पर लोगों को जूतों से मारने की धमकी दी गयी और उस बेचारे गरीब से लिखवा लिया गया कि मेरा कब्जा नहीं है।

एक इलाका इसी तरह से चौहान कहलाता है। साथी प्रतापसिंह ने भी उसे देखा है। चाहे किसी पार्टी में हों इस वक्त तो यह हरिजनों का मामला है, उन्हीं के लिये उन्हें राय देनी है। वहां पर खत्तों के लिए जो हाई कास्ट के लोग हैं उनके लिये तो खुला है और उन लोगों को जमीन भी मिल जाती है, लेकिन हरिजनों की कोई सुनवाई नहीं होती ---यह मुझे कहते हुए बड़ी शर्म मालूम होती है कि वहां भी एक हरिजन की झोपड़ी में आग लगा दी गयी और बुरी तरह से उसको मारा गया और निकाल दिया गया। चुपके-चुपके उससे लिखवा लिया कि गलती से कुछ मामला हो गया था। अब वह रो रहा है। और भी केस चल रहे हैं, लोगों ने दरख्वास्त दे रखी है। अतः पहले जमीन का प्रबन्ध होना चाहिये। जो मालधन चौर में २०० प्लाट अलाट हो कर उनको नहीं दिये गये वह उनको अवश्य दे दिये जायं। उपरोक्त मांग की पूर्ति हेतु मैंने और जगह की सूचियां बनाकर दे रखी हैं। उसके मुताबिक जो हमारी ५० हजार एकड़ की मांग है, वह पूरी कर दी जाय। यह मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक यही दशा रहेगी। टनकपुर में साथी प्रताप सिंह जी के क्षेत्र छीनी आदि स्थानों में सैकड़ों आदमी आशा लगाये बैठे हैं कि उनकी मांगें पूरी होंगी लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं कि क्या हो रहा है। उनसे कहा जाता है कि तुम्हारी बात की सुनवाई होगी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप जो राम राज्य और समाजवाद लाना चाहते हैं वह तभी पूरा होगा जब आप इस तरह से जनता की मदद करेंगे।

मैं इन शब्दों के साथ प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री दर्शनसिंह (जिला शाहजहांपुर)---अधिष्ठात्री महोदया, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आप ने मुझे भी इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। जंगल के मुताल्लिक अगर मैं यह कहूं कि "ला आफ जंगल इज प्रिवेलिंग देयर" तो मेरे खयाल से यह गलत नहीं होगा। जंगल में जंगल का कानून रायज है यह बात आज मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं और सदन को बतलाना चाहता हूं कि यदि आप जंगल डिपार्टमेंट के वर्किंग को देखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जंगल का कानून जंगल में चल रहा है। मैं उसके लिये कुछ प्रमाण भी आप के सामने रखना चाहता हूं।

जंगल के लिये सरकार की नीति जो पिछले तीन चार साल से रही है वह भी मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। सब से पहले मैं सन् १९५६ के दिसम्बर महीने के एक जी० ओ० की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि फारेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ था। उसमें यह लिखा हुआ था कि प्राइवेट फारेस्ट की जमीनों पर जो अर्स्टव्हाइल जमींदारों की तरफ से जिनको भूमि दी गई है और जिनको पट्टे दिये गये हैं उनके पट्टे माननीय होंगे और वह भूमि अपने कब्जे में रख सकेंगे। दिसम्बर, सन् १९५६ में इस जी० ओ० के निकालने का क्या कारण था, वह भी मैं आप के सामने इस वक्त पेश करना चाहता हूं। सन् १९५७ में जनरल एलेक्शन होने वाला था। सन् १९५६ में जिस वक्त हमारी सत्ता पार्टी को इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि हम को वोट हासिल करने हैं, हमारे लिये इस बात की जरूरत है कि हम किस प्रकार से लोगों को धोखे में डाल कर वोट हासिल करें तो उन्होंने सन् १९५६ के दिसम्बर माह में एक जी० ओ० के द्वारा उन लोगों को झूठा आश्वासन दिलाया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जितने नोटीफिकेशन्स दफा ४ के मातहत उस समय किये गये थे वे सब के सब तकरीबन वापिस ले लिये गये। लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि फिर सभी पार्टी आकर काबिज हो गईं। उस पार्टी ने फिर क्या किया? जब उसने झूठे वादे देकर वोट हासिल कर लिये तब सन् १९५८ में जनवरी के महीने में एक

दूसरा जी० ओ० जारी किया और उसमें गवर्नमेंट ने साफ तौर से लिखा कि जो जी० ओ० सन् १९५६ में किया गया था वह खारिज किया जाता है। यही नहीं सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस जी० ओ० को विद रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट्स यानी सन् १९५६ से लागू किया जाय।

जो गवर्नमेंट सन् १९५६ में थी वही आकर सन् १९५८ में सत्तारूढ़ हुई। जो आदमी जंगलों में जा कर आबाद हुये, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ उन जमीनों को आबाद किया, अपनी जान गंवाई, मलेरिया की बीमारी में मरे, जानवरों के शिकार हुये, अब उन्हीं आबादकारों से कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की गलती की वजह से नहीं बल्कि आप अपनी गलती से वहां रह रहे हैं। आप उन जमीनों को छोड़ कर चले जाइये जिसमें आप ने अपना खून पसीना एक किया है। इसके लिये उनको तरह-तरह की तकलीफें दी जा रही हैं। आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूंगा जिनसे आप को मालूम होगा कि जंगल के आफीसरों की मनोवृत्ति अब जंगली हो गयी है और उन्होंने वहां के आदमियों को अनेक प्रकार से परेशान और हैरान किया है। चरखारी स्टेट का मामला तो आप के सामने पेश ही हो चुका है। वहां के लोगों के मकानों में आग लगा कर उनको वहां से निकाला गया। जिस वक्त यह सवाल माननीय मंत्री जी से किया गया कि क्या कोई ऐसा कानून है जिसमें अधिकारियों को ऐसा अधिकार हो कि जो जंगल की जमीन पर आबाद हो जायं उनके घरों को फूंक दिया जाय उसका कोई उत्तर नहीं मिला। आज उन आबादकारों की दुखभरी आवाज को ले कर आया हूं।

मैं जिस जिले से आया हूं वहां के हालात आप के सामने रख देना चाहता हूं। जिन लोगों ने सन् १९४६ में पुवांया तहसील को आबाद किया और डेफीसिट जगह को सरप्लस बनाया, जिन्होंने अपना हजारों रुपया खर्च किया, जिन्होंने अपने घर के सुख और संपत्ति को त्याग दिया, आज उन्हीं लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग यहां से निकल जाओ।

आज जब कि हमारी गवर्नमेंट ग्रो मोर फूड के लिये इतना ज्यादा नारा लगा रही है और एक तरफ उसके लिये वह हजारों रुपया खर्च करती है, तो दूसरी तरफ़ उसके विपरीत उसकी यह कार्यवाही लज्जाजनक है।

आज शाहजहांपुर में ऐसे लोगों पर जंगल काटने के मुकदमे चल रहे हैं जो लोग उस दिन अदालतों में हाजिर थे, जो बैंकों से रुपया विदड्रा करने आये थे और जंगल वाले इन बातों से बाज नहीं आ रहे हैं।

बहुत से पुराने जमींदारों ने कजरी, हरीपुर, कजरा और गहलुइया में लोगों के नाम पट्टे कर दिये थे। कब्जा काश्तकारों ने किया और उसके बाद उसको आबाद किया और आज इतने दिनों बाद जंगल वाले कहते हैं कि छोड़ कर चले जाओ। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि उन लोगली कब्जा करने वालों की ओर ध्यान दिया जाय और उनकी तकलीफों को दूर किया जाय।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया।

आज जो अनुदान पेश है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आजादी के बाद जब से कांग्रेस सरकार हुई, जंगल विभाग की तरफ से बहुत अच्छे-अच्छे पेड़ लगाये गये हैं। हमारे ही जिले गोरखपुर में काजू के पेड़ तक लगाये गये हैं। तो इस तरह से जंगल विभाग की तरफ से अच्छे अच्छे काम हुए हैं। लेकिन मैं अपने कुछ सुझाव देना मुनासिब समझता हूं।

जिस तहसील से मैं आता हूं उस क्षेत्र में करीब ८६ हजार एकड़ जमीन में जंगल है। जंगल विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मुझे कुछ कहना है। जंगल विभाग से सरकार को बहुत आमदनी है। मैंने गत वर्ष भी क्वेश्चन करके सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया था कि चोरी कर के बहुत से पेड़ काट लिये जाते हैं और ऐसे पेड़ काटने वाले ठेकेदारों से जंगल

[श्री गौरीराम गुप्त]

विभाग के अधिकारी रुपया वसूल कर के अपने लिये रख लेते हैं। मुझे बतलाया गया था कि ठेकेदारों के जिम्मे ६ लाख रुपया बाकी है, पता नहीं वह रुपया वसूल हुआ है या नहीं। जितने रेंजर हैं उनको जंगल के पेड़ नीलाम होने पर ठेकेदारों द्वारा १०० रुपये फी टुकड़ा ज्यादातर रेंजरों को मिलता है। जमींदारी खत्म होने के बाद वन विभाग को बहुत से जंगल मिल गये, बहुत से घाट मिल गये और बोरो की खेती हो सकती है, ऐसे ताल भी मिले। उसकी आमदनी को भी वन विभाग ने ले लिया जब कि उसे चाहिये कि उस आमदनी को वह गांव समाज की सेवा में लगावे। जैसे वहां पुल या सड़कों का या और कोई काम नहीं होता। मेरे क्षेत्र में हड़हवाघाट, परगापुर घाट हैं जिन्हें वन विभाग ने लिया, लेकिन आज तक हड़हवाघाट पर पुल नहीं बन सका। जिस वक्त नेगी जी वन विभाग के डिप्टी मिनिस्टर थे मैं इस सम्बन्ध में बराबर उनसे मिलता रहा और उन्होंने वादा किया था कि आप के क्षेत्र में वह पुल बनवा देंगे, लेकिन वे भी नहीं बनवा सके। फिर मैं वन विभाग के दूसरे मंत्री से भी इस सम्बन्ध में मिला और दरख्वास्त दी कि वह पुल बनवा दिया जाय। यदि वह पुल न बनवाया जाय तो पुरंदरपुर और पिचरूखी गांव समाज को उसे वापस कर दिया जाय। कुछ दिनों के बाद मेरे पास जवाब लिख कर आया कि टेक्निकल कारणों से गांव समाज को वह वापस नहीं मिल सकता। मैं आप के द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के एम० पी०, एम० एल० ए० या एम० एल० सी० के खानदान के लोगों को ठेका न दिया जाय।

अब टांग्या लोगों के बारे में मुझे यह कहना है कि जहां ज्यादातर नर्सरी की खेती है वहां नाजायज तौर पर काफी तादाद में शराब चुआई जाती है और आबकारी विभाग के लोग भी बगैर जंगल विभाग की इजाजत के वहां घुस नहीं सकते हैं। यह ठीक नहीं है। जब तक उनको इजाजत मिलती है तब तक शराब वहां से हटा दी जाती है। इसलिये मैं आप के द्वारा वन विभाग के मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनको स्पेशल तरीके से आर्डर दिया जाय ताकि शराब वगैरह जो वहां चुआयी जाती है वह बन्द हो जाय।

वन एरिया में खर वगैरह बहुत होती है जिसको नाजायज तरीके से बेच दिया जाता है। वैसे उसे बाढ़ एरिया के पशुओं के चरने के लिये ही कह कर छोड़ दिया जाता है, जो एक बहाना मात्र है। बाढ़ के मौके पर पशुओं के चरने के लिये उसे चरवाहों को दे दिया जाता है और वह रुपया फारेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास चला जाता है फारेस्ट गार्ड्स की तनख्वाह बहुत कम है जिसे बढ़ाया जाय। साथ ही वहां पर बहुत से लोग निजी पशु चराते हैं जो वन विभाग से ठेका नहीं लेते, बल्कि उसके एवज में व वहां के अधिकारियों को काफी तादाद में घी और दूध वहां की चरवाई में भेजते रहते हैं। आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि यह प्रथा बन्द की जाय।

इसके अलावा माननीय मन्त्री जी से मेरी सिफारिश है कि राजनीतिक पीड़ितों, हरिजनों, पिछड़ी जाति के लोगों तथा और गरीब तबके के लोगों को मुफ्त नहीं तो सस्ती कीमत पर लकड़ी देने की कृपा की जाय। आग लगने वालों को लकड़ी तो दी ही जाती है, लेकिन जब लकड़ी लेने के लिये वे जाते हैं तो बार-बार उनको वापस किया जाता है। कोरो बड़ेर तक के लिये बगैर पैसे खर्च किये लकड़ी किसानों को नहीं मिलती।

हमारे यहां जंगलों के आसपास पहले एक लेहरा स्टेट थी, जो एक अंग्रेज की थी। उस जंगल के पास बहुत से लोग प्राइवेट खेती करते थे। उस पर बाद में जंगल विभाग ने कब्जा किया, वहां बहुत से काश्तकारों के नाम खेती है, लेकिन वह अब परेशान होते हैं और खेती पर कब्जा उन्हें नहीं मिलता। वह मेरे पास आते हैं तो मैं उन को अधिकारियों के पास भेज देता हूं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता।

दूसरे जंगलों की जो कच्ची सड़कें हैं उन्हें पक्का किया जाय। मेरे क्षेत्र में जो सड़क है वह पक्की नहीं है, बल्कि मोटरों के लिये उस सड़क पर इजाजत है और उस के पास ही एक

बैलगाड़ी की सड़क है उस पर भी बैलों का चलना मुश्किल है और उन की जीभ निकल जाती है चलते-चलते, इस वास्ते उसे ठीक कराया गया और जंगल की सड़क को पक्का कराया जाय।

मेरे क्षेत्र में जंगल से बहुत अधिक आय होती है इसलिये मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि इस क्षेत्र में समय से इन पुलों को बनवाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपर)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, इस वन विभाग के अनुदान पर माननीय लारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

मैं यह कहने में तनिक भी हिचकिचाता नहीं कि वन विभाग की जो व्यवस्था है वह सचमुच जंगल में जंगल का कानून लागू है। वहां के टांगिया निवासियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है इसकी ओर मैं आप का और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि फरेंदा तहसील में आज से कुछ दिनों पहले की बात है कि हंडिया कोट नामक टांगिया में किस प्रकार वहां के टांगियो निवासियों के साथ अन्याय किया गया, जिस के बारे में प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना और श्री नरसिंह पांडेय ने जांच भी की और रिपोर्ट भी दी परन्तु उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के बजाय जिन्होंने शिकायत की थी उन व्यक्तियों पर गलत मुकदमें चलाये गये और शराब बनाने के इल्जाम लगाये गये, उनको लोअर कोर्ट से सजा भी कराई गई लेकिन बाद को अपील में वह लोग छूट गये। जिन लोगों ने शिकायत की उनके घर वालों के साथ जिस तरह का वन कर्मचारियों के द्वारा व्यवहार किया गया, वह कहते हुए शर्म लग रही है। वहां उन लोगों की बहू-बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनको मारा गया और शिकायत करने पर उल्टे उन पर ही मुकदमे चलाये गये। इतना ही नहीं उन के साथ खेती के अलाटमेंट में भी आज कल इस विभाग में भेदभाव बरता गया। इसके अलावा यह भी कहना चाहता हूं कि स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारी की आम बात हो गई है कि जो टांगिया निवासी वहां के कर्मचारियों की खुशामद करते हैं, जो उन की जी हजूरी करते हैं उनको तो जंगल में खेती तथा लकड़ी दी जाती है, और जो नहीं करते उन लोगों को नहीं दी जाती है और कहा जाता है कि तुमको कैसे मिले, तुम लोग हमारी खुशामद नहीं करते। इतना ही नहीं उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है और न पानी पीने की ही कोई व्यवस्था है साथ ही टांगिया निवासियों के लिये राशन की भी कोई व्यवस्था नहीं है, और न कोई दूकान गल्ले की वहां खोली गई है।

दूसरी तरफ मैं आप का ध्यान और भी दिलाना चाहूंगा कि जंगलों में जो लोग जमींदारी अबालीशन के पहले से खेती करते आ रहे हैं और जिनको जमींदारों ने पट्टे का अधिकार दे रखा है, आज उनकी खेती पर जबरदस्ती जंगल विभाग वाले कब्जा कर रहे हैं, और उनके अधिकार खत्म किये जा रहे हैं। इसके अलावा एक बात और यह है कि टांगिया निवासियों की खेती ५ साल के बाद दूसरी जगह बदल दी जाती है। उनको कोई स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी खेती स्थायी करते हुए उन्हें अधिकार प्रदान किये जांय। और इन वनों में फैले हुए भ्रष्टाचार को जरा देखा जाय कि किस प्रकार से चोरी से लकड़ी बेची जाती है। गोरखपुर जिले के चौक के रेंजर के बारे में शिकायत की गई चोरी से लकड़ी बेचने के बारे में, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अतिरिक्त एक बात और कहना है कि आज बाग बुरी तरह से काटे जा रहे हैं। सरकार कहती है कि वन महोत्सव किया जाय। लेकिन जो बाग कट रहे हैं उनके रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है और मवेशियों के लिये जंगलों में मुफ्त चरागाह की कोई व्यवस्था नहीं है, और उनके लिये आज गांवों में जमींदारी टूटने के बाद कोई चरने का स्थान नहीं रह गया है क्योंकि जमींदारों के जमाने में जो चरागाह थे उनमें बहुत से उठा दिये गये और जो उनके जंगलों में थे वह अब जंगल विभाग में आ गये हैं। तो मैं चाहूंगा कि जानवरों के लिये मुफ्त चरागाह की व्यवस्था की जाय। क्योंकि वन विभाग के

[श्री अमरनाथ]

कर्मचारियों को जो लोग दूध, दही मुफ्त देते हैं उनके जानवरों के चरने का इंतजाम तो वन कर्मचारी मुफ्त कर देते हैं और जो लोग नहीं देते हैं उनका बगैर पैसा दिये मवेशी चराने नहीं दिया जाता है तो इसकी ओर ध्यान दिया जाय।

हमारे जिले में गन्ना काफी पैदा होता है। डोमाखंड जंगल से सिसवा फैक्ट्री को गन्ना जाता है लेकिन वन विभाग द्वारा वन की सड़कों से होकर जाने के लिये मना किया जाता है। जिससे वहां के गन्ना किसान अपना गन्ना फरेंदा तहसील में नहीं गिरा पा रहे हैं। इसी तरीके से तहसील में स्थित आनन्द शुगर मिल को महाराजगंज तहसील का जो पश्चिमी हिस्सा है जहां का गन्ना उस फैक्ट्री में बराबर जाता था अब वन के रास्ते से ले जाने से मना कर रहे हैं। इतना ही नहीं वन विभाग की सड़कों से मोटरों द्वारा भी गन्ना ले जाने से अधिकारी रोकते हैं। उन किसानों को मार्ग की सुविधा अवश्य मिलनी चाहिए। और इसके अलावा एक बात और कहना है कि जंगली पशुओं से जंगल के पास की खेती को बड़ा नुकसान होता है। उसके बचाने का उपाय किया जाय क्योंकि जंगलों के किनारे जंगली पशुओं के जंगलों से निकलने पर रुकावट नहीं लगायी गयी है और न कोई तार ही लगाया गया है। इसलिये मैं चाहूंगा कि वहां तार लगाये जांय। एक बात और कहनी है कि जमींदारी खत्म होने के पहले जंगलों से लकड़ी लेने की जो सुविधा पहले समीप के लोगों को थी जैसे मुर्दा जलाने के लिए, मकान आदि बनाने के लिये, वह अब प्राप्त नहीं है। मैं चाहूंगा कि उनको मुर्दा जलाने के लिये और मकान बनाने के लिये जंगलों से लकड़ी देने की मंत्री जी व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ माननीय लारी जी के कटौती प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--अधिष्ठात्री महोदया, मैं लारी जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अगर वन विभाग का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाय तो हर माने में इसमें अवनति दिखाई पड़ेगी। सुरक्षित वन को देखें तो १९५७-५८ में उसका क्षेत्रफल ८२३९ वर्गमील था, १९५८-५९ में भी उतना ही क्षेत्रफल रहा। प्रोटेक्टेड फारेस्ट पहले १११९ वर्गमील था वह ११०६ मील रह गया। वर्ग रहित (अनक्लास्ड फारेस्ट) का क्षेत्रफल पहले ३७०१ वर्गमील था वह ३५७५ वर्गमील रह गया। यह १९५६-५७ और १९५८-५९ का फर्क है।

सरकार की ओर से कहा जाता है कि वन विभाग की आमदनी बढ़ती जा रही है। अब इसको भी देखा जाय। कुल रेवेन्यू १९५६-५७ में ५३१ लाख रुपया हुई। १९५७-५८ में ५३५ लाख हुई और १९५८-५९ में ५५६ लाख हुई। निश्चित रूप में २१ लाख रुपये की वृद्धि १९५७--५८ से १९५८-५९ में हुई। अगर खर्चा देखा जाय तो जहां १९५ लाख रिवाइज्ड खर्चा होता था, १९५६-५७ में वहां २४६ लाख खर्चा होने लगा। १९५८-५९ में यानी ६१ लाख रुपये का खर्चा बढ़ गया। अगर देखा जाय कि कुल बचत खर्चे को काट कर कहां जा रही है तो जहां ३३६ लाख रिवाइज्ड बचत १९५६--५७ में होती थी वहां १९५८--५९ में ३१० लाख रुपये की बचत हुई। यानी खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। थोड़ी सी आमदनी बढ़ी तो उसके मुकाबले में खर्चा चार-पांच गुना ज्यादा बढ़ गया और बचत ३३६ लाख रुपये की जगह पर ३१० लाख रुपये रह गयी। टोटल मिला कर आमदनी में ह्रास हुआ तो फिर किस मानी में वन विभाग चाहता है कि उसकी प्रशंसा की जाय।

क्योंकि समय कम है इसलिये मैं ज्यादा न कह कर केवल चकिया के लोगों की दुर्दशा का वर्णन करना चाहता हूं। वहां के जो गरीब किसान हैं उनके मकानों के आंगन में वन विभाग खूंटा गाड़े हुए है। कुआं चारों तरफ से घेरे हुए है। न वे पानी खींच सकते हैं, न घर में रह सकते हैं, न पशुओं को चरा सकते हैं, पूर्णरूपेण जंगल का कानून चकिया के जंगल में इस जंगल विभाग ने चला रखा है। अभी अभी परसों की बात है। चकिया के किसान आये

थे। उनके साथ में जिलाधीश के यहां गया। वे रो रहे थे। उनका कहना था कि साहब, हम कब तक इस तरह की मुसीबत व आफत बर्दाश्त करें। ग्राम समाज कहता है कि यह ग्राम समाज की जमीन है, वन विभाग कहता है कि उसकी जमीन है। वन मंत्री महोदय ने कहा कि आखिर है तो जंगल, जंगल में जंगल का कुछ कानून तो चलता ही है। आखिर जंगल का कानून तो चल ही रहा है। लेकिन जब वन विभाग कहता है कि उसकी जमीन है तो पहले वह उनको डिसपजेस करे, पहले उनको हटाये कानून के जरिये से जिनका पहले से अधिकार है, जिनके पहले से मकान बने हुए हैं, जिनके चरागाह रहे हैं, जिनके खलियान रहे हैं, जिनके कुएं व दरवाजे रहे हैं, पहले उनको कानून के जरिये से हटाया जाय। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जंगल विभाग निश्चित रूप से जंगल का कानून चलाना चाहता है। इसलिये मेरी यह मांग है कि पहले सरकार चकिया के सम्बन्ध में कोई ऊंचे स्तर की कमेटी बनाये जो बाकायदा जांच करे।

पहले जंगल में कुछ जातियां रहती थीं। जातियों का नाम लेने से आफत आ जाती है। यहां जातियां हैं और बगैर उनका नाम लिये हुए वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता। आज कुछ लोग जो जाति प्रथा को कायम रखना चाहते हैं और वे पिछड़ी जातियों को कंगाली की कीचड़ में कमलस्वरूप खिलाना चाहते हैं, वे इस नाम से चिढ़ते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि वह मुसहर और अन्य जातियां रहती थीं जो जंगल से लकड़ी काट कर अपना जीवन निर्वाह करती थीं। उनके जीवनयापन के लिये क्या इंतजाम किया गया? कोई इन्तजाम नहीं किया गया; जिसको चाहा ठेका दे दिया, जिस भाव चाहा दे दिया। आज वहां अराजकता, बदअमनी तथा बदइंतजामी है। उसके लिये वन विभाग की जितनी निन्दा की जाय कम है। इन शब्दों के साथ, मैं इस अनुदान में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्री अब्दुल रऊफ लारी**—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, इस अनुदान के सम्बन्ध में जो वादविवाद इस सदन में चला है उसमें जितने लोगों ने भाग लिया है, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि सभी लोगों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उस पक्ष के माननीय सदस्यों ने फार्मल तरीके से अनुदान का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने भी इस विभाग के भ्रष्टाचार तथा अधिकारियों के दुर्व्यवहार की कटु आलोचना की है। माननीय सुदामा प्रसाद जी गोस्वामी ने अपनी दुखद कहानी जो शर्म-शर्म के नारों के बीच में यहां कही है उसके बाद तो शर्म से गर्दन झुक जाती है कि जब एक जन प्रतिनधि के साथ इस विभाग के कर्मचारियों का यह व्यवहार है और जबकि वह जन-प्रतिनिधि उस पार्टी से सम्बन्धित है जिसकी आज यहां पर सरकार है तो फिर दूसरे लोगों और दूसरी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ उनका कैसा व्यवहार होगा, यह जरा सोचने की बात है।

(इस समय ३ बजकर ३४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

यह सिर्फ उन्हीं के इलाके में नहीं, हर तरफ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है और जहां कहीं भी इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई आवाज उठाता है चाहे वह उस गांव का रहने वाला हो, चाहे नजदीक का रहने वाला, कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे जन प्रतिनिधि हो, चाहे जनसेवक हो, तो उसके पीछे इस विभाग के अधिकारी पड़ जाते हैं और अपने कलंक को छिपाने के लिये हर जायज और नाजायज तरीके से उसको परेशान करते हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि इस विभाग में चोरी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है पर किसी में यह हिम्मत नहीं होती कि कोई आवाज उठाये। कदाचित् कोई आवाज उठाई भी जाती है तो यह विभाग, और मैं तो यह कहूंगा कि मंत्री जी भी खुद, इतने खामोश रहते हैं कि कोई हिम्मत नहीं कर पाता। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यह किसी की निजी सम्पत्ति नहीं है, यह जनसम्पत्ति है, उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ करना उचित नहीं है। इसी सदन के एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि बुन्देलखंड के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वह असहनीय हो चुका है और हम उनके दुर्व्यवहार का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

जवाब बन्दूक से देंगे। तो यह छिपी हुई ज्वाला है जो भड़क रही है और वह दिन दूर नहीं है कि अगर इसकी तरफ ठीक से कदम नहीं उठाया गया तो यह ज्वाला भड़केगी और पूरे प्रान्त को बर्बाद कर देगी। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इन आवाजों को सुनने की कोशिश करें और सही कदम उठायें वरना एक दिन आयेगा कि इसका नतीजा बहुत बुरा होगा।

मैं आपके द्वारा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी ले जाना चाहता हूं कि एक समाजवादी सरकार कहलाने के नाते उनका यह कर्त्तव्य है कि वह कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की तरफ भी ध्यान दें। एक तरफ तो २८ सौ और ३ हजार रु० तनख्वाह पाने वाले अधिकारी इस विभाग में हैं और दूसरी तरफ ३५–३६ रुपये पाने वाले लोग भी मौजूद हैं जो जंगलों में रहते हैं। बड़ी मुश्किल से २ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन अब पता चला है कि वह २ रुपये की बढ़ोत्तरी केवल उन्हीं को मिलेगी जिनकी तनख्वाह ३५ रुपये तक है, ३६ रुपये वाले को वह नहीं मिलेगी। यह नहीं होना चाहिये। जब सरकार का यह ध्येय है कि कम से कम १०० रुपये तनख्वाह जरूर होनी चाहिये तो २ रुपये की बढ़ोत्तरी जितने भी १०० रुपये से कम पाने वाले कर्मचारी हों उन सबको मिलनी चाहिये।

बहुत से आदरणीय सदस्यों ने इस बात की ओर भी मंत्री जी का ध्यान दिलाया कि जंगल के किनारे के खेतों के बहुत से विवाद उठ खड़े हुये हैं और वहां के किसान बहुत परेशान किये जा रहे हैं। इसी सम्बन्ध में एक सवाल के जवाब में मंत्रीजी ने कहा था कि बहुत सी मड़इयां जला दी गयीं और जब इधर से सप्लीमेंटरी क्वेश्चन्स होने लगे तो मजबूर होकर उन्हें कहना पड़ा कि जंगल में कुछ जंगली कानून भी चला करता है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कहीं यह न हो कि यह जंगली कानून यहां की जनता को जंगली बना दे। मंत्रीजी केवल अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को ही डिफेन्ड करने के लिये यहां नहीं हैं बल्कि जनता के दुःख दर्द को दूर करने के लिये भी उनको उपाय करना चाहिये।

श्रीमन्, एक फारेस्ट ग्रीवांज कमेटी बनी थी जिसने सुझाव दिया था कि जहां जंगल हो वहां के लोगों को क्या सुविधा दी जाय। इसमें कुमायूं के रहने वालों को यह सहूलियत दी गई थी, जिसको मैं पढ़कर सुनाये देता हूं। वह इस तरह से है कि :—

"There shall be no restrictions on the removal of dry leaves by any *bona fide* resident of Kumayun." कुमायूं के रहने वालों को ये सहूलियतें मिलनी चाहिये। लेकिन धीरे-धीरे यह भी खत्म की जा रही हैं। यह इसी गवर्नमेंट की बनाई हुई कमेटी का सुझाव है, लेकिन इस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है बल्कि उल्टे बड़ी बड़ी कम्पनियों को कौड़ी के मूल्य पर सहूलियतें दी जाती हैं। सात पैसे मन पर स्टार पेपर मिल को लकड़ी दी जाती है और लाखों मन लकड़ी दी जा चुकी है और वह ब्लैक मार्केट में बेच दी जाती है। बराबर सदन में मंत्री जी का ध्यान दिलाया गया, लेकिन वह ध्यान नहीं देते हैं, उल्टे उसकी वकालत करते हैं, यह निन्दनीय है।

पिछले साल में माननीय गोविन्द सहाय जी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी, जिसमें.....

श्री उपाध्यक्ष----जवाब देते वक्त जो प्वाइंट न उठाये गये हों उनको उठाना ठीक नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—पहले लोग इस पर बोले हैं, इसलिये इस पर मैं कह रहा हूं। इसमें इंडस्ट्रियल प्लांटेशन का जिक्र आया था कि ऐसी चीजें लगाई जांय जिससे हमारे यहां गृह-उद्योग बढ़ सकें। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो सुझाव उस कमेटी का आया था वह कहां तक सफलीभूत हुआ है या कहां तक उस तरफ कदम बढ़ाया गया है। इसमें स्पोर्ट्स, गुड्स, ऐग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स, हैंड मेड पेपर, बास्केट मेकिंग और टौय मेकिंग वगैरह के

बारे में कितना काम हुआ है । बीड़ी बनाने का जिक्र आया है कि इसके लिये पेड़ लगाये जा रहे हैं । इसके बारे में मैं कहूंगा कि सरकार वहीं पर यह काम कर रही हैं जहां पर यह हैं । मैं कहूंगा कि हर ग्राम सभा में इसका इंतजाम किया जा सकता है ।

नदियों के किनारे जंगल लगाकर भूमि को कटने से रोका जा सकता है लेकिन इधर मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है । बड़े-बड़े अधिकारी रख दिये जाते हैं और उन पर लाखों खर्च किया जाता है । इन शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं और आभार प्रगट करता हूं जिन्होंने इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब माननीय सदस्यों को जिन्होंने आज की डिबेट में भाग लिया है अपना आभार प्रदर्शित करता हूं । कई किस्म के सुझाव माननीय सदस्यों की ओर से आये और उन पर सरकार गम्भीरतापूर्वक अवश्य विचार करेगी । जो बातें यहां सदन में रखी गई हैं मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा । लेकिन मेरे लिये यह सम्भव नहीं हो सकेगा कि १५–२० मिनट में सब चीजों का उत्तर दे सकूं । जहां तक सम्भव होगा और जो प्रश्न यहां पर उठाये गये हैं उनका उत्तर देने में ही मैं अपने को सीमित रखूंगा ।

पहली बात यह है कि माननीय अब्दुल रऊफ लारी जी ने जो डिसक्रिपेंसी आंकड़ों में बताई, वह यह है कि पहले जंगल १३,०५४ वर्ग मील में थे, जो अब १२,९०० वर्ग मील में ही रह गये हैं । यह गलत नहीं है बल्कि बिलकुल सही हैं । पहले से हमारे यहां जंगल कम हो गये हैं । इसका कारण यह है कि कई डेम हमारे यहां बन गये हैं और कई जगहों पर रिहैबिलिटेशन स्कीमें चालू की गईं । खास कर वाराणसी, मिर्जापुर और नैनीताल में लोगों को बसाया गया । इसी कारण हमारे यहां जंगल तबाह हो गये । इसलिये जो आंकड़े दिये गये हैं उसमें कमी दिखाई गई है ।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि मैं पूछना चाहता हूं कि मथुरा और आगरा में एफौरेस्टेशन आफ फारेस्ट्स का काम हो रहा है वह वहां तक कामयाब हुआ है । इसके सम्बन्ध में मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं स्वयं भी फारेस्ट कमेटी के मेम्बर होने के नाते तथा लैण्ड मैनेजमेन्ट बोर्ड के मेम्बर होने के नाते वहां जाता रहा हूं और जो जंगलों का वहां काम हुआ है उसको मैंने स्वयं देखा है और मुझे बड़ा हर्ष है कि वहां पर बड़ी कामयाबी के साथ जंगल लगाये गये हैं । अगर लारी जी को मौका मिला तो उनको उन जंगलों को देखकर संतोष होगा कि यह जो काम किया गया है वह वाकई तारीफ के योग्य है ।

तीसरी बात जो उन्होंने कही वह यह है कि तांगिया लोगों को बहुत किस्म की तकलीफें हैं । उनके पढ़ाई-लिखाई आदि की बड़ी असुविधा है । मैंने विभाग के द्वारा मालूम किया है कि इनको काफी सुविधायें दी गयी हैं । कई स्कूलों की भी व्यवस्था की गयी है । सरकार की यह मंशा नहीं है कि उनको किसी किस्म की तकलीफ दी जाय । जहां तक हो सकता है, उनकी सुख-सुविधा का प्रबंध किया जा रहा है ।

एक सदस्य--कहां स्कूल खुले हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--यह डिटेल तो मैं दफ्तर से पूछ कर ही बता सकूंगा । आपने यह कहा कि जंगली जानवरों से काफी नुकसान हो रहा है । खास तौर से आपने यह कहा कि उनको पकड़ने के लिये जो ठेकेदार हैं, इस व्यवस्था को दोषपूर्ण बताया । आपका यह सुझाव है कि इस काम को ग्राम सभाओं को दे दिया जाय । लेकिन यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि जो मौजूदा ठेकेदार काम कर रहे हैं उनके ठेकों का समय समाप्त हो जाय ।

आपने यह भी कहा कि स्टार मिल को सस्ते दामों पर लकड़ी दी जाती है और गरीब लोगों को महंगे दामों पर दी जाती है । इस पर सदन में कई बार चर्चा हुई और माननीय मंत्री महोदय ने पूरे विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है । मैं आपको यह बतला सकता हूं कि जो भी काम किया गया है वह बुरी निगाह से नहीं किया गया है । सिल्वीकल्चर के जो विशेषज्ञ हैं उनका यह कहना है

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]

कि वहां जो पेड़ टेढ़े हो जाते हैं, जो डाइंग और डिकेइंग पेड़ होते हैं उनको नष्ट किया जाना चाहिये ताकि नये जंगल पैदा किये जायं और सुडौल दरख्त पैदा हों। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि वहां की सारी जनता को तीन नये पैसे प्रति क्यूबिक फुट के हिसाब से लकड़ी दी जाती थी, उस पर भी वह वहां की पूरी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं कि रुपया सवा रुपये मन बिकती है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---मैं रायल्टी की बात कर रहा हूं, वह बाजार भाव की बात कर रहे हैं। अगर वहां से यहां लकड़ी पीठ पर लायी जाय तो चालीस रुपये में पहुंचेगी। आप अल्मोड़ा बाजार की बात कर रहे हैं और मैं बता रहा हूं जंगलों का भाव।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---आपने कभी जंगल देखा है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---जितने जंगल मैंने देखे हैं शायद ही आपने या किसी ने देखे होंगे।

मैं यह बतला देना चाहता हूं कि इस मामले में बड़ी गलतफहमी हो चुकी है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष को बहुत सस्ते भाव पर लकड़ी दे दी गयी है और उसको फायदा पहुंचाया गया है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि दो आने फी क्यूबिक फुट से ज्यादा लकड़ी बिक नहीं सकती। इसके अतिरिक्त वहां के लोगों को जलाने की लकड़ी के लिये प्राथमिकता दी जाती है। उसमें ऐग्रीमेंट ऐसा है कि जितनी उनको जलाने के लिये लकड़ी की जरूरत होगी, उसको पहल प्राथमिकता दी जायगी और उनके इस्तेमाल के बाद जो लकड़ी बचेगी वह स्टार मिल को दी जायगी। इसलिये कोई शंका नहीं होनी चाहिये कि किसी किस्म की बेईमानी हुई है या बुरी निगाह से कोई काम किया गया है। जांच पड़ताल के बाद जिस ज्यादा से ज्यादा कीमत पर उठाया जा सकता था उसके मुताबिक कंटैक्ट किया गया। और यह कागज का एक कारखाना कायम हो, जिससे कि हमारे देश को कागज मिल सके और एक नयी इंडस्ट्री कायम हो सके, उस विचारधारा से यह सरकार ने मंजूर किया है। (व्यवधान)

इसके बाद श्री हरिदत्त कांडपाल जी ने कुछ शंकायें पैदा कीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---शांति रखें, आप लोग। इसके लिये आप प्रश्न पूछें।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---उनका कहना था कि पर्वतीय प्रदेश में जनता को जलाने के लिये लकड़ी और कोयले की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया गया है जिससे वहां के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ पैदा हो गई है। तो इसी मंशा से सरकार ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनायी और उस कमेटी के पास यह भी उनका कार्यक्षेत्र था कि वह इस बात की पूरी-पूरी जांच करे कि जो लकड़ी जलाने की मिलती है या इमारती लकड़ी मिलती है या कोयला जो वहां के लोगों को मिलता है, उसके लिये क्या कीमतें होनी चाहियें और उनको क्या-क्या असुविधायें हैं, इनकी पूरी-पूरी छानबीन इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने की है। उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है और उस पर सरकार विचार कर रही है।

इतना मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि सरकार ने अभी से ही एक आर्डर कर दिया है कि जैसी पहली व्यवस्था थी ५२-५३ में जिसमें कि ठेकेदारों के लिये जंगल एलाट कर दिये जाते थे, मार्किंग हो जाती थी और लकड़ी सिर्फ उन-उन शहरों में ही वह बेच सकते थे, वैसी ही व्यवस्था फिर से चला दी गई है ताकि जो मार्किंग होगी उन जंगलों में वह जैसी जरूरत वहां की जनता को होगी उसी किस्म की कड़ियां, तख्ते वगैरह वह बनायेंगे और इन शहरों में लाकर कोई सीलिंग उसकी मुकर्रर नहीं होगी, उस कीमत पर वह बेचेंगे। मगर कोयले वगैरह के लिये सरकार का कहना यह है कि इतने ज्यादा जंगल कट चुके हैं शहरों के नजदीक कि कोई लकड़ी वहां प्राप्त नहीं हो सकती और ५ मन लकड़ी से एक मन कोयला तैयार होता है। इसलिये कोयले की कीमत ज्यादा

होना आवश्यक हो गया है। फिर भी सरकार की तरफ से कई काम इस सिलसिले में किये गये हैं। तराई के इलाके से नैनीताल को कोयला दिया जा रहा है और कितने ही ट्रांसपोर्ट के वेहिकिल्स ठेकेदारों को मुहैया किये गये हैं ताकि वह कम भाड़े में कोयला लाकर वहां दे सकें। सरकार चाहती है कि जहां तक हो सके जनता को सुविधा दी जाय। इसलिये मेरे मित्र को इससे असन्तोष नहीं होना चाहिये। जो यह रिपोर्ट आयी है यह चीफ कंजर्वेटर के पास गई है और उनसे बहुत जल्दी रिपोर्ट मांगी है। उसके आने पर जल्दी ही उस पर विचार होगा। माननीय प्रताप सिंह जी जैसा कह रहे थे कि छः महीने हो गये और कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो उनका यह कहना अनुचित सा मालूम होता है क्योंकि वह स्वयं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेम्बर हैं। तीन महीने पहले जरूर कमेटी की रिपोर्ट आयी, लेकिन उसमें अंग्रेजी के बहुत से अपन्डिसेज थे। उस पर आर्या जी ने यह आर्डर दिया कि ऐसे अंग्रेजी के अपेन्डिसेज का पहले हिन्दी में अनुवाद कर दिया जाय। उसके बाद फिर वह रिपोर्ट प्रेस से वापस ले ली गई और उसका हिन्दी अनुवाद हुआ। इस तरह से मार्च में जाकर अपेन्डिसेज का हिन्दी अनुवाद हुआ, फिर रिपोर्ट आयी जो कि प्रेस को भेज दी गई। प्रेस के पास उस वक्त हमारे बजट का भी, काम चला गया था और बजट के काम को प्रायोरिटी देते हुये प्रेस ने इन कापियों को नहीं छापा। इसी की वजह से देर हो रही है। अब जैसे ही प्रेस से वह कापियां छप जायंगी, माननीय सदस्यों को भी वह मिलेंगी और उस पर पूरे तौर से विचार सरकार करेगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। सरकार की यह मंशा कभी नहीं है कि उनको किसी प्रकार की असुविधा हो। सरकार चाहती है कि वहां जितनी भी सुविधायें प्राप्त हो सकें, वे उनको दी जायं।

टर्पेन्टाइन के लिये प्रताप सिंह जी ने कहा कि आई० टी० आर०को लीसा १५ रुपया मन में दिया जा रहा है जबकि बाजार भाव उसका ३०,३५ रुपया मन है। यह बिलकुल सही है। सरकार भी इस बात को सोच रही है कि टर्पेन्टाइन फैक्टरी को इतना सस्ता लीसा देना कुछ अनुचित सा होगा। मगर बात यह थी कि गवर्नमेन्ट के ८० सैकड़े शेयर्स थे और टरपेन्टाइन फैक्टरी को इतने सस्ते दामों पर इसलिये दिया गया कि उनको आमदनी कुछ नहीं थी। इसीलिये भाव कुछ नहीं बढ़ाये थे। मगर अब कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स की और दूसरे कर्मचारियों की अब निश्चित राय है कि भाव बढ़ाने चाहिये, तो इसी विचारधारा को लेकर, जैसा कि सुझाव दिया है, यह निश्चित है कि भाव बढ़ाये जायेंगे। जिन लोगों ने इसका जिक्र किया मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि इसमें १० सैकड़ा लीसा तो पब्लिक आक्शन से दिया जाय, १५ सैकड़ा लीसा जो होता है वह कोआपरेटिव को दिया जाय और ७५ फीसदी टरपेन्टाइन को दिया जाय, ऐसा सुझाव है। यह जो ७५ सैकड़ा टरपेन्टाइन को दिया जायगा उसके लिये सरकार की विचारधारा ऐसी है कि उसके दाम बढ़ने चाहिये। वह भाव कहां तक बढ़े, उसके लिये क्या फैसला हो, इसके लिये निकट भविष्य में एक कमेटी बुलाई जावेगी। मुख्य सचिव उस आई०टी०आर० के चैयरमैन हैं। वह इस बात पर फैसला करेंगे और तब यह भाव जल्दी ही बढ़ाये जायंगे ताकि इसकी कीमत बढ़ सके। इसलिये टरपेन्टाइन को जो सस्ता लीसा दिया जाता है उसके दाम अवश्य बढ़ाये जायंगे।

मैं गोविन्दनारायण तिवारी जी की बात का खासकर जिक्र करना चाहता हूं। तिवारी जी एक बड़े सुलझे हुये आदमी हैं, विद्वान् हैं और काफी पढ़े लिखे हैं। मुझे उनकी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब और दुख हुआ। उन्होंने यह कहा कि इस वन विभाग को तोड़ देना चाहिये और इसकी आवश्यकता नहीं है और इसके काम को एग्रीकल्चर विभाग या राजस्व विभाग कर सकता है। यह भी कहा कि चीफ कंजर्वेटर आफ फारेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे यह सब सुनकर दुख हुआ। हां, यह बात उन्होंने सही कही कि जिन मंत्री महोदय का यहां पर बजट चल रहा है उनका आज यहां पर उपस्थित होना जरूरी था। मंत्री महोदय ने भी इस बात को माना है कि आज उनका यहां पर रहना कर्तव्य था और जरूरी भी था, लेकिन मैं तिवारी जी को यह बतलाना चाहता हूं कि आज दिल्ली में डेवलपमेन्ट कौंसिल की मीटिंग थी और उनका बतौर फाइनेन्स मिनिस्टर उसमें शामिल होना बहुत जरूरी था। इसलिये उनको वहां जाना पड़ा वरना वह ऐसी गलती हर्गिज न करते और इस बजट के अवसर पर वह यहां पर उपस्थित

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]

रहते। गोविन्द नारायण जी को इस बात का विश्वास होना चाहिये कि मंत्री महोदय ने स्वयं इस बात को अच्छा नहीं समझा। वह एक खास परिस्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा और मुझे इसी कारण से यह मौका मिला कि मैं आपके सामने थोड़ी बहुत बातें कह सकूं।

तिवारी जी ने जो यह कहा कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट में यह पोर्टफोलियो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वहां पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अन्दर ही फारेस्ट का पोर्टफोलियो हुआ करता है। तिवारी जी ने जो यह कहा कि चीफ कंजर्वेटर आफ फारेस्ट्स की पोस्ट को एबालिश कर देना चाहिये और एग्रीकल्चर विभाग का डिप्टी डाइरेक्टर इस काम को कर सकता है और फारेस्ट विभाग कोई टेक्नीकल सबजेक्ट नहीं है तो मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि इसके लिये सेलेक्टेड कैंडीडेट लिये जाते हैं और देहरादून कालेज में उनकी तीन साल तक ट्रेनिंग होती है। वहां पर फारेस्ट सबजेक्ट, जो एक टैक्नीकल सबजेक्ट है, उसकी पढ़ाई होती है। उसको वह पास करते ह। तब उनको जाकर इस सिल्वीकल्चर की जानकारी होती है और तभी जाकर फारेस्ट विभाग में लोग आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यह फारेस्ट विभाग कोई साधारण विभाग हो। इसमें बहुत से टेक्नीकल सबजेक्ट होते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट को एक इतना प्रमुख विभाग बना देना चाहिये कि इसके मुकाबिले में देश में दूसरा विभाग न हो। यदि यह विभाग इतना महत्वपूर्ण हो जाय तो देश जल्दी उन्नति कर सकता है। कनाडा में यह देखा गया है कि वहां पर सब से बड़ा प्रमुख यह फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट माना जाता है। वहां पर डिप्टी कमिश्नर से अधिक एक रेंजर की इज्जत होती है। जनता की नजरों में एक रेंजर की बहुत ज्यादा इज्जत होती है। उतनी इज्जत किसी ऐडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की भी नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि सही माने में इस विभाग को देखा जाय तो इस विभाग का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और जितनी भी इंडस्ट्रीज हमारे देश में हैं, जो एलाइड इंडस्ट्रीज हैं वे सब अगर फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के साथ होती और यह और विकसित होता तो जनता को यह अधिक सुविधा प्रदान कर सकता था और जनता और अधिक लाभ इससे उठा सकती थी।

मुझे माननीय गोविन्दनारायण जी की बातों से दुख हुआ और इसीलिये मैं उनके ध्यान में ये सब बातें लाना चाहता हूं कि वन विभाग के महत्व को वे कम न समझें। अगर उन्होंने इसकी स्टेडी की होती कि किस तरह से यह विभाग काम कर रहा है, कैसे जंगलों का विकास कर रहा है, तो उनको मालूम होता कि यह विभाग कितना आवश्यकीय है।

माननीय खुशीराम जी ने कहा कि हरिजनों को बड़ी तकलीफ हो रही है और उनको बसाने के लिये सरकार कुछ नहीं कर रही है। यह सही है कि हरिजन भूमिहीन हैं और उनको बसाना सरकार का कर्तव्य है और सरकार इसके लिये सोच भी रही है। कई किस्म के कालोनाइजेशन किये गये हैं, मालदन चौड़ जैसे। वहां काफी फैमिलीज को बसाया जा चुका है और इसके लिये कमेटियां बैठी हैं और देखा जा रहा है कि हम कहां जमीन मुहैया कर सकते हैं ताकि वहां हरिजनों को बसाया जा सके।

राजनारायण जी ने और प्रताप सिंह जी ने इस बात पर एतराज किया कि यह खर्च फारेस्ट डिपार्टमेन्ट का रोज ब रोज बढ़ता ही क्यों चला जा रहा है। पिछले साल से बजट ज्यादा हुआ है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि काफी डेवलपमेंट की स्कीमें हमारे प्रदेश में जारी हुई हैं और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसमें १४ बड़ी बड़ी योजनायें बनी थीं जिनके मुताबिक काफी सड़कों का निर्माण हुआ, रेजिन टेपिंग काफी बढ़ गया। स्लीपर्स का सेल लाखों रुपये का हुआ है, काफी बढ़ गया है। ऐसे ही कितने माइनर प्रोडेक्ट हैं फारेस्ट के जिन पर सरकार तवज्जह देने लगी है। मेडिसिनल प्लान्ट्स हैं, उनको बढ़ाया गया है। टेलीफोन लाइनें हैं जो लगायी गयी हैं, सड़कें जो पहले बिलकुल नहीं बनती थीं या बहुत खराब हालत में थीं, वे काफी अच्छी की जा रही हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में तो सरकार ने बहुत बड़ी योजना बनायी है जिसके

अन्तगत बहुत ज्यादा धनराशि की आवश्यकता होगी। उसके डिटेल्स तो समयाभाव के कारण मैं नहीं बतलाऊंगा लेकिन वह स्कीम देखने लायक स्कीम है और उसके लिये सरकार ने १७३४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है ताकि यहां कई किस्म का उत्थान किया जा सके।

कई माननीय मित्रों ने कहा कि ३४ जिले में जंगल नहीं हैं। उनको यह जान कर हर्ष होगा कि सरकार की यह योजना है कि हर एक ब्लाक में कुछ जंगल का हिस्सा रिजर्व किया जाय। भविष्य में यह होगा और इसी वजह से चीफ कंजरवेटर का आफिस यहां रखना आवश्यकीय समझा गया क्योंकि उनको कई कमेटियों में जाना पड़ता है और विकास का काम जो कुछ जिलों में ही था उनमें ही उसको सीमित न रख कर सारे प्रान्त में यह फारेस्ट डिपार्टमेन्ट अपनी एक्टीविटीज बढ़ाना चाहता है। ३४ मैदानी जिले जो मैंने बताये, दोआब के इलाके में, वहां काऊ डंग से लोग उतना भोजन बनाते थे और इस तरह से खेती की पैदावार में कमी आ जाती थी। इसलिये सरकार ने यह निश्चय किया है कि इन ३४ जिलों में हर ब्लाक में जंगल बनाये जायं ताकि लोगों को चरागाह मिल सकें और खेती के जो हथियार हैं उनकी लकड़ी उनको मुहैया हो सके और इन योजनाओं को सरकार यहां कार्यान्वित करना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—वन में संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है—वन की नीति में अव्यवस्था, अपव्यय तथा भ्रष्टाचार की चर्चा करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—वन—लेखा शीर्षक १०—वन के अन्तर्गत २,८६,५३,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५६—लेखन–सामग्री और मुद्रण

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१—लेखन–सामग्री और मुद्रण—लेखा शीर्षक ५६—लेखन सामग्री और मुद्रण तथा अवमूल्यन रक्षित निधि (Depreciation Reserve Fund) राजकीय मुद्रणालय के अन्तर्गत १,४०,७०,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, इस अनुदान के संबंध में मैं इस समय कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि जो बातें माननीय सदस्यों की तरफ से कही जायंगी उनको सुनने के बाद अगर आप १० मिनट का समय दे देंगे तो मैं उनका बाद में जवाब दे दूंगा।

(श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री मोतीलाल अवस्थी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—यह कटौती का प्रस्ताव, गोविन्द सिंह जी, आप पेश करेंगे? आप इसको पेश कीजिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—चाहता तो मैं ही था, किन्तु मैं बाद को अपनी बात कह लूंगा, माननीय अवस्थी जी को ही पेश कर लेने दीजिये, नहीं तो वह नाराज हो जायंगे।

श्री उपाध्यक्ष—आपके लिये कहा गया कि आप पेश करेंगे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे यह पसन्द नहीं। आप बार-बार उन्हीं से कह रहे हैं पेश करने के लिये। आपको सदन की मर्यादा रखनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—पी०एस०पी० की तरफ से यह कहा गया था कि जन संघ की तरफ से पेश किया जायेगा। मर्यादा तो जब आप सब रखेंगे तभी रहेगी।

श्री राजनारायण—लेकिन श्रीमन्, आपके द्वारा क्यों प्रेस किया जाता है उनको कि वही पेश करें? मैं इसको पसन्द नहीं करता हूं। इससे सदन की मर्यादा कैसे रहेगी?

श्री उपाध्यक्ष—जब आप जैसे लोग सदन में रहेंगे तो सदन की मर्यादा कैसे रह सकती है?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४१ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य:—नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है:—राजकीय मुद्रण कार्यालय, लखनऊ तथा इलाहाबाद में कर्मचारियों की प्रमुख मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना।

मैं इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुये आपकी सेवा में कुछ उन तथ्यों को रखना चाहता हूं जिनका मजदूर श्रेणी से भी संबंध है और कुछ अन्य बातों से भी संबंध है। पहले तो मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि इस मुद्रण के संबंध में जो व्यय हो रहा है और इस मुद्रण और लेखन और लेखन शाखा में जो सुविधायें मिलती हैं उनको देखते हुए मेरा विचार है कि इसमें कुछ धन का अपव्यय भी हो रहा है। यह १,४० लाख का जो अनुदान आज पेश है, पिछले सालों से मैंने गौर करके देखा तो यह उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है और इसका उसी क्रम से लाभ हमें नहीं दिखाई पड़ता है। मुझे इस संबंध में जो और डिपार्टमेंट में कमियां की गयी हैं इकानामी की उसकी कोशिश की गयी है इसका जो मुझे खबर नहीं है, लेकिन मैं अवश्य जानता हूं कि आज जो हमारे सामने अनुदान में विस्तृत विवरण बताया गया है उससे इस विभाग में कुछ अपव्यय या बरबादी धन की अधिक हुई है।

गवर्नमेंट के जो प्रेसेज इलाहाबाद, लखनऊ या और जगह चल रहे हैं और जो कार्य हो रहा है उसके अतिरिक्त भी अगर सरकार के पास कार्य पहुंचता है तो सरकार प्राइवेट प्रेसेज में भी अपने कामों को भेजती है, जिसके फलस्वरूप उसे ७८,६२,००० रुपये देने पड़ते हैं। ऐसी हालत में कह सकता हूं कि सरकार के ये प्रेसेज अच्छे रूप में नहीं चल पा रहे हैं, काम पूरा संभाल नहीं पा रहे हैं और इनमें जो कार्य करने वाले हैं उनके साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अन्य विभागों की हालत है कि टाप हैवी आफिसर्स को ल्युक्रेटिव पोस्ट्स पर, अच्छी जगहों में रखना, उनके इमाल्युमेंट्स ऊंचे ऊंचे रखना, लेकिन उसके साथ जो हमारे निम्न कर्मचारी हैं उनके पे स्केल की ओर ध्यान देना, उसी प्रकार से इस विभाग में भी हो रहा है। जो परिचालक हैं रचना शाखा, कम्पोजिंग डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, जो और मुद्रण और मशीन में काम करने वाले या लिथोग्राफी में हैं या जिल्द साजी में हैं, प्रूफ पढ़ने वाले हों सबको हम देखते हैं कि सबकी बेसिक पे २५–३० रुपया है। किसी किसी प्रूफ वाले की ४५ रुपया है। तो यह २५ रुपये की बेसिक पे आज भी मौजूद है जबकि उसी डिपार्टमेंट में जो सुपरिंटेंडेंट हैं, ज्वाइंट सुपरिंटेंडेंट्स, डिप्टी सुपरिंडेंटेंट्स हैं, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट्स हैं इन सबों का पे स्केल ५०० रुपये से लेकर काफी ऊपर तक गया है। तो मैं यह कह सकूंगा कि जैसी हमारी आल इंडिया पालिसी है कि बेसिक पे निम्न कर्मचारियों की बढ़ा रहे हैं और ७० रुपया बेसिक पे रखी गयी है तो क्या वजह है कि इन कर्मचारियों की बेसिक पे में, जो कभी कभी २४ घंटे भी काम करते हैं, होल टाइम वर्कर हैं, बढ़ोत्तरी न की जाय? साथ ही विशेष बात यह है कि इस डिपार्टमेंट में टेम्पोरेरी हैंड्स अधिक हैं। जहां तक मैंने जांच की, ५८७ हैंड्स ऐसे थे जो टेम्पोरेरी हैंड्स हैं और इनमें आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो ५ साल से भी ज्यादा के हैं। इस अनुदान में २८६ आदमियों को जो ५ साल से ज्यादा के थे उनको परमानेंसी देने के लिये

कुछ प्रावीजन है, लेकिन इसको देखते हुये भी मालूम होता है कि ३०० छोटे कर्मचारी अब भी बाकी रह जाते हैं जो कि अस्थायी एक साल से ज्यादा वाले या कई साल के काम करते हुये हैं। तो इनके प्रति न हम बेसिक पे देकर न्याय करा पावें और न स्थायित्व दे पावें तो मैं यह कहूंगा कि जब सरकार के इंस्टीट्यूशंस में मजदूरों के प्रति सरकार का यह रुख है जो कि डायरेक्टली सरकार के मैनेजमेंट में हैं तो प्राइवेट कंसर्न्स में कैसे न्याय हो पावेगा।

एक तरफ यह कहा जाता है, जैसा कि मैं मिसाल के तौर पर आप से कहूं, कि मुद्रणालय जो ऐशबाग, लखनऊ में है, वहां १,००० कर्मचारी हैं, कहा जाता है कि यहां काम अधिक है, दूसरे प्राइवेट प्रेसेज को देंगे। दूसरे छापेखानों को काम भेजा भी जाता है लेकिन हमारी भी बहुत सी मशीनें बेकार पड़ी हैं। मैं मानता हूं कि हमारे भूतपूर्व मंत्री ने कुछ बचत की बातें सोची थीं। स्टेशनरी का बहुत सा सामान या तो बिना इस्तेमाल किया रहता था या उसका दुरुपयोग होता था। अब उसके लिये उन्होंने वाटर मार्क की स्कीम निकाली है। इससे कागज का दुरुपयोग बन्द हो जायगा और उसके संबंध में १५,००० रुपये की मांग भी रखी गई है। स्टेशनरी का दुरुपयोग अभी तक होता रहा है और गवर्नमेंट ने इसे माना भी है।

दूसरे, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि टाप-हैवी इमाल्युमेंट्स दिये जाने वाले आदमी तो वह बढ़ाती जा रही है लेकिन नीचे के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के लिये वह क्या कर रही है। एक सहायक लेखा अधिकारी की नियुक्ति की बात रखी गयी है। उसके ऊपर भी ५६,००० रुपये का प्रावीजन बढ़ाया जा रहा है।

स्टेशनरी और प्रिंटिंग विभाग का हमारे माननीय सदस्यों का अनुभव यह रहा है कि उनके पास कुछ प्रकाशन जाया करते हैं। उन्हीं के अनुभव पर मैं कह सकूंगा कि सरकार का यह काम कितना ढीला है। अपनी प्रक्रिया नियमावली में लिखा है कि ६ या ७ सप्ताह के अन्दर हमारे पास यहां की कार्यवाही की प्रतिलिपियां पहुंच जानी चाहिये, मगर नहीं हो पाता है। शायद ही कभी समय के भीतर कोई प्रतिलिपि पहुंची हो। होता यह है कि चौथा या पांचवां अंक तो पहले दे दिये जाते हैं और उससे पहले के अंक बाद में दिये जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि वे क्रम से कभी नहीं छपती हैं। विधान परिषद की कार्यवाही भी हमारे पास जाती है मगर वह ५९ में सन् ५६ और ५७ की जाती है। पता नहीं यह देर क्यों है।

प्रिंटिंग प्रेस का हेड आफिस इलाहाबाद माना गया है और वहीं से हमको पब्लिकेशन मिलते हैं। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर बताता हूं कि मुझे पुलिस रेग्यूलेशन्स की एक प्रतिलिपि की आवश्यकता पड़ी। पुलिस विभाग के सेक्रेटरी ने स्वयं वादा किया था कि वह भेज देंगे, लेकिन वह इस प्रकार भेजी गई कि मैं यहां था और मुझे डिलीवरी न होकर वापिस चली गई। मैं कई महीने तक इंतजार करता रहा और मुझसे कहा गया कि पोस्टेज मुझसे तलब की जायगी। मैंने कहा कि मैं लखनऊ में था और मुझे यहां देनी चाहिये थी। जब हम लोगों को यहां ज्यादा रहना पड़ता है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि हमें यहीं से प्रकाशन मिल सकें। हमारे पास अगर लाइब्रेरी उपलब्ध है तो यहां किसी एजेंसी के द्वारा सभी प्रकाशन फ्री मिलने चाहिये। एजेंसी है, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है कि सभी प्रकाशन मिल सकें। मैं चाहूंगा कि सदस्यों की सुविधा के लिये इस विभाग की तरफ से यहां कोई एजेंसी कायम हो जिसके द्वारा हमें यहां हरएक प्रकाशन उपलब्ध हो सकें और हमें बेकार का पोस्टेज न देना पड़े।

लखनऊ में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें करीब एक हजार के कर्मचारी हैं। वहां के मजदूरों का माननीय मंत्री जी से यह विशेष तौर से आवेदन है कि मजदूरों के यूनियन के प्रति उपमंत्री जी की कुछ शनि दृष्टि रहती है और उनके जो कुछ थोड़े से कृपापात्र लोग होते हैं उन्हीं का उसके हेंडलिंग में हाथ होता है। और जब कभी मजदूरों के ऊपर जुल्म होता है तो वे हम ही लोगों के साथ खतोकिताबत करते हैं। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऐशबाग में जो मजदूरों की यूनियन है वह दिखावटी है। यूनियन का चुनाव एक कमरे

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

में बैठकर करा लिया जाता है, खुल कर चुनाव नहीं कराया जाता है और इस प्रकार से मजदूरों के साथ न्याय नहीं हो पाता है। वहां पर भाई-भतीजावाद का बोल बाला है। यह तब तक चलेगा जब तक मजदूरों को खुल कर चुनाव नहीं करने दिया जाता है। मैं जानता हूं कि ये चुनाव बड़ी खूबी के साथ करा लिये जाते हैं। विशेषतौर से जब ऊपर से उपमंत्री जी या मंत्री का इशारा हो जाता है। कोई भी आदमी आवाज उसके खिलाफ उठाता है तो कुचल दिया जाता है। इसके बारे में एक कहावत भी है---गरीब मारा जाय और रोवे न पाये।

मैं यह भी जानता हूं कि इन कर्मचारियों के बारे में उनकी जो पालिसी है वह पुरानी है। वे पुराने लेबर लीडर रह चुके हैं और वहां बड़े टेक्टिक्स खेल कर उपमंत्री बने हैं और उसी पालिसी को वे आज भी खेल रहे हैं। उनका यह फेवरिटिज्म का तरीका अच्छा नहीं है। जब मजदूर अपनी दुखभरी आवाज उठाते हैं तो हो सकता है कि उस आवाज को कुछ समय के लिये कुचला जा सके, लेकिन हमेशा के लिये उसको दबाया नहीं जा सकता।

स्टेशनरी में ६८,६५ हजार रुपया खर्च करके लेखन सामग्री के भंडार की प्रक्रिया होती है। इसका सदुपयोग होने की आवश्यकता है और तभी आप सफल हो सकते हैं जबकि हमें आप रीसेंट पब्लिकेशन दे सकें। इसके अलावा इस विभाग की ओर से हमें डे टु डे गाइडेंस भी मिलनी चाहिये ताकि सभी लोगों को सुविधा हो सके। हर विभाग के बारे में अलग-अलग नोट तैयार किये जाने चाहिये जिससे हर विभाग की बात समझने का मौका मिल सके। हमारे विभाग की तरफ से एक प्रक्रिया नियमावली छापी गयी है, लेकिन वह सदन की प्रक्रिया नियमावली के बारे में है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सदस्यों की गाइडेंस के लिये हर विभाग की तरफ से हैंडबिल्स छापे जायं जिससे नये लोगों को विभाग की नार्मल वर्किंग जानने में सहायता हो सके।

प्रत्येक सदस्य के चरित्र और जीवन के संबंध में हमें यहां साहित्य उपलब्ध कराया गया। उसमें किसी प्रकार से जल्दबाजी की गयी जिसके कारण बहुत से जीवन चरित्र छप नहीं पाये। उन लोगों के दिल में रंज है कि उनके जीवन चरित्र नहीं छप पाये। पता नहीं की दूसरा प्रकाशन भी सरकार पसंद करेगी या नहीं जिसमें सब लोगों की जीवनी आ सके। इन सब बातों को ध्यान में रख कर मैं चाहूंगा कि सदन मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले।

श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान पेश है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और उसके साथ ही साथ इस विभाग में जो गवर्नमेंट प्रेस उसके संबंध में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। हमारे डिप्टी मिनिस्टर बहुगुणा जी वहां गवर्नमेंट प्रेस की मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उस जमाने में बहुत सी मांगें उन्होंने पेश भी की थीं, लेकिन मालूम ऐसा होता है कि मिनिस्टर होकर यहां आने पर वह उन सब चीजों को भूल गये। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वहां के मजदूरों से उन्होंने वादा भी किया था और वे बराबर उनके लिये लड़ाई लड़ते रहे, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बात पर वे ध्यान दें।

१८ कैटेगरीज का मामला वहां पर चला और तीन चार साल हुए गवर्नमेंट प्रेस में हड़ताल भी हुई, तो गुप्ता जी जो उस वक्त मिनिस्टर थे वहां गये, बनारसी दास जी भी वहां पर गये और उन्होंने सब चीजों को देखा भाला और उन्होंने वादा किया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं और जो कुछ हुआ वह नहीं के बराबर है। १८ कैटेगरीज के बाद वहां अधिकारियों ने ३२ कैटेगरी दिया, लेकिन उसका भी आज तक कोई मसला तय नहीं हुआ। इस संबंध में हम लोगों के डेपुटेशन ४,५ मर्तबा मिल चुके हैं और अधिकारी लोग बराबर आश्वासन देते रहे कि हम जल्दी से जल्दी इस मामले को तय करावेंगे, वहां के मजदूर घबड़ाये हुये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही हैं कि इलाहाबाद में काफी नेता हैं, वह लीडराबाद तो है ही। वहां मजदूरों में इतने जोरों की परेशानी है कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। मालूम नहीं कि जो मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं उनका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता। वहां के मजदूरों में इस वक्त इतनी घबड़ाहट तथा परेशानी है कि वे हम लोगों के लिये मुश्किल कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर आप इस मामले को तय कराते हैं तो करावें, नहीं तो हमारी यूनियन से इस्तीफा दें। तो मेरा निवेदन है कि आप इस मसले पर जल्दी से जल्दी कोई फैसला करें, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वहां के मजदूर घबड़ा कर हड़ताल भी कर दें। अगर सरकार मजबूर करती है तो वे मजदूर हड़ताल करने के लिये भी तैयार हैं। लेकिन इन लोगों को हम शांति देते हैं, आश्वासन देते हैं और समझाते हैं। इसलिये अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इस मामले को तय कराया जाय।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रिंटिंग और स्टेशनरी का प्रश्न है इस पर इस असेम्बली फ्लोर पर सब से कम बातचीत हुई है और होती है और जितना इसमें गड़बड़ घुटाला है वह भी अपने ढंग का बेजोड़ है। जितना ही कम इस विषय पर बात होती है उतना ही ज्यादा इसमें गड़बड़ घुटाला है। तीन सरकारी प्रेस हमारे सामने हैं जिनमें एक इलाहाबाद का है जहां २,५०० कर्मचारी कार्य करते हैं, दूसरा ऐशबाग, लखनऊ में है जहां १,००० कर्मचारी कार्य करते हैं और तीसरा रुड़की में भी एक छोटा-सा प्रेस है जहां ६० कर्मचारी कार्य करते हैं। बहुगुणा जी जो यहां बैठे हुये हैं उनका संबंध इलाहाबाद तथा यहां के प्रेस की मजदूर यूनियन से रहा है। मुझे इस बात को कहते हुए थोड़ा दर्द हो रहा है जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि उनको हर चीज की जानकारी होते हुये भी पता नहीं क्यों वह यहां पावर में आने पर दरगुजर कर रहे हैं। मैं उनका ध्यान कुछ और बातों की तरफ भी दिलाऊंगा। इस प्रेस की वर्किंग कैपेसिटी पर अगर ध्यान दें कि जिसकी पचासों लाख की लागत है तो हमें वर्तमान बजट में एक आइटम बहुत चुभता हुआ सामने दिखाई देता है और वह है ३,४५,००० रुपये की रकम जो अन्य प्रेसों को छपाई के काम के लिये दी जाने वाली है, कुछ प्रेस बनारस के हैं, इलाहाबाद के हैं, लखनऊ के भी हैं, इन प्रेसों के जो बड़े-बड़े मालिकान हैं वह कि इनकी थैली के चट्टे बट्टे हैं, यह मंत्री जी जानते हैं। अगर पचासों लाख रुपया लगा कर भी हमें ३ लाख ४५ हजार की रकम दूसरे प्रेसों को छपाई के काम के लिये देना पड़ती है और इस तरह से अपने मौजूदा प्रेसों की इन एफीशियेंसी बरदाश्त करना पड़ती है तो यह उचित नहीं है, इसको फौरन खत्म करना चाहिये भले ही इसके लिये हमें दस-पांच लाख रुपया और प्रेस में लगाना पड़े। हमें अपनी कैपेसिटी आफ वर्क बढ़ाना चाहिये और इस तरह से दूसरों को रुपया देना बन्द किया जाय।

दूसरे, हर सरकारी विभाग में यह कायदा है कि गजटेड आफिसरों का तबादला ३ साल बाद हो जाता है लेकिन पता नहीं सरकार को क्या मोहब्बत है कि प्रेस में जो वर्तमान गजटेड आफिसर हैं वह ९-९ साल तक एक जगह पर रखे जाते हैं! ऐशबाग प्रेस में मौजूदा डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट जो हैं वह दो साल बीच में नहीं रहे बाकी सन् ४९ से आज तक ९ साल से यहीं पता नहीं क्यों बने हुए हैं यह बहुगुणा जी बतायें। यह अनुचित है और उनको हटाकर दूसरों को मौका मिलना चाहिये।

इसके अलावा, जो अन्य चीजों की व्यवस्था सरकारी प्रेसों में है उसकी तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां के कर्मचारियों के साथ किस प्रकार का पक्षपातपूर्ण और भेदभाव पूर्ण व्यवहार होता है? ऐशबाग प्रेस में किस तरह से पुराने क्वार्टर कहकर छोटे लोगों से खाली कराये गये और बड़े वेतन पाने वाले किस तरह से वहां ७-८ साल से बिना किराये के रह रहे हैं? कई साल बजट में उनकी रिपेयर के लिये पैसा रखा गया, लेकिन उनकी मरम्मत इसलिये नहीं कराई गई कि अगर मरम्मत हो जायगी तो किराया देना होगा और आज तक जिनके लिये वे क्वार्टर्स थे उनके लिये मकानों का

[श्री मदन पांडेय]

कोई ठिकाना नहीं किया गया। मेरा सुझाव है कि अगर वह क्वार्टर मरम्मततलब हों तब तो उनकी मरम्मत कराई जाय और उनका किराया बाकायदा वसूल किया जाय और अगर मुफ्त रखना है तो उनमें कम वेतन वालों को ही रखा जाय।

चौथे जो मजदूरों के और मैनेजमेंट के बीच वहां के इंडस्ट्रीयल डिसप्यूट्स हैं उनको तय करने के लिये एक नाम मात्र की मेशीनरी वर्क्स कौंसिल बनाई गई है और उसमें आई० एन० टी० यू० सी० के जरिये नामिनेशन कराया जाता है। इस नामजदगी की नीति मंत्री जो भले ही पसन्द करते हों, लेकिन यह वाकया है कि आई०एन०टी०यू०सी० की यूनियन में मजदूरों का विश्वास नहीं है और इस तरह से पार्टी बेसिस पर वर्क्स कौंसिल का निर्माण न होना चाहिये। मेरा सुझाव है कि वर्क्स के लिये चुनाव की बैलट प्रणाली को अख्तियार किया जाय और मजदूरों का आम मत लेकर इन वर्क्स कौंसिल का निर्माण किया जाय।

प्रेस की प्रापर्टी किस तरह से बरबाद की जाती है इस तरफ भी मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कई साल से जो प्रेस के पास कुछ इमारत के एक्सटेंशन के लिये जमीन पड़ी हुई थी जब उसकी बाउन्डरी वाल खींची जाने लगी तब पता लगा कि चटखनी के कारखाने ने जमीन दबा रखी है। ११ साल से जो सुपरिंटेंडेंट वहां हैं उनकी देखरेख में वह जमीन थी, फिर किस तरह से चटखनी मिल या ताला मिल वालों ने बगैर उनकी जानकारी के उस पर कब्जा कर लिया ? इस प्रकार के सुपरिंटेंडेंट को इस कारण से भी वहां रखना उचित नहीं है। इस पर ध्यान दिया जाय। इसी तरह से एक चीज होती है "मोल्ड" वह १२००-१४०० रुपये की होती है, वह गायब हुई, लेकिन जब सदन में प्रश्न किया गया तो पुराना मोल्ड रखकर कहा गया कि मिल गया, लेकिन सन् ४९ से जितने मोल्ड आये हैं उन सबके नम्बर इनवायसेज पर लिखे हुये हैं। जिन दो मोल्डों के बारे में बताया जाता है और जो पुराने बाजार से खरीद कर रखे गये हैं उनके नम्बर इनवायस से मिलने पर घपला पता चल जायगा और जो व्यक्ति इसके लिये जिम्मेदार हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

ब्लाक कैमरे के लैंस के संबंध में जब स्टाक टेकिंग अफसर, इलाहाबाद, से आये तो स्टाक में दो लैन्स फोर्ज्ड पाये और वह आज भी मौजूद हैं। इसकी जांच की जाय कि ऐसा क्यों किया गया। आखिर प्रेस में भी तो जनता का ही पैसा लगा है।

कर्मचारियों के बारे में मुझे यह कहना है कि लाइनो मोनो आपरेटर्स तो ४० के करीब ऐसे हैं जिनको बैटर प्लेस्ड कहा जा सकता है क्योंकि उनको बोनस मिलता है तथा उनकी तनख्वाह भी अच्छी है। लेकिन शेष ९६० कर्मचारियों की हालत अच्छी नहीं है, जो तनख्वाह पहले मिलती थी वही मिलती चली आ रही है, न ही उनको बोनस ही दिया जाता है, मैं चाहूंगा कि इनके संबंध में पे कमेटी मुकर्रर की जाय जो उनके हर पहलू पर विचार करे और अपनी राय दे जिसे सरकार कार्यान्वित करे, निम्बकर कमेटी की तरह उसे शेल्वन कर दे।

डाकेट सिस्टम आपके यहां प्रीवेलेंट है जिसकी वजह से जो चीजें छपती हैं उनका क्या दाम लगता है, इसका कई वर्ष तक किसी को पता नहीं लगता। मैं चाहूंगा कि जितनी छपाई हो, उस पर कितना पैसा लगा, इसकी सूचना अगर साल भर के अन्दर मिल जाया करे तो भ्रष्टाचार की गुंजायश कम रहेगी।

इसके अलावा, बाहर के प्रेसेज को सरकार अपने प्रेस से ही छपाई के लिये कागज देती है और एक्सेस पेपर को वह रिटर्न नहीं करते। जब उनसे मांगा जाता है तो कह देते हैं कि एक्सेस पेपर के दाम उनसे रिकवर कर लिये जायं और वे प्रेस वाले उस कागज को ब्लैक मार्केट में बेंच देते हैं। इन चीजों की तरफ ध्यान दिलाते हुए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)--उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, आपकी आज्ञा से अगर मैं यह कहूं कि इस पर जो बहस हुई वह लेबर के अनुदान पर हुई होती तो कोई अनुचित न होगा। प्रेस में क्या खामियां हैं, यह बताना चाहिये था। श्रीमन्, प्रेस की एफीशियेंसी इसी से स्पष्ट है कि सदन का रोजाना का जो काम होता है वह कितनी एफीशियेंटली होता है, मैं उसकी तारीफ किये बिना नहीं रहूंगा।

कहा गया कि लेबर यूनियन नहीं है। अवस्थी जी ने कहा कि वहां तो हम यूनियन ही नहीं बना पाते। जब लेबर आप पर विश्वास करेंगे तभी तो आप यूनियन बनायेंगे। लेबर को मिसगाइड करने से तो काम नहीं चलेगा।

माननीय मदन पांडेय जी ने कहा कि रैफरेंडम होना चाहिये क्योंकि वहां एक ही यूनियन है। आप लोग लेबर का काम करते हैं, मैं तो करता नहीं। जब एक ही यूनियन है तो आप कैसे रैफरेंडम करेंगे ? जब दो, चार यूनियन एस्टेब्लिश कर लें तो वोटिंग हो सकेगी, अभी तो एक ही यूनियन है।

यह भी कहा गया कि ९६० को तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, ४० को बढ़ाई गयी। लेकिन ९६० को बोनस न दिया गया होता तो आपको एतराज का मौका था। कुछ ऐसे लेबर लाज बन गये हैं कि तनख्वाह बढ़ावें या न बढ़ावें लेकिन बोनस बढ़ाना कम्पलसरी हो गया है। उसी ला से गाइड होकर बोनस बढ़ा दिया गया है। मंत्री जी इस संबंध में खुद बतलायेंगे।

जहां तक प्रेस का संबंध है, आप देखें कि रिपोर्ट्स तथा एजेंडा हमें ठीक समय से मिल जाते हैं। यह भी कहा गया कि बाहर के प्रेसेज को भी काम दिया गया जैसे बनारस या इलाहाबाद के। अगर यही नाराजगी है और गोरखपुर के प्रेस के लिये कहिये तो मैं आपके साथ मंत्री जी से निवेदन करूं कि वहां के प्रेसेज को भी काम दिया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--फिर बनारस का क्या होगा ?

श्री लालबहादुर--अगर आपको ठीक से काम न दिया जाय तो भी आपको शिकायत होती है। वक्त पर काम नहीं दिया जाय तो कहा जाता है कि आपका प्रेस ऐसा है, ठीक वक्त पर काम नहीं देता और अगर बाहर से छपाते हैं तो भी आपको एतराज होता है। एक देहाती मसल है "हारों तो हूरों और जीतों तो थूरों।" कहीं तो गवर्नमेंट की तारीफ करिये। जब अपने प्रेस से काम नहीं होता है तो बाहर से काम कराया जाता है ताकि आपको वक्त पर काम मिल जाय। अगर बाहर से काम न कराया जाय तो फिर हमारा प्रेस निकम्मा है।

आपका यह भी सुझाव है कि जो प्रेस के एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक कमेटी बना दी जाय। मैं इस राय के खिलाफ हूं। कमेटी और कमीशन से मैं ऊब चुका हूं। मैं काफी कमेटी व कमीशन में रह चुका हूं। जहां कमेटी और कमीशन की बात आई तो यह निश्चित है कि काम हो नहीं सकता। मुझे ताज्जुब है कि आप इतने बुद्धिमान होते हुए कमेटी और कमीशन की डिमांड करते हैं। कमेटी और कमीशन झगड़े की चीज है। पब्लिक का पैसा भी उसमें नाजायज तौर से खर्च होता है और उसको बचाने का आपका फर्ज है। लेकिन जब मदन पांडेय जी ने कमेटी की बात कही है तो कुछ न कुछ तो सरकार को सोचना ही पड़ेगा।

यह भी मेरा निवेदन है कि एफिशियेंसी तभी मैनटेन हो सकती है जब हम दोनों मिल कर एक साथ एफिशियेंसी मेनटेन करायेंगे। लेकिन आप यह तय कर चुके हैं कि जो हम करेंगे उसका आप खामख्वाह विरोध करेंगे तो एफिशियेंसी मेनटेन नहीं होगी। अगर आप एफिशियेंसी मेनटेन कराना चाहते हैं तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट के साथ कोआपरेशन कीजिये, खाली लकीर के फकीर न बनिये कि बजट पेश हुआ तो उसका विरोध करना ही है, क्योंकि प्रोसीजर है विरोध

[श्री लालबहादुर]

करने का। प्रोसीजर यह भी है कि कहीं न कहीं तारीफ भी कीजिये। इतने बड़े प्रेस के लिये १,४०,७०,५०० रुपये का अनुदान मांगा गया है। साढ़े ६ करोड़ इस प्रदेश की आबादी है और अगले सेंसस में ७ करोड़ हो जायगी। फिर भी सरकार का सारा काम इस प्रेस द्वारा होता है। जब सरकार का कुल काम इसी प्रेस से कंट्रोल होता है तो इस मामले में तो मदद कीजिये और खासकर अवस्थी जी तो मास्टर होने के साथ-साथ मालूम होता है कि प्रेस का भी कुछ काम करते रहे हैं क्योंकि उनको कुछ तजुरबा है। बस इतना ही मुझे कहना है और इतना कहकर मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और अवस्थी जी से कहूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें और इस अनुदान को पास करें।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मोतीलाल अवस्थी। (श्री गोविन्द सिंह विष्ट के खड़े होने पर) अब आपके लिये मौका नहीं है। जब आपका नाम पुकारा गया था तब तो आपने अवस्थी जी को दे दिया। आप कृपा करके बैठें।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**---मैं आपके द्वारा माननीय विष्ट जी से प्रार्थना करूंगा कि जो भी कारण रहे हों उनकी स्वीकृति से मैं खड़ा हूं। उन्होंने अपनी स्वीकृति दी थी उसके लिये मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

आज इस अनुदान के संबंध में जो विवाद हुआ उसमें सरकार के पक्ष से दो सज्जन बोले हैं। ५० प्रतिशत तो ऐसा कथन निकला जो सरकार की ही हर बात को काट रहा था, लेकिन ५० प्रतिशत की पूर्ति हमारे माननीय सदस्य वाराणसी ने की। लेकिन उनका कभी-कभी जो रोल होता है मैं उसको इस सदन में कामिक रोल से कम नहीं मानता हूं क्योंकि जब वह बोलते हैं तो खूब हंसी भी लेते हैं। लेकिन विशेष तौर से उनके वे शब्द मुझे भूले नहीं कि "भई, कभी-कभी तो सरकार की तारीफ कर दिया करो।" मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि जब इतने सज्जन उनके पक्ष में तारीफ करने वाले बैठे हैं फिर भी तारीफ की कमी आपको दिखायी पड़ती है, अगर कहें तो २-४ आदमी किराये के बुला लिया करूं। आप कुछ प्रशंसा के ज्यादा भूखे हैं। वैसे तो मैंने हमेशा उप मंत्री जी की तारीफ की, उनकी स्फूर्ति और उत्साह के बारे में कहा, लेकिन आज जो सरकारी पक्ष की तरफ से विवाद हुआ उसमें कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स नहीं मिले जिनका जवाब मैं दूं। मैं चाहता था कि जो सज्जन बोलें वह जरा पढ़ कर आते क्योंकि उन्होंने केवल इतना ही बतलाया कि १ करोड़ ४० लाख रुपये की मद है।

छोटे कर्मचारियों के बारे में मैंने जो शब्द कहे थे वे जानकारी के बाद कहे थे और उसका हमारे पांडेय जी ने बहुत कुछ समर्थन भी किया। उनके प्रति एक अन्याय हो रहा है। यह छोटे कर्मचारियों की कार्य पटुता का ही लक्षण है कि आज बहुत सी सामग्री हमें समय पर मिलती है। वे १२-१२ और १८-१८ घंटे काम करते हैं और हम लोगों की मदद करते हैं मगर उनको कोई सुविधा नहीं मिलती। साल में उनके केवल २, २ १,२ रुपये मुश्किल से बढ़ पाते हैं। ओवरटाइम का उनके लिये कोई प्राविजन नहीं है। उनका कोई स्केल नहीं बढ़ा रहा है, न बेसिक पे बढ़ने जा रही है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने चपरासियों तक का वेतन ७० रुपये रखा है तो ये प्रेस एम्पलाईज जो हार्ड लेबर करते हैं, ये प्रूफ रीडर्स जिन्होंने अपनी सारी जिन्दगी गंवाई है उनके साथ हमें सही बर्ताव करना चाहिये। इस प्वाइंट को मैं विशेष तौर से प्रैस करना चाहता हूं और मैं आशा करूंगा कि मंत्री जी इधर ध्यान देंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उपाध्यक्ष जी, प्रस्तुत अनुदान के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने जो विचार व्यक्त किये उसके लिये मैं सबका अनुगृहीत हूं। मैं सिर्फ दो बातें गवर्नमेंट प्रेस के आर्गेनाइजेशन के नेचर और कन्डेक्ट के बारे में कहना चाहता हूं। हमारा जो बजट है वह किसी एक विभाग का नहीं है। गवर्नमेंट प्रेस के बजट में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का जो छपाई होती है उसके अनुसार जो मद रखनी होती है उन सबका यह जोड़ है सभी विभागों का जो छपाई का काम है, उसके सम्बन्ध में जो पैसा चाहिये, उस पैसे को लेकर यह बजट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनता है और सारे विभागों का काम करने के लिये जितने श्रमिक चाहिये, जितने कारीगर चाहिये और जितने कार्यकर्ता चाहिये, उनको इम्पलाय किया जाता है। इसलिये बजट के घटने और बढ़ने का सीधा-सादा संबंध गवर्नमेंट प्रेस से नहीं है बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों में जितना काम बढ़ना है या घटना है, वह हमारे बजट पर रिफ्लेक्ट होता है यानी हमारे बजट पर उसकी परछाई पड़ती है।

जहां तक इस बजट में ज्यादती का संबंध है, वह यह है कि इस वर्ष में ६ लाख रुपया ज्यादा मांगा गया है। इसमें तीन लाख रुपया कर्मचारियों के इंक्रीमेंट का होगा। इसके अलावा एक पोस्ट असिस्टेंट एकाउन्ट्स आफिसर की ऐशबाग प्रेस में हो रही है। इसको लेकर यह पैसा बढ़ाया जा रहा है। अब जो तीन लाख रुपया है वह अन्य चीजों के खरीदने के लिये रखा गया है जो मशीन की शक्ल में हो या मजदूरों तथा कर्मचारियों के वेलफेयर सेंटर के लिये हो, चाहे मुहर के लिये हो. . . .

श्री मदन पांडेय––वेलफेयर सेंटर कहां है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा––श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि १ लाख २४ हजार रुपये की रकम खर्च करने के बाद इलाहाबाद में एक बहुत ही सुन्दर वैलफेयर सेंटर बनाया गया है।

श्री मदन पांडेय––लखनऊ में कहां है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा––मैं तो गवर्नमेंट प्रेस की बात करता हूं, लखनऊ और इलाहाबाद की बात नहीं करता, मैं रुड़की की बात नहीं करता। इस आर्गेनाइजेशन के चारों हिस्से हैं, मैं उनकी बात करता हूं और यहां भी हमने ऐशबाग में काम किया है। मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में जो आर्गेनाइजेशन्स है वहां सारे लेबर लाज इम्पलीमेंट किये जाते हैं जो हमारे यहां लगते हैं हम किसी से न छुटकारा मांगते हैं और न किसी कानून से भागते हैं। चाहे प्रावीडेंट फंड हो, चाहे फैक्टरी ऐक्ट की बात हो या वेजेज की बात हो, हम भागते नहीं हैं और हम अपने यहां इंश्योरेंस भी लागू करना चाहते थे, लेकिन मजदूरों ने कहा कि नहीं लगना चाहिये। जब उनकी यह मांग आई तो हमने उनका एग्जेम्शन कराया। उनको सारी सुविधायें मिली हुई हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार की नीयत में मुनाफाखोरी की बात नहीं है।

अब यह भी कहा गया है कि अफसर बढ़ाये जा रहे हैं। हमने अपने गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग में केवल एक असिस्टेंट एकाउन्ट्स आफिसर की जगह बढ़ाई है। वहां ८०० से लेकर १,००० मजदूर काम करते हैं, लाखों रुपये का पेमेंट होता है, उसका हिसाब रखना और खरीद-फरोख्त होता है, उस सबका हिसाब रखना होता है। हमारे गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में, जो इतना बड़ा आर्गेनाइजेसन हो, ऐसा नहीं है कि जहां एक एकाउन्ट्स अफसर न हो। हमने तो असिस्टेंट एकाउन्ट्स अफसर ही बढ़ाया है। मेरी अपनी फीलिंग यह है कि जो समकक्ष विभाग हैं, उनको इस सलाह पर अभी ला नहीं सके हैं, लेकिन मेरा खयाल है कि अगर एकाउन्ट्स ठीक रखने हैं और पैसे का सदुपयोग करना है, जिसको पैसे का दुरुपयोग न करना हो तो देखरेख की कसौटी बहुत मजबूत बनानी होगी। एक छोटे-मोटे आफिसर के रखने से काम चलने वाला नहीं है। सीनियर आफिसर को रखना चाहिये। इसीलिये हमने व्यवस्था की है। आज ऐशबाग प्रेस की नींव डाले हुये दस वर्ष हो गये हैं और जहां तक अफसर बढ़ाने की बात है, मैं इसको सदन के ऊपर छोड़ता हूं।

यूनियन और मजदूरों के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गयीं। मैं गवर्नमेंट प्रेस के मजदूरों की सद्बुद्धि की दाद देता हूं कि उन्होंने हमेशा अपने यहां एक मजदूर संगठन रखा। माननीय उग्रसेन जी ने धमकी दी कि वह चार पांच यूनियनें बनायेंगे।

श्री उग्रसेन---जैसा अधिकार यूनियन बनाने का माननीय बहुगुणा जी को है वैसा अधिकार उग्रसेन को भी है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ट्रेड यूनियन मूवमेंट में पैरेलल ट्रेड यूनियन को पैदा करने वाला मजदूर आन्दोलन का दुश्मन कहलाया है। (व्यवधान) आई० एन० टी० यू० सी० और दूसरी संस्थाओं को जवाब देती है तो कौन सा जुर्म करती है ? उस संगठन ने वहां के मजदूरों को एक सूत्र में बांध रखा है, मैं उसको दाद देता हूं। वह बहुत बुरा दिन होगा जब वहां दूसरी यूनियनें आयेंगी। मैं जब गवर्नमेंट प्रेस इम्प्लाईज एसोसिएशन का प्रेसीडेंट हुआ था, तो उसके ठीक पहले वहां की यूनियन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हाथ में थी। वह हिन्द मजदूर सभा से अफीलिएटेड थी। मैंने कोई दूसरी यूनियन नहीं बनने दी। अगर इन यूनियन का नेतृत्व वह बदलना चाहते हैं, तो वह बदलें, लेकिन इससे मजदूरों का हित नहीं होगा। वह किसी दल विशेष की यूनियन नहीं है।

मान्यवर, एक बात यह कही गयी कि ७८ लाख रुपया बाहर छपायी का देने को है। ७८ लाख का काम हमने १९५७ से अब तक नहीं करवाया।

श्री मोतीलाल अवस्थी---६५ लाख।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---६५ लाख भी नहीं है। १९५६ में २ लाख ७२ हजार १ सौ, १९५७-५८ में ३ लाख १० हजार, १९५८-५९ में १ लाख ६६ हजार और १९५९-६० में २ लाख के करीब छपाई का काम बाहर करवाया है और पैसा दिया है। पांच-सात साल का भी मिलाकर ७८ लाख नहीं हो, तो शायद हिसाब लगाने में गलती हो गयी है।

मैं सरकार की सारी नीतियों की बाबत विवेचना नहीं करता कि जितने कार्य उसने आज तक किये वह ठीक किये या गलत किये, लेकिन इतना कहता हूं कि उद्योग विभाग की नीति है कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में फले फूले। हमने अपना जो प्रेस बढ़ाया है वह खास खास कामों का करने के लिये बढ़ाया है, जो आवश्यकता के मुताबिक हमें करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिये कि एक एक्स्ट्राआर्डिनरी गजट शाम के छः बजे तक निकालना है, तो सरकार के पास प्रेस है, मजदूर मौजूद है। छः बजे तक निकल गया। कास्टली जरूर पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट प्रेसों के उपर रहे तो नहीं निकलेगा। बजट में हर साल वित्त मंत्री गवर्नमेंट के कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं। क्या बात है ? क्योंकि जिस तेजी से और अच्छाई के साथ वह बजट को छापते हैं वह प्रशंसनीय है। इसके अतिरिक्त आज तक गवर्नमेंट प्रेस के इतिहास में कभी लीकेज नहीं हुआ। अगर यह प्रशंसा की बात नहीं है तो मैं नहीं समझता कि इससे और बेहतर क्या बात हो सकती है ? मैं समझता हूं कि हमारे अफसर और हमारे कर्मचारी जो काम करते हैं दोनों मुबारकबाद के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं।

कुछ बातें ऐसी कही गईं कि अफसर लोग गड़बड़ करते हैं, अच्छे अच्छे-क्वार्टरों में रहते हैं, तरह तरह की सुविधायें उनको हैं। इस सम्बन्ध में मैं उनका याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त ऐशबाग प्रेस लगाया गया था उस एरिया में सांपों का दौर रहता था। कोई मजदूर और कर्मचारी वहां काम करने को तैयार नहीं हो रहा था। मुझे पता है कि किस तरह से इलाहाबाद से उन मजदूरों और कर्मचारियों को हम यहां पर लाये और कैसे उस वक्त सरकार और यूनियन, दोनों ने मिल कर उस माहौल में, जो माहौल कि उस वक्त था, उस काम को चालू करने की कोशिश की। उन परिस्थितियों को याद करने के बाद कोई यह कहे कि किसी तरह से कोई खास पक्षपात किसी के साथ हो रहा है, यह बात बिलकुल गलत है। अब हम उन सारे क्वार्टरों की मरम्मत करा रहे हैं और मरम्मत के बाद उनका किराया लगाने की बात भी हो जायगी।

इलाहाबाद के जवाहरलाल जी ने और दूसरे साथियों ने भी कुछ उनके वेतनक्रमों के सम्बन्ध में कहा और कुछ व्यक्तिगत मेरे हृदय को ठेस लगाने वाली बातें भी कहीं। यह सही

है कि जब मैं यूनियन में काम करता था तो बहुत सारी बातें मैंने कही थीं। लेकिन न कोई मेरी व्यक्तिगत हैसियत तब थी और न आज कोई मेरी व्यक्तिगत हैसियत है। उस समय मैं जिन कागजों पर हस्ताक्षर करता था वह यूनियन के प्रेसीडेंट की हैसियत से करता था और आज यहां जो कुछ करता हूं वह एक डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत से करता हूं हमारे और मजदूरों के बीच में जो सवाल हैं उन पर हम गौर कर रहे हैं। और काफी तेजी से हम गौर कर रहे हैं। वहां के एसोसियेशन वाले और हम सब मिल कर इन तमाम बातों को देख रहे हैं और उनके ऊपर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ इससे ज्यादा मुबारकबाद की बात और कोई नहीं हो सकती गवर्नमेंट प्रेस के यूनियन और उसके कर्मचारियों के लिए भी कि पिछले दो ढाई सालों में बगावत, हल्लागुल्ला या गाली गुफ्ता की बात उन्होंने नहीं की। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पैसे की कमी आज पूरे प्रदेश भर में है, केवल गवर्नमेंट प्रेस में ही नहीं है। अकेले गवर्नमेंट प्रेस में पैसे को बढ़ाकर सारे प्रदेश में कोई समस्या भी हम पैदा नहीं करना चाहते हैं। उनकी कठिनाइयों को हम समझते हैं और उनसे सहानुभूति भी रखते हैं।

जिन खराबियों की बातें माननीय मदन पांडेय जी ने कहीं हैं उनको भी हम देखेंगे। उन्होंने बहुत निश्चित रूप से कहा है कि इसके मूल में कहीं कोई खराबी है, तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि सभी बातें वहां की खराब नहीं हैं। जैसे सब जगह दो एक बातें खराब हो सकती हैं। वैसे ही वहां भी हो सकती हैं। फिर भी उनको हम देखेंगे। इन शब्दों के साथ, मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस अनुदान को स्वीकृत करे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—समय कम है, उसका भी ध्यान रहे। फिर समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अगर जरूरत पड़ेगी तो १५ मिनट मैं बढ़ा दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैं यह जानना चाहता था कि क्या यह सही नहीं है कि छः छः मशीनें वहां बेकार पड़ी हुई हैं और एक लीनोटाइप हिन्दी की मशीन ऐसी है जो सन् ५० के करीब खरीदी कर आयी थी और आज तक वह इस्तेमाल नहीं हुई है? उन मशीनों के पुर्जे एक-एक करके चोरी चले जाते हैं, यह मैं डिप्टी मिनिस्टर साहब के सामने कैसे कहूं, लेकिन धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं और इस तरह वह मशीनें बेकार होती जा रही हैं। इसी तरह से मोनोटाइप की जो १४ मशीनें हैं उनमें से आधी...

श्री उपाध्यक्ष—अब आप उनको जवाब देने दें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—एक मशीन का सिलेंडर, उपाध्यक्ष महोदय, चोरी चला गया और उसको एक दिल्ली के प्रेस ने खरीदा, उसका नाम लेना तो ठीक नहीं होगा, तो इसके बारे में जवाब वह दे दें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, इस तरह की सूचना हमारे पास नहीं है। जहां तक हमारी इस वक्त की सूचना है, वहां पर कोई मशीन खड़ी नहीं रहती है। अब कोई ब्रेक डाउन हो जाय तो उसकी बात दूसरी है। लेकिन अगर माननीय सदस्य निश्चित सूचना देंगे तो हम जरूर उसकी जांच करा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

राजकीय मुद्रण कार्यालय, लखनऊ तथा इलाहाबाद, में कर्मचारियों की प्रमुख मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१---लेखन-सामग्री और मुद्रण लेखा शीर्षक ५६---लेखन-सामग्री और मुद्रण तथा अवमूल्यन रक्षित निधि (Depriciation Reserve Fund) राजकीय मुद्रणालय के अन्तर्गत १,४०,७०,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २१ मार्च, १९६०, के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१९ मार्च, १९६०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०---९ एल० ए०---१९६०---८४५।